चतुर्थ माला, खंड 26, अंक 21 मंगलवार, 18 मार्च, 1969/27 फाल्गुन, 1890 (शक)
Fourth Series, Vol. XXVI, No. 21 Tuesday, March 18, 1969/Phalguna 27, 1890 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th

LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
Fumigated
On 17-7-92
Parliament Library

[सातवां सत्र]
[Seventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 26 में अंक 21 से 30 तक हैं]
[Vol. XXVI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

66

Lok Sabha Debates

Hindi

No. 26

Nos. 21 – 30

18th March — 31st March

1969

P.L

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 21, मंगलवार, 18 मार्च, 1969/27 फाल्गुन, 1890 (शक)

No. 21, Tuesday, March 18, 1969/Phalguna 27, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
541. बिहार में टाटा की नई मरसिडीज बैंज चेसिस पर लगाया गया अधिभार	Surcharge levied on New Tata Mercedes Benz Chassis in Bihar	1—4
542. दलित वर्गों की मांगों के लिये भारती रिपब्लिकन पार्टी द्वारा आन्दोलन	Agitation by Republican Party of India for Demands of Depressed Classes	4—10
543. लोक-सभा तथा राज्य विधान सभाओं के लिये उप-चुनाव	Bye Elections to State Assemblies and Lok Sabha	10—13
544. चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा को कम करना	Reduction in Maximum limit of Election Expenses	13—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
545. फूलपुर (उत्तर प्रदेश) के निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनावों में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग	Misuse of Government Machinery in Bye-Election in Phulpur constituency (U.P) ..	17
546. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से भारत में परिवार नियोजन तथा बाल कल्याण योजनाओं के लिये सहायता	Aid from UNICEF for Family and Child Welfare Schemes in India ..	17—18
547. बोकारो इस्पात कारखाने में बेकार पड़ी रूसी मशीनें	Russian Machinery lying idle in Bokaro Steel Plant ..	19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
548. रामपुर काठगोदाम बड़ी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Rampur Kathgodam B. G. Railway line ..	19—20
549. माल डिब्बा निर्माण उद्योग की क्षमता का पूरा प्रयोग न किया जाना	Under utilisation of Wagon Industry capacity ..	20
550. स्टैंडर्ड ड्रम फैक्टरी को इस्पात का कोटा	Steel Quota to Standard Drum Factory ..	20—21
551. महानगरों में भूमिगत रेलें	Underground Railways in Metropolitan Cities ..	21
552. बिजली चालित रेलवे इंजिनों की गति	Speed of Electric Locomotives ..	21—22
553. छोटे पैमाने के उद्योगों में बेरोजगार इंजीनियरों का प्रशिक्षण	Training of Unemployed Engineers in Small Scale Industries ..	22—23
554. हाई प्रैशर (उच्च दाब वाले) उपकरणों तथा हैवी ड्यूटी कम्प्रैसरों का निर्माण	Manufacture of High Pressure Equipment and Heavy Duty Compressors ..	23
555. मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा कार के पुर्जों का निर्यात	Export of car components by M/s Hindustan Motors ..	24
556. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Limited ..	24—25
557. मशीन टूल्स उद्योग में मन्दी	Recession in Machine Tool Industry ..	25—27
558. गुजरात में लघु उद्योग	Samll Scale Industry in Gujarat	27
559. बिड़ला उद्योग समूह	Birla Group of Industries ..	27—28
560. उद्योगों में प्रबन्ध निदेशक	Managing Directors in Industries ..	28
561. रेलवे सुरक्षा विशेष दल के लिये जवानों की भर्ती	Recruitment of Jawans in Railway Protection Special Force ..	28—29
562. राजस्थान में उद्योग	Industries in Rajasthan ..	29
563. पश्चिमी रेलवे मुख्यालय का बम्बई से अहमदाबाद में स्थानान्तरण	Shifting of Western Railway Head-quarters from Bombay to Ahmedabad ..	29
564. सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी	Over Staffing in Public Sector Industries ..	30

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
565. गुना-मक्सी रेल सम्पर्क	Guna Maksi Rail Link ..	30—31
566. अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिमी रेलवेज दिल्ली में सीधी भर्ती वाले स्नातकों के लिये सुरक्षित स्थान	Reservation for Direct Recruited Graduates in Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway Delhi ..	31
567. भारत में भिखारी	Beggars in India ..	31—32
568. रूरकेला और भिलाई कारखानों में सुधार	Improvement in Rourkela and Bhilai Steel Plants ..	32—33
569. एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड बम्बई	Associated Cement Company Limited, Bombay ..	33
570. केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में प्रकाशन	Publication of Central Acts in Hindi ..	33—34
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
3402. मुरादाबाद डिवीजन में लोको शेडों के फालतू कर्मचारी	Surplus Employees of Loco Sheds in Moradabad Division ..	34—35
3403. राजस्थान में भारी उद्योग	Heavy Industries in Rajasthan ..	35
3404. गुजरात में औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings in Gujarat ..	36
3405. बाइसिकल फैक्टरियों में उत्पादन	Production in Bicycle Factories ..	36—37
3406. उद्योगों में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग	Utilisation of Installed Capacity in Industries ..	38—41
3407. मध्य प्रदेश में नये उद्योग	New Industries in Madhya Pradesh ..	41—42
3408. विदेशी कम्पनियों में कर्मचारी	Staff in Foreign owned companies ..	42
3409. मोटर टायर	Motor Tyres ..	43
3410. महराष्ट्र में लाइसेंस जारी करने के लिये विचाराधीन आवेदनपत्र	Applications pending for issue of licences in Maharashtra ..	43—44
3411. स्कूटरों तथा मोटर कारों के मूल्यों में कर का अंश	Tax content in the Prices of Scooter and Motors Cars ..	44

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3412. सांतरागाछी और आंदुल स्टेशनों के बीच रेलगाड़ियों की टक्कर	Collision between Santragachi and Andul Stations ..	44—45
3413. अमरावती के निकट बिना चौकीदार वाला रेलवे फाटक	Unmanned gate on Railway line near Amravati ..	45
3414. प्रथम श्रेणी के डिब्बों में नियुक्त कण्डक्टर	Conductors posted in First Class Compartments ..	45—46
3415. खांडवा से प्रथम श्रेणी के यात्रियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को टिकट जारी करना	Issue of Ticket to Ist class passengers and V. I. Ps. from Khandwa ..	46
3416. दिल्ली-रोहतक रेलवे खण्ड (सेक्शन)	Delhi Rohtak Section ..	46
3417. दिल्ली-रोहतक सेक्शन पर गाड़ियों के प्रस्थान के समय को गलत दर्ज करना	Wrong departure of trains on Delhi Rohtak Section ..	46—47
3418. दिल्ली-रोहतक सेक्शन की पटरी	Track of Delhi Rohtak Section ..	47
3419. रेलवे वर्कशाप में प्रशिक्षण के लिए स्नातक इंजीनियरों (मेकेनिकल) की भर्ती	Recruitment of Graduate Engineers (Mechanical) for Training in Railway Workshops ..	48
3420. संविधान में संशोधन	Amendment of Constitution ..	48—49
3421. बिहार बेगुसराय तथा खगरिया के स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्र	Scheduled Caste students studying in Begusarai and Khagaria of Bihar Schools and Colleges ..	49
3422. हरयाणा और हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in Haryana and Himachal Pradesh ..	49—50
3423. कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण	Reservation of seats for S. C. and S. T. in certain Union Territories ..	50

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3424. 1967 के आम चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में मतदान केन्द्रों के निर्माण के लिये भुगतान	Payment for the construction of Election booths in U. P. during General Elections 1967 ..	50—51
3425. नागरकोइल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव	Bye election in Nagarcoil Parliamentary Constituency ..	51—52
3426. सराय रोहिल्ला स्टेशन (दिल्ली) में अनैतिक पण्य	Immoral Traffic at Sarai Rohilla Station (Delhi) ..	52
3427. बैटरियों के दाम	Prices of Batteries ..	53
3428. रूरकेला उर्वरक कारखाना	Rourkela Fertilizer Plant ..	53—54
3429. हापुड़ स्टेशन पर टर्मीनल सुविधायें	Terminal Fecilities at Hapur Station ..	54
3430. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	Heavy Engineering Corporation ..	54
3431. इस्पात उत्पादन सम्बन्धी कर्णधार समिति का प्रतिवेदन	Report of the Steering Committee on Steel Production ..	55
3432. पंजाब में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं	Public sector projects in Punjab ..	55—56
3433. चण्डीगढ़ में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं	Public Sector Projects in Chandigarh ..	56
3434. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	Bharat Heavy Electricals Ltd. ..	56
3435. आंध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Andhra Pradesh ..	57
3436. गुजरात में कम्पनियों को ऋण	Loans to companies in Gujarat ..	57
3437. गुजरात में सीमेंट परियोजनाएं	Cement projects in Gujarat ..	57—58
3438. गुजरात में उद्योग	Industries in Gujarat ..	58—59
3439. कोसीपुर रोड के गोदाम में पटसन की गांठों का जमा हो जाना	Piling up of Jute Bales at Cossipur ..	59

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3440. सिलेक्शन ग्रेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का रक्षित कोटा	Reserved quota of S. C. and S. T. in Selection Grade ..	59—60
3441. ट्रेन क्लर्क	Train Clerks ..	60
3442. अप्रयुक्त लाइसेंस	Unused Licences ..	60—61
3443. सेरामिक्स की कमी	Shortage of ceramics ..	61
3444. 1 एम० डी० मुरादाबाद सवारी गाड़ी	1 M. D. Moradabad Passenger Train ..	62
3445. हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में हानि	Loss in Heavy Electricals Ltd. Bhopal ..	62
3446. जाली रेल टिकटों का प्रयोग	Use of Fake Railway Tickets ..	63
3448. पश्चिम रेलवे में बिना टिकट यात्रा	Ticketless travel on Western Railway ..	63
3449. रेलवे लेखा कार्यालय में ग्रेड दो के क्लर्कों की उच्च ग्रेडों में पदोन्नति	Promotion in Higher Grades of Clerks Grade II in Railway Accounts Office ..	63—64
3450. पश्चिम रेलवे अजमेर के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में कर्मचारियों को मानदेय	Honorarium to Staff in F. T. A. Office, Western Railway, Ajmer ..	64
3451. पश्चिम रेलवे में परिशिष्ट दो-ए की योग्यता वाले कर्मचारियों की पदोन्नतियां	Promotion of Appendix IIA Qualified staff on the Western Railway ..	64—65
3452. पश्चिम तथा उत्तर रेलवे के अन्य रेलवे खाता कार्यालयों में स्वीकृत कर्मचारी संख्या	Sanctioned strength of Foreign Traffic Accounts offices, Western and Northern Railways ..	65—66
3453. पूर्वोत्तर रेलवे के लेखा विभाग के ग्रेड 2 के क्लर्कों द्वारा दायर किया गया मुकदमा	Suit filed by Clerks Grade II of Accounts Department of N. E. Railways ..	66

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3454. दक्षिण रेलवे मद्रास के उपमुख्य लेखा अधिकारी (यातायात लेखे) के कार्यालय के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या	Sanctioned Strength of Dy. C. A. O. (TA)s' Office Southern Railway Madras ..	66—67
3455. दिल्ली स्थित पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ	Benefit of increments to Staff of Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi ..	67
3456. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	Hindustan Machine Tools ..	68
3457. मून कारपोरेशन लिमिटेड, हरगांव	Moon Corporation Ltd., Hargaon ..	68—69
3458. टाटा आयल मिल्स लिमिटेड, बम्बई	Tata Oil Mills, Ltd., Bombay ..	69
3459. डालमिया सीमेंट (इंडिया) लिमिटेड तिरुचिरापल्लि	Dalmia Cements (India) Ltd., Tiruchirapalli ..	69
3460. पूर्वोत्तर रेलवे में दुर्घटनायें	Accidents on North Eastern Railway ..	70
3461. उत्तर प्रदेश में अल्प आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति	Low Income Group Scholarships to Students in U. P. ..	70
3462. भारतीय रेलों में लूटपाट और डकैती की घटनाएं	Robbery and Dacoity on Indian Railways..	71
3463. संचोड़ में आउट एजेंसी	Out Agencies at Sanchore ..	71—72
3464. पश्चिम रेलवे के सफरी लेखा निरीक्षक	Travelling Inspectors of Accounts, Western Railway ..	72
3465. फूलेरा और बियावर स्टेशनों के बीच चोरियां	Thefts between Phulera and Beawar Stations ..	72—73
3466. दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Railway Employees in Delhi..	73—74
3467. दिल्ली स्थित पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात खाता कार्यालय के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for staff of FTA Office Western Railway, Delhi ..	74—75

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3468. विभिन्न रेलवे जोनों में द्वितीय श्रेणी के लेखा क्लर्कों की वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति	Promotion of Accounts Clerk Grade II of Seniority-cum-suitability Basis on the various Railways ..	75
3469. रेलवे लेखा कार्यालयों से बीजक परीक्षण के काम को बदलना	Transfer of work of invoice checking from Railway Accounts office ..	75
3470. पश्चिम रेलवे में सफाईवालों को सर्दियों की वर्दी	Winter Uniforms to Safaiwalas on Western Railway ..	76
3471. सितम्बर, 1968 में पश्चिम रेलवे द्वारा ली गई लेखा लिपिकों की ऐपेंडिक्स दो-ए परीक्षा	Appendix II-A Examination held by Western Railway in Sept. 1968 ..	76
3472. पश्चिम रेलवे, दिल्ली के अन्य रेलवे यातायात लेखे कार्यालय के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for Staff of Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi ..	77
3473. गुजरात में हरिजनों की स्थिति	Condition of Harijans in Gujarat ..	77
3474. बिहार के सहरसा जिले में सवारी गाड़ी के गार्ड को पीटा जाना	Beating of Guard of Passenger Train in District Saharsa (Bihar) ..	78
3475. मोरेना के विद्यार्थियों द्वारा रेलगाड़ियों का रोका जाना	Detention of Trains by students of Morena..	78
3476. जोधपुर डिवीजन में स्टेशन मास्टरों के चयन पद	Selection posts of station Masters in Jodhpur Division ..	79
3477. जोधपुर डिवीजन में रेल-गाड़ी परीक्षकों के चयन पद	Selection Posts of train Examiners in Jodhpur Division ..	79
3479. पश्चिम बंगाल में लघु उद्योग	Small Scale Industries in West Bengal ..	80
3480. सीयालदाह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में कैनिंग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिये सुविधाएं	Amenities for passengers at Canning Railway Station in Sealdah Division (Eastern Railway) ..	80—81

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3481. जिवाजी राव काटन मिल्स, ग्वालियर से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Charges against officers connected with Jivaji Rao Cotton Mills Gwalior ..	81
3482. उत्तर प्रदेश में हरिजनों के साथ व्यवहार	Treatment on Harijans in U. P. ..	81—82
3483. मध्य प्रदेश में चूने की ईंटें बनाने वाला कारखाना	Lime Bricks Plant in Madhya Pradesh ..	82
3484. एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये स्थान	Accommodation for Third Class passengers in Express Trains ...	82—84
3485. रेलवे में वस्तु भाड़े की दरों में वृद्धि	Increase in Luggage Charges on Railways..	84—85
3486. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लिये फालतू पुर्जों तथा कोयले की कमी	Shortage of spare parts and coal for Hindustan Steel Ltd. ..	85
3487. पांचवें इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of the Fifth Steel Plant ..	86
3488. इस्पात कारखानों के प्रबन्ध में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	Representation of the Workers in the Management of Steel Plants ..	86
3489. बोकारो कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन	Bokaro Construction Corporation ..	87
3490. भिलाई इस्पात कारखाने के लिये निर्माण निगम	Construction Corporation for Bhilai Steel Plant ..	87—88
3491. बिहार सरकार की अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण योजनाएं	Welfare schemes of Bihar Government for Scheduled Tribes ..	88—89
3492. भिलाई इस्पात कारखाना	Bhilai Steel Plant ..	89—90
3493. दिल्ली में फुटकर बिक्री दुकानों में वस्तुओं के दाम	Prices of articles in retail shops in Delhi ..	90
3494. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में इंजीनियर सहायक	Engineer Assistants in Heavy Engineering Corporation Ranchi ..	90—91
3495. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों की मांगें	Demands of the Employees of National Small Industries Corporation ..	91—92
3496. लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात	Exports from small Sector ..	92

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3497. रेलवे सुपरवाईजरों द्वारा नियमानुसार कार्य करने की धमकी	Work to rule Threat by Rail Supervisors ..	92—93
3498. संकटग्रस्त औद्योगिक कारखानें	Industrial Units Running into difficulties ..	93
3499. चर्म शोधन तथा जूता निगम	Tannery and Footwear Corporation ..	93—94
3500. उत्तर प्रदेश विधान सभा के स्थान के लिये पाकिस्तानी नागरिक द्वारा नामांकन-पत्र देना	Filing of Nomination by a Pakistani National for U. P. Assembly Seat ..	94
3501. इस्पात कारखानों में बिलेट का उत्पादन	Production of Billets in the Steel Plants ..	94—95
3502. बिलेटों का निर्माण	Production of Billets ..	95—96
3503. फैजाबाद में छोटे (मीनी) ट्रैक्टर निर्माण कारखाना	Mini Tractor Factory in Faizabad ..	96
3504. लखनऊ और बरौनी के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना	Conversion of M. G. Line between Lucknow and Barauni into B. G. ..	97
3505. रेलवे में बिना टिकट यात्रियों का पता लगाने के लिये विशेष अनुभाग	Special Cell to detect Ticketless Travel on the Railway ..	97—98
3507. बीकानेर डिवीजन के लालगढ़ जंकशन पर अस्पताल की इमारत	Hospital Building at Lalgarh Junction of Bikaner Division ..	98
3508. दिल्ली पोलिटेक्निक तथा अन्य कालेजों के छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to students of Delhi Polytechnic and other Colleges ..	98
3509. रेलवे कर्मचारियों के लिये वर्दियां	Uniforms for Railway Employees ..	99
3510. भारतीय रेलों में स्टेशन मास्टर तथा सहायक स्टेशन मास्टर	Station Masters and Astistant Station Masters on the Indian Railways ..	100
3511. देश में आदिवासियों के लिये कल्याण योजना	Welfare Scheme for Tribals in the Country ..	100
3512. ढुलाई में माल की हानि	Loss in Goods Transport ..	100—101

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3513. रेलों का विद्युतीकरण	Electrification of Railways ..	102
3514. बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel ..	102—103
3515. यात्री डिब्बे	Passenger Coaches ..	103
3516. मासिक प्रकाशन 'इंडियन रेलवेज'	Monthly Publication 'Indian Railways' ..	103—104
3517. फुटबा रेलवे स्टेशन पर विश्राम कक्ष में अपर्याप्त सुविधायें	Inadequacy of Retiring Rooms at Futwah Railway Station ..	104
3518. गिरीडि रेलवे स्टेशन	Giridih Railway Station ..	105
3519. कोटा वे अस्पताल	Kota Railway Hospital ..	105
3520. कोटा लवे स्टेशन पर साइकि स्टैंड	Cycle stand at Kota Railway Station ..	105—106
3521. यंत्रों मे आत्म निर्भरता	Self-sufficiency in Machinery ..	106—107
3522. केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के गैर-सरकारी निदेशक	Non-official Directors of Central Industrial Projects ..	107
3523. बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच	Checking of Ticketless Travel ..	107—108
3525. पर्मानेण्ट मैग्नेट्स लिमिटेड	Permanent Magnets Ltd. ..	108
3526. एकस्व (पेटेन्ट्स) प्रदान करना	Grant of Patents ..	108—109
3527. पुरी-हैदराबाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी को क्षति	Damage to Puri-Hyderabad Express ..	109
3528. हिमालय टाइल्स द्वारा मनीपुर में स्थापित उद्योग	Industries set up by Himalayan Tiles in Manipur ..	109
3529. मध्य रेलवे में ट्रैक रिकार्डिंग कोच	Track Recording coach in the Central Railway ..	110
3530. पिछड़ी जातियों के लिये छात्रवृत्ति	Scholarships to Backward classes ..	111
3531. केरल में केन्द्रीय सरकार के उद्योग	Central Sector Industries in Kerala ..	111—112
3532. रेलवे के लाइसेंस प्राप्त कुली	Railway licenced Porters ..	112—113

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3533. बाल कल्याण विषयक गंगा शरण सिंह समिति	Ganga Sharan Sinha Committee on Child Welfare ..	113
3534. रुई में सट्टेबाजी	Hedge Trading in Cotton ..	114
3535. नागालैंड में मतदान	Polling in Nagaland ..	114
3536. पूर्व रेलवे में गाड़ी परीक्षकों के लिये छुट्टी रिजर्व	Leave Reserve Train Examiners on Eastern Railway ..	114—115
3537. राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति	National Railway Users Consultative Committee ..	115
3538. नरकटियागंज और गोरखपुर के बीच संयोजक रेलवे लाइन	Rail Link between Narkatiaganj and Gorakhpur ..	115
3539. चम्पारन एक्सप्रेस गाड़ी	Champaran Express Train ..	116
3540. छपरा और मोतीहारी स्टेशनों के बीच सीधी संयोजक रेलवे लाइन	Direct Rail Link between Chupra and Motihari Stations	116
3541. लघु उद्योगों के लिये ऋण की आवश्यकता	Credit Needs of small scale Industries ..	116—117
3542. सिमरिया रेलवे स्टेशन	Simaria Railway Station ..	117
3543. तेघरा स्टेशन पर बिजली लगाना	Electrification of Teghra Station ..	117—118
3544. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के सम्बन्ध में ज्ञापन	Memorandum concerning commissioner for Scheduled Castes/Scheduled Tribes ..	118
3545. नमक का उत्पादन	Production of Salt	118—119
3546. बिहार में पंजीकृत समवाय	Companies Registered in Bihar	120
3547. हड़ताल में भाग लेने वाले अनियत मजदूरों को मुअत्तिल करना	Suspension of casual labourers Participated in Strikes ..	120—121
3548. भटिंडा के रेलवे यार्ड कर्मचारियों की याचिका	Petition by Yard Staff of Bhatinda	121
3549. रेलवे के पासों पर पहले दर्जे के रेलवे डिब्बों में यात्रा	Travelling in Ist Class compartment on Railway Passes ..	122

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3550. बीकानेर डिवीजन में नये स्टेशन और हाल्ट स्टेशन बनाना	Setting up of new and halt stations in Bikaner Division ..	122
3551. रेलवे लाइनों के साथ खाली पड़ी परती भूमि का उपयोग	Utilisation of Fallow Land along Railway Lines ..	122—123
3552. समवाय विधि के अधीन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का पंजीयन	Registration of Central Social Welfare Board Under Company Law ..	123
3553. छोटे पैमाने के इस्पात फर्नीचर यूनिटों का काम बन्द होना	Closure of shall scale steel furniture units ..	123—124
3554. रेलवे के कमर्शियल क्लर्क	Commercial clarks on Railways ..	124
3555. हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों की अपीलें	Appeals from Railway Employees who participated in Strike ..	124
3556. लायड इंसूलेशंस लिमिटेड द्वारा घटिया स्तर के जोयंट फिलरों की सप्लाई	Supply of non-standard joint filler by Lioyd Insulations, Ltd.	125
3557. मउ रानीपुर रेलवे स्टेशन पर वाणिज्यलिपिक के पद का समाप्त किया जाना	Suspension of Post of commercial clerk at Mau Ranipur Railway Station ..	125—126
3558. सूक्ष्म औजार कारखाना, कोटा	Precision tools Factory Kota ..	126
3559. अहमदाबाद तथा दिल्ली के बीच सीधी लाइन	Direct line between Ahmedabad and Delhi ..	126
3560. रेलवे तार लिपिक	Railway Telegraph Clerks ..	127
3561. केरल में औद्योगिक लाइसेंस हेतु प्रार्थना पत्र	Applications for Industrial Licences in Kerala ..	127
3562. खादी ग्रामोद्योग भवन (नई दिल्ली) के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against officials of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi ..	127—128
3563. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के लेखों की लेखा-परीक्षा	Auditing of the Accounts of Khadi Gramodyog Bhawn, new Delhi ..	128

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3564. खादी ग्रामोद्योग भवन (नई दिल्ली) में माल की बिक्री	Sale of Goods in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi ..	128—129
3565. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में चोरी के मामले	Cases of thefts in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ..	129
3566. खादी ग्रामोद्योग भवन (नई दिल्ली) में अनियमिततायें	Irregularities in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ..	129—130
3567. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में माल की देखभाल	Maintenance of Stocks in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ..	130
3568. रेलवे गार्ड	Railway Guards ..	130—131
3569. पूर्वोत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों के यातायात प्रशिक्षु	Scheduled Caste Traffic Trainees on N. E. Railway ..	131
3570. लखनऊ डिवीजन के इलेक्ट्रिकल चार्जमैन द्वारा गबन	Defalcation by Electrical Chargemen in Lucknow Division (N. Rly.) ..	131
3571. लखनऊ डिवीजन (उत्तर रेलवे) के इलेक्ट्रिकल चार्जमैन द्वारा रेलवे क्वार्टरों को पुनः किराये पर देना	Sub-Letting of Railway Quarters Electrical Chargemen in Lucknow Division (N. Rly.) ..	132
3572. उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनावों में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का असुरक्षित स्थानों पर चुनाव लड़ना	Non-Reserved Seats Contested in Scheduled Caste Condidates in U. P. mid term Election ..	132
3573. खनन तथा संबद्ध उपकरण निगम के लिये उदार नियम	Libralised Rules for Mining and Allied Machinery Corporation ..	133—134
3574. रंगीन फिल्मों का निर्माण	Manufacture of coloured Films ..	134—135
3575. रेलगाड़ी द्वारा ढुलाई में माल की चोरी	Theft of Goods During Rail Transit ..	135
3576. अलौंग (नेफा) तक रेलवे लाइन	Rail Link Nefa (Along) ..	135—136
3577. अधिक परिवहन कर्मचारियों की व्यवस्था	Provision of More Transportation Hands ..	136
3578. गाड़ी कन्डक्टर	Train Conductors ..	136—137

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3579. संगचल रेल कर्मचारियों को संगचल भत्ता	Running Allowance to Running Staff	137
3580. डा० खूबचन्द बघेल, संसद् सदस्य का शव सामान रखने वाले डिब्बे में ले जाना	Transportation of Dead Body of Dr. Khub Chand Baghel M. P. in Luggage ..	138
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
चीन द्वारा प्रशिक्षित नागाओं तथा भारतीय सुरक्षा सैनिकों के बीच बर्मा सीमा पर मुठभेड़	Clashes between China-trained Nagas and Indian Security forces on the Burmese Border ..	138—143
'आर्गनाइजर' के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Editor of 'Organiser' ..	143
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	144
ध्यानाकर्षण सूचनाओं तथा विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में	Re. Calling Attention Notices and Points of Privilege ..	145
सदस्य (श्री जे० एच० पटेल) की गिरफ्तारी तथा दोषसिद्धि	Arrest and Conviction of Member (Shri J. H. Patel) ..	145
अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1969-70	Demands for Grants (Railways), 1969-70 ..	146—173
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	..146, 168—172
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen ..	146—147
श्री को० सूर्यनारायण	Shri K. Surya Narayana ..	147—148
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa ..	148—149
श्री चंद्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad ..	150
श्री भगवान दास झा	Shri Bhagwan Das Jha ..	150—151
श्री सोनावने	Shri Sonavane ..	151
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu ..	151—153
श्री अ० त्रि० शर्मा	Shri A. T. Sharma ..	153—155
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi ..	155
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh ..	155—156

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री मीठालाल मीना	Shri Meetha Lal Meena	.. 156—157
श्री अ० सिं० सहगल	Shri A. S. Saigal	.. 157—158
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	.. 158—159
श्री न० प्र० यादव	Shri N. P. Yadab	.. 159—160
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	.. 161
श्री हीरजी भाई	Shri Heerji Bhai	.. 161—162
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	.. 162—163
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	.. 163—164
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	.. 164—165
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	.. 165
श्री के० एम० अब्राहम	Shri K. M. Abraham	.. 166—167
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai	.. 167
श्री द० रा० परमार	Shri D. R. Parmar	.. 167—168
विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1969	Appropriation (Railways) Bill, 1969	.. 174—175
पुरःस्थापित	Introduced	.. 174
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	174
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	.. 174—175
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	.. 174—175
खण्ड 2, 3, 1 और अनुसूची	Clauses 2,3, 1 and the schedule	175
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	.. 175

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 18 मार्च, 1969/27 फाल्गुन, 1890 (शक)
Tuesday, March 18, 1969/Phalguna 27, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बिहार में टाटा की नई मरसिडीज बैंज चेसिस पर लगाया गया अधिभार

*541. **श्री शिव चण्डिका प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने नवम्बर, 1968 से टाटा की नई मरसिडीज बैंज चेसिस पर 3 प्रतिशत अधिभार लगाने के संबंध में मैसर्स टैलको के प्रस्ताव का, जो अभी तक बिहार के व्यापारियों पर लागू नहीं होता था, कड़ा विरोध किया है और 17 दिसम्बर, 1968 को अपनी महासभा की बैठक में एक संकल्प पास करके इस अधिभार का विरोध किया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मानु प्रकाश सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, बिहार ने मैसर्स

टेल्को द्वारा नवम्बर, 1968 से नई टाटा मर्सीडीज बैंज की चेसीस के मूल्यों पर 3 प्रतिशत अधिभार लगाने के प्रस्ताव पर आपत्ति की है और उन्होंने इस अधिभार का विरोध करते हुए एक संकल्प पास किया है। फिर भी इस मामले पर मेसर्स टैल्को से बातचीत की गई थी और उन्होंने यह बताया है कि बिहार में टाटा मर्सीडीज बैंज के मूल्य कम होने से जिसका कारण यह है कि राज्य के अन्दर बेचे जाने वाली गाड़ियों पर केन्द्रीय बिक्री कर में 3 प्रतिशत बचत हो जाती है। अन्य राज्यों के चालक बिहार के विक्रेताओं से गाड़ियां खरीद कर उन्हें अन्य स्थानों को भेज देते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि 1968 के बाद वाले हिस्से में इस प्रकार की बिक्री में काफी वृद्धि हुई है। जिसका परिणाम यह निकला है कि अन्य विभिन्न राज्यों के टाटा मर्सीडीज बैंज के विक्रेताओं से उनके व्यापार में हानि की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कम्पनी के अनुसार इस स्थिति को सुधारने के लिए उसने बिहार में बेची जाने वाली अपनी सभी गाड़ियों के मूल्यों में 1,200 रु० की वृद्धि कर दी है। इसके अतिरिक्त उसका यह भी कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से इस दिशा में वांछित परिणाम निकले हैं। बिहार के वास्तविक परिवहन चालक इस वृद्धि से अप्रसन्न हैं। कम्पनी ने बताया है कि उसने ऐसी परिस्थिति में इस समय अधिभार को हटा दिया है और वह इस समस्या को हल करने के वैकल्पिक उपाय पर विचार कर रही है।

श्री शिव चण्डिका प्रसाद : इस समय बिहार में जो भी सामान बनता है बिना किसी कर के उसे बिहार से बाहर बेचे जाने की अनुमति है तथा इस प्रकार बिहार सरकार को, जहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भारत में इस समय न्यूनतम है, केवल टाटा मर्सीडीज से प्रतिमाह 30 लाख रुपये की हानि होती है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या टैल्को ने यह अधिभार लगाने से पहले बिहार सरकार तथा भारत सरकार, जो कि टैल्को की हिस्सेदार भी हो, की अनुमति प्राप्त की थी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : अनुमति लेने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अब यह एक विनियंत्रित वस्तु है और निर्माता जो मूल्य चाहे वसूल कर सकता है। परन्तु यदि हमें यह पता चलता है कि वे अपनी उत्पादन लागत से बहुत अधिक ले रहे हैं, तो फिर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है ये ट्रक बिहार में बनाये जाते हैं और इसीलिये उन्हें वहां 3 प्रतिशत केन्द्रीय कर नहीं देना पड़ता, जबकि अन्य स्थानों पर केन्द्रीय बिक्री कर देना पड़ता है। इसलिये बहुत से चालक बिहार से ट्रक खरीद रहे हैं और अन्य राज्यों के व्यापारियों को इन ट्रकों को बेचने से वंचित किया जा रहा है। उनके द्वारा उठाई गई आपत्ति के आधार पर उन्होंने मूल्यों में वृद्धि कर दी है, ताकि अन्य राज्यों के व्यापारियों की मांग को पूरा किया जा सके। जब इस मामले की ओर इस प्रश्न के माध्यम से हमारा ध्यान दिलाया गया था तब हमने यह मामला निर्माताओं के साथ उठाया था और उन्होंने कहा है कि वे 1 मार्च से अधिभार नहीं लेंगे तथा वे अन्य राज्यों के व्यापारियों के लिये कोई वैकल्पिक उपाय सोचेंगे।

श्री शिव चण्डिका प्रसाद : क्या यह सच है कि इस अधिभार के कारण बिहार के व्यापारियों की बिक्री कम हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत से व्यक्तियों को नौकरी से निकाल दिया गया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जी नहीं, यह सच नहीं है ।

Shri George Fernandes : I fail to understand why the Tata Company has increased the price by Rs. 1200 per vehicle on all vehicles sold in Bihar and thus earned Rs. 1200 on each valhicle, when the 3% Central Tax has not been levied there. The question was raised here and the Hon. Minister wrote to them and it was after that, they decided not to charge any extra money after 1st March. I want to know whether the Hon. Minister will ask them to repay the extra amount charged by them. There are many instances in which companies have been asked to repay the extra amount charged by them. The Government of India had written to an American Company to return an amount of Rs. 9 crores which was charged by them in excess. I want to know whether the Tata Company will be asked to return the amount of Rs. 1200 per truck which they have charged in excess.

Shri F. A. Ahmed : This question is being considered for those who are genuine dealers and operators of Bihar. But it will be difficult to consider this question for those who have purchased truck from Bihar only because there was no Central Sales Tax. Even then I will write to them to return the extra money, if possible.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार औद्योगिक समवायों के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना कब बन्द करेगी । इस विशिष्ट मामले में मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि तीन प्रतिशत अधिभार कुछ विशेष परिस्थितियों में लगाया गया था और चूंकि यह एक विनियंत्रित वस्तु है इसलिये सरकार की हस्तक्षेप करने की कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा कम्पनी के दैनिक मामलों में हस्तक्षेप करने और मूल्य को स्थिर रखने अथवा उन्हें बढ़ाने इत्यादि का प्रयत्न करने का क्या औचित्य है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मूल्य को बढ़ाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता परन्तु बिहार के चालकों तथा व्यापारियों की मांग का प्रश्न जरूर है । उनकी मांग यह थी कि मूल्यों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये । इसी आधार पर मैं उनसे कहूंगा और यह उचित भी है । अब चूंकि उन्होंने यह कहा है कि वे अधिक मूल्य नहीं लेंगे, इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने इस मांग के औचित्य को स्वीकार किया है । इसलिये उन्होंने पहले जो अधिक रुपये ले लिये हैं, उनकी वापसी के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरा प्रश्न बिल्कुल भिन्न था । यदि सरकार यह स्वीकार करती है कि यह विनियंत्रित वस्तु है, तो क्या सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिये था और यह कहना कि इतना मूल्य लो और इतना न लो उचित है ? यह निर्माताओं तथा व्यापारियों का मामला है और सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : यह प्रश्न सरकार को उन्हें कहने का नहीं है। मैं समझता हूं कि वे स्वयं इस मामले के औचित्य को समझेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

Shri K. N. Tiwari : The Hon. Minister has just stated that because there is no Central Sales Tax in Bihar on the sales of these trucks, people from other States come there and purchase trucks. Bihar Government has levied sales tax on agricultural equipments like tractors etc. I want to know whether Government have tried to know the justification of imposing sales tax on agricultural equipments, when no sales tax has been imposed on Tata Mercedez?

Shri F. A. Ahmed : Perhaps the Hon. Member is aware of the fact that 3% sales tax is not levied on the sales of an item within that State in which it is manufactured. Because Jamshedpur, the place where the trucks etc. are manufactured, is in Bihar, therefore Central Sales Tax has not been imposed there. That is why the trucks are cheaper there by 3 per cent.

Agitation by Republican Party of India for Demands of Depressed Classes

*542. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Republican Party of India while placing certain demands for the welfare of the depressed classes have announced recently that they will launch an agitation to press their demands ; and

(b) if so, Government's reaction to their demands ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुत्याल राव) : यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का तात्पर्य किस विशिष्ट घोषणा से है। फिर भी सरकार को कोई ऐसी मांगें पेश नहीं की गई हैं।

Shri Yashwant Singh Kushwah : May I know whether the Government is satisfied with the present conditions of depressed classes and if not, what new steps are being taken for their alround progress ?

Shri Muthyal Rao : The Hon. Member's question was regarding the manifesto of Republican Party. All political parties have placed their manifestos before the public during mid-term elections. They have placed their policies before the public and the public have given their verdict on them.

Shri A. B. Vajpayee : The question does not relate to the manifesto.

Shri Muthyal Rao : It was asked whether Government had received any demands. I want to say no demands had been put forward before the Government.

Shri Yashpal Singh Kushwah : I have not asked about manifesto. I have asked whether the Republican Party which is threatening for an agitation have placed any demands and if so the Government's reaction thereto ?

Shri Muthyal Rao : We have received no demands.

Shri Yashwant Singh Kushwah : I have asked whether Government is satisfied with the present conditions of the depressed classes and if not what steps are being taken for their alround progress ? This question has not been answered.

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये तथा राज्य सरकारों द्वारा उत्तरोत्तर अधिक से अधिक धनराशि खर्च की जा रही है। उदाहरण के तौर पर चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में योजना तथा गैर-योजना खर्च पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का 320 रुपये खर्च करने का विचार है, जबकि गत 18 वर्षों में कुल 375 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। इसलिये पिछड़ी जातियों की दशा को सुधारने के लिये सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है।

वर्ष 1964-65 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर क्रमशः 69 लाख तथा 31 लाख हो गई थी, जो मिलाकर 1 करोड़ होती है, जबकि वर्ष 1961 में उनकी संख्या केवल 29 लाख और 12 लाख थी। मैं सरकार की ओर से यह दावा तो नहीं करना चाहता कि उन्हें देश की अन्य जातियों के बराबर लाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, तथापि बहुत कुछ किया गया है।

Shri Yashwant Singh Kushwah : I have asked only one question so far. I want to ask another question, which is very important one.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। वह दो प्रश्न पूछ चुके हैं, एक का उत्तर उप-मंत्री द्वारा दिया गया है और दूसरे का मंत्री द्वारा।

श्रीमती सावित्री श्याम : क्या सरकार ने उन कारणों की खोज की है कि अनुसूचित जातियों तथा दलित वर्गों के लोगों को कठिनाइयां क्यों पेश आती हैं और उनके साथ देश भर में सब स्तरों पर अमानवीय व्यवहार क्यों किया जाता है और यदि सरकार इस बात से सहमत है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले अनुदान उन तक नहीं पहुंचते हैं, तो क्या सरकार उनकी सुरक्षा तथा संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय स्तर पर एक स्थायीतंत्र कायम करेगी ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं मानता हूं कि ऐसी कुछ एक दो घटनाएं हुई हैं जिनमें दलित वर्गों के लोगों पर अत्याचार किये गये हैं, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि ऐसी घटनायें सामान्य हैं। इस मामले का विधि तथा व्यवस्था की समस्या से घनिष्ट सम्बन्ध है और मैं समझता हूं कि यदि केन्द्र इस उद्देश्य के लिये सुरक्षा दल बनाता है, तो वह राज्य के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करना होगा।

Shri Yashwant Singh Kushwah : The people of Depressed Classes are still treated as untouchables and untouchability has not so far been eradicated completely. Though posts are reserved for them, but they are not given full representation in their reserved quota. They are appointed to lower posts only and the high officers do not treat them well. The people of Depressed Classes want land for agriculture, but land is not given to them. They are facing difficulties in all walks of life. I want to know the steps being taken by Government to remove these difficulties.

श्री गोविन्द मेनन : पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों इत्यादि को नौकरी देना तथा उन्हें भूमि आदि देना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में है परन्तु जब कभी हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं तो हम सम्बन्धित राज्य सरकार को सतर्क करते हैं और अपेक्षित कार्यवाही करने का अनुरोध करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको पता है कि हमने लोक सभा के गत सत्र के दौरान इन तथा अन्य मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिये संसद् की एक स्थायी समिति नियुक्त की थी। सरकार ने पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की दशा के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये इल्यापेरूमाल की अध्यक्षता में भी एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति के प्रतिवेदन की जांच की जा रही है। यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम के होते हुए भी कई स्थानों पर अस्पृश्यता विद्यमान है और यदि ऐसा है तो हमारा विचार इस अधिनियम के उपबन्धों को ऐसे बनाने का है जिससे अस्पृश्यता बरतने वालों को अधिक कड़ी सजा दी जा सके।

श्री प० गोपालन : जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी बताया है इल्यापेरूमाल समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और उसमें बताया गया है कि देश में बरती जा रही अस्पृश्यता का नग्न चित्र खींचा गया है। उसमें बताया गया है कि राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में अस्पृश्यता विशेषरूप से विद्यमान है। राजस्थान में एक विष्णु मन्दिर में जिसका प्रबन्ध स्वयं सरकार के हाथ में है, हरिजनों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस देश में हरिजनों के साथ तृतीय श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दिसम्बर, 1966 में प्रस्तुत किया था और यदि हां तो उस प्रतिवेदन की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा वह प्रतिवेदन अभी तक शीतागार में पड़ा है ?

श्री गोविन्द मेनन : समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है तथा हम उन पर कार्यवाही करेंगे। विष्णु मन्दिर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं इस मामले की जांच करूंगा।

श्री प० गोपालन : प्रतिवेदन में स्पष्टतया उल्लिखित है कि ऐसा एक मन्दिर है तथा सरकार द्वारा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री बसुमतारी : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि केवल पदों के आरक्षण से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की बढ़ती हुई मांगें पूरी नहीं होंगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस सिफारिश के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री गोविन्द मेनन : गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा पहले ही एक ऐसी समिति गठित की गई है, जो पदों के आरक्षण की प्रतिशतता में हुई भूलों की जांच करेगी। मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ भूलें हुई हैं। हम भविष्य में यह सुनिश्चित करेंगे कि आरक्षित प्रतिशतता के अनुसार उन्हें नौकरियां दी जायें।

Shri Sarjoo Pandey : The main problem of untouchables and that of the Depressed classes is regarding land. The workers of Republican Party are carrying on an agitation even today. It has been reported in the newspapers that they have been arrested and put into jails in Delhi itself. Last time an agitation was launched by my party and the Socialist Party in U. P. that land should be given to these people for residential purposes. At that time an assurance was given by the Government that land would be given to them. Even today there are lakhs of such people who have no land to construct their houses. So far as the question of untouchability is concerned it is not going to be eradicated so long you are in power, because your Government itself believes in untochability. I want to know the steps which are being taken by Government to give them land, so that they may get places at least to live in.

श्री गोविन्द मेनन : जब तक भूमि राज्य का विषय है तब तक मैं अनुसूचित जातियों तथा अन्य व्यक्तियों को भूमि देने के बारे में कोई अश्वासन नहीं दे सकता, परन्तु मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि जहां कहीं भी उनके मामलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मैं राज्य सरकारों को सतर्क करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि उनके मामलों पर ध्यान दिया जाये ।

Shri Sita Ram Kesari : I agree that a proper allocation is being made in the Fourh Five Year Plan for the betterment of Scheduled Castes, but I want to know whether Government have any scheme for the betterment of backward classes by giving them economic assistance and other facilities, just like Harijans, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

श्री गोविन्द मेनन : हमारा प्रयत्न विभिन्न तरीकों से उनकी दशा को सुधारना है ।

श्री एस० कन्डप्पन : प्रश्न का जो मुख्य उत्तर दिया गया है, वह बहुत भ्रामक है । तीन अथवा चार वर्ष पहले भारत की रिपब्लिकन पार्टी ने संसद् के समक्ष आन्दोलन किया था तथा एक भारी प्रदर्शन किया था तथा सरकार के सामने कुछ मांगें रखी गई थीं और भारत सरकार द्वारा उन्हें वचन दिये जाने पर वह आन्दोलन वापस लिया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि भारत की रिपब्लिकन पार्टी द्वारा तीन अथवा चार वर्ष पूर्व रखी गई उन मांगों के बारे में भारत सरकार द्वारा क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

दूसरे क्या सरकार को पता है कि संवैधानिक संरक्षकों के होते हुए भी देश में दलित वर्गों के व्यक्तियों की स्थिति बड़ी दयनीय है । भारत के लिये अभी तक अस्पृश्यता का होना एक अभिशाप है । भूतकाल में हमने इस देश में बहुत सी दुःखद घटनायें देखी हैं । हमारे देश में कुछ वर्गों के कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐसे संकल्प भी पारित किये गये हैं, जिनमें जातिवाद को उचित बताया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है और क्या लोगों को दलित वर्गों की वर्तमान स्थिति से परिचित करने के लिये एक लोकप्रिय जन-आन्दोलन आरम्भ किया जायेगा ?

श्री गोविन्द मेनन : मुझे उन लोगों पर दया आती है जिन्होंने ऐसे संकल्प पारित किये हैं ।

श्री एस० कन्डप्पन : मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं इसका

विरोध करता हूं । मैंने एक विशिष्ट मामले की ओर उनका ध्यान दिलाया था । एक आन्दोलन हुआ था तथा मुझे याद है कि हमारे स्वर्गीय नेता श्री अन्नादुरै ने उसमें भाषण दिया था । परन्तु मुख्य उत्तर में कहा गया है कि उन्हें कोई मांगें प्राप्त नहीं हुई थीं तथा उन्हें किसी आन्दोलन की जानकारी नहीं है । परन्तु आन्दोलन हुआ था । इसलिये उनका उत्तर भ्रामक है और ऐसा करना सभा को गुमराह करना है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चाहते हैं कि एक जन-आन्दोलन आरम्भ किया जाये मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय यह उत्तर दे सकेंगे कि वह एक जन-आन्दोलन आरम्भ करेंगे ।

Shri B. N. Kureel: There are lakhs of landless Harijans in the country even today. They depend on the lands of big landlords and they have to work as their landlords desire them to work. We had been in District Tanjoor in Tamilnadu. There had been a major incident in that district and the main reason of that incident was that the Harijans used to work on the lands of big landlords and they were compelled to accept negligible wages. I want to know whether Government propose to enact such law that the land on which a person lives will belong to him, so that nobody can disturb him or remove him from there.

श्री गोविन्द मेनन : यह प्रश्न भी भूमि से सम्बन्धित है । मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि हरिजनों को भूमि देने के लिये कोई कानून बनाना इस सभा के क्षेत्राधिकार में नहीं है ।

मैं साम्यवादी दल के नेता से सहायता की अपेक्षा करता हूं । यहां अन्य दल भी हैं । रामावतार शास्त्री जी बैठ जाइए । इस प्रकार कोलाहल नहीं होना चाहिये । कल मैंने एक व्यक्ति को समय दिया और आज श्री पाण्डे को समय दिया और श्री शास्त्री कोलाहल कर रहे हैं । ऐसे काम नहीं चल सकता । कई सदस्यों को समय देना है इसलिए किसी एक दल को एकाधिकार नहीं जमाना चाहिए ।

Shri Ramavatar Shastri : I am standing from the beginning. You give chances to other members, but you did not allow me.

अध्यक्ष महोदय : आप या तो बैठ जायें, या बाहर चले जाएं, नहीं तो मुझे आपको निकालना पड़ेगा ।

Shri Onkar Lal Berwa : The Hon. Minister has told that a sum of Rs. 375 crores was spent during eighteen years. May I know as to what was the amount sanctioned and the reasons for not spending the remaining amount. Have reports been received from the States that entire amount was not spent and if so what is the unutilised amount?

श्री गोविन्द मेनन : जिस प्रश्न में पिछले अट्ठारह वर्षों का उल्लेख किया गया है उसके उत्तर के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

Shri Chandrika Prasad : The stones were thrown on the procession of Baba Raidass in district Sitapur (U. P.). Two hundred Harijan families settled in Pelibhet are being removed by the Forest Department. Several Harijans were beaten and their houses burnt in Ballia. Will

the Hon. Minister take up with the U. P. Government and impress upon them to take appropriate action.

श्री गोविन्द मेनन : मुझे इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करनी होगी ।

Shri Meetha Lal Meena : The lands purchased by the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people in the cities of Rajasthan have been acquired by the Town Improvement Trusts and are being auctioned. These lands are being purchased by moneyed people. There is a law which prevents the purchase of the lands belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by the persons of other Communities. But there are hundreds of instances where this law has been violated. What is the reaction of the Government towards it ?

श्री गोविन्द मेनन : मुझे पता नहीं कि अनुसूचित जातियों के लोगों की जमीनों को खरीदने से अन्य लोगों को वंचित करना कहां तक संवैधानिक है । यह विक्रय का मामला है । यदि किसी विषमता के बारे में कोई सदस्य मुझे पत्र लिखेगा तो मैं अवश्य सम्बन्धित राज्य से उस विषय में पत्र-व्यवहार करूंगा ।

Shri Meetha Lal Meena : Such complaints have been received by you and the Prime Minister.

श्री गोविन्द मेनन : जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा ।

श्री मनुभाई पटेल : हम दस वर्षों में सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के सम्बन्ध में संवैधानिक उपबंध को लागू करने में सफल नहीं हुए और उस अवधि को बढ़ाते जा रहे हैं । भारत में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की संख्या बढ़ी है । क्या सरकार यथाशीघ्र अन्य सभी संरक्षणों को समाप्त करके उन्हें केवल आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित रखेगी ?

श्री गोविन्द मेनन : यह नीति का विषय है । इसलिए मैं कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री स्वैल : उपमंत्री ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि दलित वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उन्हें कोई मांग-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु उन वर्गों की वर्तमान स्थिति ही उनकी कठिनाइयों को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है । दलित वर्गों की उन्नति पर व्यय की गई राशि के आंकड़ों को पढ़कर मंत्री जी ने अपनी ही बात का खण्डन किया है मानोकि समस्या धन की है । इन लोगों को होने वाली असुविधाएं सामाजिक एवं राजनीतिक हैं । मंत्री महोदय ने अपने बचाव पक्ष में कहा हैं कि कानून और व्यवस्था का प्रश्न राज्य का विषय है । माननीय मंत्री यह बताएं कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार में जब पीछे चुनाव हुए थे, और वहां राष्ट्रपति का शासन चल रहा था, तब अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के अनेक लोगों को मतदान करने से बलात रोका गया था और इस बल-प्रयोग में कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी । क्या मंत्री जी बताएंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उस समय उन कृत्यों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की थी तथा क्या दोषी व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया था ?

श्री गोविन्द मेनन : मध्यावधि चुनावों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की रिपोर्ट की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि चुनावों के संचालन और निरीक्षण के बारे में उत्तरदायित्व उन्हीं का है। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने तक मैं नहीं कह सकता कि क्या कुछ व्यक्तियों को मतदान के अधिकार के प्रयोग करने से बलात रोका गया था अथवा नहीं तथा क्या इस कार्रवाई में कुछ व्यक्तियों की हत्याएं भी हुई थीं अथवा नहीं।

श्री स्वैल : इसके साथ ही उन्होंने कहा है यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। क्या वह बताएंगे कि जब किसी व्यक्ति पर हमला होता है अथवा किसी की हत्या की जाती है तो क्या सरकार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी पड़ती है अथवा सरकार को तुरन्त कार्रवाई करनी पड़ती है।

श्री गोविन्द मेनन : सरकार को कार्रवाई करनी पड़ती है। परन्तु यहां प्रश्न यह है कि मुझे इस बारे में जानकारी है अथवा नहीं। मुझे जानकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की रिपोर्ट आने पर ही मिल सकती है।

श्री नम्बियार : यह रिपोर्ट उन्हें 1972 के निर्वाचन के पश्चात ही मिलेगी।

लोक-सभा तथा राज्य विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचन

+

*543. **श्री रा० वें० नायक** : **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री जे० मुहम्मद इमाम : **श्री हरदयाल देवगुण** :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-सभा और राज्य विधान सभाओं के कुल कितने स्थान ऐसे हैं जिनके लिए अभी तक उप-निर्वाचन नहीं कराये गये ; और

(ख) इन निर्वाचन-क्षेत्रों में उप-निर्वाचन कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री यूनुस सलीम) : (क) लोक-सभा के चार और राज्य विधान सभाओं के 39 उप-निर्वाचन होने को हैं।

(ख) रिक्तियों की संख्या और उन रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन, कराने के लिए की गई कार्रवाई दर्शित करने वाले विवरण सदन के पटल पर रख दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 386/69]

श्री सु० कु० तापड़िया : विवरण में एक राज्य तथा एक निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि सदस्य की मृत्यु के कारण 12-10-69 को स्थान रिक्त हुआ है।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : यह टाइप की गलती है जो 1968 के स्थान पर 1969 टाइप हो गया है।

श्री सु० कु० तापड़िया : विवरण के पृष्ठ 4 तथा 5 में राजस्थान में टोंक तथा नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्रों का उल्लेख है । किन्तु राजस्थान में अभी अकाल की स्थिति चल रही है जिसे सरकार द्वारा नजरअन्दाज किया गया है । राजस्थान में व्याप्त अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और इस बात को देखते हुए कि सरकार वहां राहत कार्यों पर भारी राशि खर्च कर रही है जिसका चुनाव परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है, क्या केन्द्रीय सरकार निर्वाचन आयोग से वहां तब तक ये उप-चुनाव न करने के लिये कहेगी जब तक वर्तमान स्थिति समाप्त नहीं हो जाती, अर्थात् सितम्बर अथवा अक्तूबर, 1969 तक ?

श्री गोविन्द मेनन : साधारणतया हम इन मामलों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सीधे निदेश नहीं देते, इन मामलों के लिये संविधान के अन्तर्गत वही अधिकारी है और उसने राजस्थान के नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोजित करने का समय मई, 1969 निश्चित किया है । हमारा विचार उनके निर्णय में हस्तक्षेप करने का नहीं है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : ऐसी स्थिति में सरकार उनसे कह सकती है और मुख्य मंत्री को सलाह दे सकती है ।

श्री गोविन्द मेनन : मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने मुख्य मंत्री से परामर्श किया होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य निर्वाचन आयुक्त सरकार अथवा राज्य के मुख्य मंत्री से परामर्श करता है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : सरकार हस्तक्षेप न करे, वह ठीक है । परन्तु सभा में निर्वाचन आयुक्त की ओर से उत्तर देने वाला कौन है ? सरकार उससे क्या कहती है और क्या नहीं कहती, हम नहीं जानते । परन्तु निर्वाचन आयुक्त की ओर से मंत्री जी को उत्तर तो देना ही पड़ेगा ।

श्री गोविन्द मेनन : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया है कि अकाल की स्थिति के कारण चुनाव मई तक के लिये स्थगित कर दिया गया है और जैसा कि आपने कहा है, उन्होंने राज्य सरकार से परामर्श किया होगा । राज्य विधान सभा के चुनावों के मामले में राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों तथा राज्य में व्याप्त परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है ।

Shri Hardayal Devgun : There is no mention of one very important and relevant matter in the statement. The election of Shri D. P. Mishra of Madhya Pradesh has been declared void on the charges of corruption and he has been disqualified to contest election for the next 6 years. May I know whether he has got a copy of the decision and if so, the reasons for not showing his seat vacant in the statement ? I want to know the time by which the by-election will be held after declaring his seat vacant.

श्री गोविन्द मेनन : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । दो-तीन दिन पूर्व मैंने

समाचारपत्रों में इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ा था। परन्तु मुझे अभी तक उसकी प्रति मिल नहीं सकी।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : जम्मू तथा काश्मीर राज्य में बहुत समय से कई स्थान रिक्त पड़े हैं। उन्हें छः महीने के भीतर भरने का प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता ? उन्हें न भरने का कारण यह बताया गया है कि नवम्बर, 1968 में रमजान के कारण चुनाव नहीं करवाये जा सके। परन्तु प्रश्न तो यह है कि रमजान के पूर्व ये उप-चुनाव क्यों नहीं कराये गये।

श्री मु० यूनस सलीम : जम्मू तथा काश्मीर में नवम्बर से अप्रैल तक अत्यधिक ठंड तथा हिमपात के कारण चुनाव कराने संभव नहीं हैं। इसलिए उप-चुनाव अप्रैल के बाद ही होंगे।

श्रीमती गायत्री देवी : जालोर निर्वाचन क्षेत्र में, जहां के विधायक की नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के विधायक से एक महीने बाद, अर्थात् जुलाई, 1968 में मृत्यु हुई, और जिसे पहले ही अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था उप-चुनाव पहले हो गया है और नसीराबाद में, जहां स्थान पहले रिक्त हुआ था और अकाल की कोई स्थिति नहीं थी अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। यह कैसे हुआ ? इस स्पष्टीकरण में कोई औचित्य नहीं है। क्या चुनाव के लिये उपयुक्त वातावरण का अर्थ सत्तारुढ़ दल के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करने से है ?

श्री गोविन्द मेनन : नसीराबाद उप-चुनाव के बारे में मुझे यह रिपोर्ट मिली है कि यह स्थान 8-7-68 को रिक्त हुआ था और उप-चुनाव 1968 के अन्त में होने वाला था—यह तिथि मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निश्चित की गई थी—किन्तु अकाल की स्थिति के कारण उसे स्थगित करना पड़ा। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने उन्हें अभ्यावेदन भेजे होंगे।

जहां तक जालोर में पहले चुनाव कराने का—वह भी अकाल की स्थिति में—सम्बन्ध है, मैं इस बारे में जांच करूंगा और तब जानकारी दूंगा।

श्री बलराज मधोक : नसीराबाद अकाल-ग्रस्त क्षेत्र को घोषित नहीं किया गया फिर कैसे उप-चुनाव स्थगित हुआ।

Shri B. N. Bhargava : Excepting Nasirabad Cantonment area, the rest is rural area and there are famine conditions.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान श्री द्वा० प्र० मिश्र द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने का हाल में जो निर्णय दिया गया है उसे निम्प्रभावी बनाने के लिए वह चुनाव आयोग से कहेंगे और इस बात को मान लिया जायेगा ? इससे जाहिर होता है कि उनका बहुत राजनैतिक प्रभाव है। क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि श्री मिश्रा को चुनाव आयोग की सत्यनिष्ठा पर आक्षेप नहीं करने दिया जायेगा और उन्हें कहीं भी कोई राजनैतिक दबाव नहीं डालने दिया जायेगा ?

श्री गोविन्द मेनन : मुझे आशा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर राजनैतिक दबावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह अपना कर्तव्य विचारपूर्वक निभायेंगे ।

श्री रंगा : हमें ऐसी ही आशा करनी चाहिए ।

Reduction in Maximum Limit of Election Expenses

+
*544. **Shri Prakashvir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the question of reducing the maximum limit of election expenses ;

(b) if so, the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ;

(c) whether it is a fact that most of the candidates do not exercise full care while submitting statement of election expenses ; and

(d) if so, whether Government are considering to relax this rule also ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Prakashvir Shastri : May I know whether the Election Commission has submitted any information to the Government that most of the elected representatives, whether they are M. Ps. or M.L.As. including Ministers—do not submit correct statements of their election expenses, which is a sorry state of affairs ? It is a matter of regret that members of Legislatures resort to malpractices in the matter of furnishing accounts of their election expenses which is below the dignity of their status. I would, therefore like to know whether Government propose to issue any clear instructions in this regard so that this malpractice might be discouraged ?

Shri M. Yunus Saleem : We are trying to see that more stringent steps are taken in connection with the filing of election returns and further we are also taking steps to ensure that these statements of election expenses are accompanied by expenditure vouchers showing details of expenses including expenditure incurred by the party concerned. We want that an affidavit should also be submitted alongwith such returns so that action could be taken where the maximum limit exceeds.

Shri Prakashvir Shastri : The Hon. Minister has stated that steps are being taken to see that these returns are accompanied by affidavits. Which would mean that we are going to allow this malpractice to continue and this procedure would further encourage this practice. Keeping this fact in view, I want to know whether Government are contemplating any such measures as would help a candidate reduce his election expenses as also save him from taking recourse to furnishing false or incorrect returns.

Shri M. Yunus Saleem : The very purpose of the provision requiring submission of an affidavit is to make the person filing wrong returns liable to prosecution. Unless such an affidavit

is filed, a person cannot be prosecuted for furnishing a wrong statement of his election expenses. In such cases, action can be taken only after the returns are filed.

Shri Shiv Kumar Shastri : It is not possible for a successful candidate to give a full and detailed account of his election expenditure incurred on each and every item. It is, therefore, desirable to remove these restrictions altogether.

May I know whether in view of the fact that despite all the possible care being taken while filing the election returns, some minor errors are bound to creep in. In view of the fact that these accounts are scanned minutely at the stage of election petitions, and objections are raised, do the Government propose to take a liberal attitude to set at naught such trivial objections ?

Shri M. Yunus Saleem : All these factors are receiving full consideration and all the proposals coming forth in this regard are being examined so that changes, if any, could be effected in the Law.

Shri M. A. Khan : May I know whether in view of the fact that the Government have fixed the maximum limit of election expenses which is practically very difficult for a candidate to adhere to with the result that he has to submit false statement of election expenses, Government propose to bring new legislation to rescind this provision so that none is required to get over the constrains imposed by the election law ?

Shri M. Yunus Saleem : No such proposal is under consideration.

Shri Atal Bihri Vajpayee : Sir, there is no proposal to amend or effect the radical changes in the Representation of the People Act. For example, steps to minimise election expenses, to check casting of bogus votes and purchase of votes. The U. K. has, with a view to amending the electoral laws in force in England convened four conferences so far under the Chairmanship of the Speaker of the House of Commons. I want to know whether the Law Minister would convene a conference representing all the Political Parties in the country, under the Chairmanship of the Speaker, Lok Sabha to examine the election law de-novo so that the requisite amendments could be made therein ?

श्री गोविन्द मेनन : अध्यक्ष महोदय, यदि आपके निर्देशन तथा अध्यक्षता में देश के चुनाव कानूनों पर विचार किया जाये, तो मुझे बहुत खुशी होगी और जब प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के लिये विधान लाने में भी मुझे हर्ष होगा। चुनाव सम्बन्धी जो कानून देश में आज लागू हैं उनके अनेक पहलुओं पर मैंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ विचार-विमर्श किया है और उन्होंने चुनाव कानून में व्यापक संशोधन के लिये सिफारिशें भेजने का वायदा किया है जिससे, ऐसी आशा है, कई त्रुटियां दूर हो जायेंगी। फिर भी बहुत से लोग इतने अधिक चालाक होते हैं जो अपने को चुनाव कानून द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के दायरे में नहीं फसने देते। लेकिन माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव मुझे मान्य है।

श्री वेदव्रत बरुआ : जो कुछ कहा जा रहा है उसमें बहुत सचाई है। क्योंकि चुनाव खर्च का जो ब्योरा दिया जाता है उसमें वास्तविकता नहीं होती। कुछ विचित्र पहलू हैं, पार्टियां जितना चाहें खर्च कर सकती हैं और इस कारण उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से खर्च कर सकते हैं और अपना अधिकांश खर्च पार्टी को हस्तान्तरित कर देते हैं, खर्च के मामले में फिर भी वे

सीमा के ही भीतर रहेंगे। ये सब कदाचार कानूनन दण्डनीय हैं। क्या सरकार इस व्यय की अधिकतम सीमा को समाप्त करेगी ताकि सदस्य लोग संसद् अथवा अन्य विधान मंडलों में सर्व प्रथम झूठ बोलकर प्रवेश न करना पड़े ?

श्री गोविन्द मेनन : यह भी एक सुझाव है।

श्री के० रमानी : चुनाव पर बहुत ज्यादा खर्च होने लगा है और भविष्य में किसानों के अथवा सामान्य कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के लिये चुनाव लड़ना सम्भव नहीं है।

मैं सरकार का ध्यान एक गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं कि नागरकोयल निर्वाचन क्षेत्र में 1000 से अधिक मोटर-गाड़ियों का प्रयोग किया गया था। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में मेरे प्रतिद्वन्दी ने अपने चुनाव में 17 लाख रुपये खर्च किये। क्या सरकार, इन परिस्थितियों में, खर्च की अधिकतम सीमा को कम करने तथा मोटर-गाड़ियों आदि के प्रयोग पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये तैयार है ? मित्र, रिश्तेदार तथा अन्य कोई भी व्यक्ति खर्च कर सकता है। क्या सरकार समुचित रूप से कानून बनाकर इस प्रकार के कदाचारों को पूर्णतः समाप्त करने के लिये तैयार है ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं समझता हूं कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर आये हैं और 17 लाख रुपये। **(व्यवधान)**

श्री के० रमानी : मेरे प्रश्न का यह उत्तर नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि दूसरे उम्मीदवार ने कितनी अधिक राशि खर्च की है और क्या सरकार को इस बारे में सही जानकारी प्राप्त है।

श्री गोविन्द मेनन : यह एक सुझाव है।

श्री के० रमानी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कैसे कह सकते हैं कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में किस उम्मीदवार ने कितना खर्च किया। आपने एक सुझाव दिया कि इतनी भारी राशि चुनावों में खर्च की जा रही है—जिसे मंत्री महोदय ने नोट कर लिया है। इससे ज्यादा वह और क्या उत्तर दे सकते हैं।

श्री विक्रमचन्द महाजन : यह बात तो सभी जानते हैं कि चुनाव व्यय का जो ब्योरा दिया जाता है वह बिलकुल झूठा होता है और हम देखते हैं कि पार्टियों अथवा उम्मीदवारों के मित्रों पर जो उन पर धन खर्च करते हैं कोई सीमा नहीं लगाई गई है। इसलिये अन्य तरीकों का सहारा लेकर चुनाव कानून का उल्लंघन किया जा सकता है। इन बातों को देखते हुये, क्या इस बारे में विचार करने के लिये मंत्री महोदय सभी दलों की एक संयुक्त समिति बनाने के पक्ष में हैं ताकि वह इस प्रश्न पर भी विचार कर सके कि इस कानून को बनाये रखने की आवश्यकता है भी या नहीं ?

श्री गोविन्द मेनन : ऐसा ही एक सुझाव जो श्री वाजपेई जी ने दिया है, मान लिया गया है।

Shri Maharaj Singh Bharati : I want to know whether the Government are prepared to make a provision for the supply of identity cards to the entire population in the country as also in respect of compulsory voting with arrangements of a common platform for all the candidates to place their views before the public so that no candidate is required to spend huge amount—even if one desires to do so—. Secondly, it would also help bring down the election expenses.

श्री गोविन्द मेनन : चुने हुये शहरी क्षेत्रों में आइडेंटिटी कार्ड सप्लाई करने का उपबन्ध कानून में अब भी मौजूद है। लेकिन विचार इस बात पर करना है कि प्रशासनिक दृष्टि से देश में समूची आबादी के लिये ऐसा करना सम्भव भी हो सकेगा।

Shri Sheo Narayan : The procedure to supply identity cards to voters, if accepted, would stop the entry of such people into India as come from Pakistan. When the Government are willing to consider the advice of Shri Vajpayee, why do they not form a Committee immediately ? In so far as the returns of election expenses are concerned, it is not possible for a candidate to give minute details of expenditure incurred on items like tea, bidi, cigarettes, etc. It is, therefore, not advisable to ask for details of such expenditure.

श्री गोविन्द मेनन : मैं श्री शिवनारायण के सुझाव को भी मानने के लिये तैयार हूं।

Shri Surendra Nath Dwivedi : It would be a very bad thing if the recommendation to do away with the ceilings is accepted. So far as my knowledge goes, the Chief Election Commissioner had, sometime back discussed this issue with all the political parties and he has suggested certain measures to bring down the election expenses. May I know whether the Government have considered his recommendation that he has made after consulting the different political parties ?

श्री गोविन्द मेनन : जी, हां। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सरकार के सामने एक सिफारिश रखी है कि देश में व्याप्त आज की परिस्थितियों को समुचित रूप से ध्यान में रखते हुये, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिये चुनाव व्यय के सम्बन्ध में निर्धारित अधिकतम सीमा बढ़ाई जानी चाहिये। मेरा विश्वास है कि यह सिफारिश विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करके की गई है।

श्री लोबो प्रभु : यह बात मान भी ली गई है और इससे कभी इन्कार भी नहीं किया जा सकता कि चुनावों पर निर्धारित अधिकतम सीमा से कहीं अधिक खर्च किया जाता है। मंत्री महोदय द्वारा समिति गठित करने के प्रश्न पर सहमति प्रकट किये जाने के सन्दर्भ में, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह समिति निम्नलिखित चार मूल बातों पर विशेष रूप से विचार करेगी :—

(क) चुनाव व्यय के सम्बन्ध में हिसाब-किताब रखने की प्रक्रिया;

(ख) सरकारी कर्मचारियों तथा मशीनरी का चुनावों में अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग को रोकने के लिये प्रक्रिया निर्धारित करना;

(ग) पार्टियों द्वारा खर्च की गई राशि को उम्मीदवार के हिसाब में दिखाने का प्रश्न; और

(घ) उम्मीदवार के सम्बन्धियों द्वारा खर्च की गई राशि को उम्मीदवार के खर्च के ब्योरे में शामिल करने का प्रश्न ?

श्री गोविन्द मेनन : मुझे यकीन है कि इन सभी कीमती सुझावों पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

फूलपुर (उत्तर प्रदेश) के निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचनों में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग

*545. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन के दौरान सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किये जाने के बारे में निर्वाचन आयोग को शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से भारत में परिवार तथा बाल कल्याण योजनाओं के लिये सहायता

*546. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के बीच एक करार किया गया है, जिसके अन्तर्गत भारत को परिवार नियोजन तथा बाल कल्याण योजनाओं के लिये 27.75 लाख रुपये मिलेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस करार का ब्योरा क्या है और राज्यवार कितना-कितना धन खर्च किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) अब तक आरम्भ की गई परियोजनाओं के राज्यवार आवंटन का विवरण पत्र संलग्न है ।

इस करार के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा दी जाने वाली सहायता परियोजनाओं को सम्भरण तथा उपकरणों, निरीक्षकों और परियोजनाओं के अन्य कर्मचारियों को जीप,स्कूटर और बाईसिकलों के रूप में तथा परियोजना को चलाने वालों के प्रशिक्षण के व्यय की पूर्ति के रूप में होगी । कर्मचारियों की तनखाह, भवन पर किया गया खर्च, तथा उस सम्भरण और उन उपकरणों, जो संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से प्राप्त होने वालों के अतिरिक्त हों, की लागत का खर्च सरकार पर होगा ।

विवरण

10-3-69 तक गठित परिवार और बाल कल्याण योजनाओं का राज्यवार आवंटन

राज्य	संख्या
आन्ध्र प्रदेश	2
असम	8
बिहार	3
दिल्ली	1
गुजरात	11
हरियाणा	5
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू-काश्मीर	1
मध्य प्रदेश	10
महाराष्ट्र	24
मनीपुर	2
मैसूर	14
उड़ीसा	7
पांडीचेरी	2
पंजाब	5
राजस्थान	2
तामिलनाडू	2
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	7
पश्चिम बंगाल	8
	117

बोकारो इस्पात कारखाने में बेकार पड़ी रूसी मशीनें

*547. **श्रीमती इला पालचौधरी : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के लिये रूस से आयात की गई मशीनें, फालतू पुर्जे और स्नेहन तेल न मिलने के कारण बेकार पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो बेकार पड़ी मशीनों का पूरा-पूरा ब्योरा क्या है ;

(ग) ये मशीनें कब से बेकार पड़ी हैं ;

(घ) अपेक्षित सामग्री प्राप्त करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ; और

(ङ) मशीनों का कब से पुनः प्रयोग किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). संभवतः बोकारो में स्थल को समतल करने के लिये रूस से आयात किये गये अपघर्षकों और बुलडोजरों से अभिप्राय है ।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने बोकारो के स्थल समतलीकरण के लिए आयात किये गये अपघर्षकों और बुलडोजरों में से 20 अपघर्षकों और 8 बुलडोजर लिये थे । अधिकांश कार्य पूरा हो जाने पर इनमें से कुछ अपघर्षक और बुलडोजर कम्पनी की आवश्यकता से अधिक हो गये । इनमें से छः अपघर्षक और 3 बुलडोजर फालतू पुर्जों के अभाव में बेकार पड़े हुये हैं ।

(घ) और (ङ). फालतू पुर्जों के आयात के लिये कदम उठाए गए हैं लेकिन इन अपघर्षकों और बुलडोजरों को फिर से काम में लाने का प्रश्न केवल इस बात पर ही निर्भर नहीं करता कि ये फालतू पुर्जे कितनी जल्दी उपलब्ध होते हैं बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि कम्पनी उन्हें काम में लाने के लिए दूसरा काम कितनी जल्दी हाथ में ले पाती है ।

Survey of Rampur-Kathgodam B. G. Railway Line

*548. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a survey for constructing Rampur-Kathgodam broad-gauge railway line in view of the needs of border security, development of Kumaon hill and Terai areas and transport facilities up to the Agricultural University there and also in view of the tourist facilities has been conducted ; and

(b) if so, the out come there of ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Survey carried out in 1956-57 for a rail link between Rampur and Haldwani (near Kathgodam) had revealed

that the line would be unremunerative and hence its construction was not taken up. However, a fresh traffic survey, together with updating the earlier engineering survey report for this line, has been taken up and a decision regarding its construction will be taken after the revised reports are compiled by the Railway and examined by the Railway Board.

माल डिब्बा निर्माण उद्योग की क्षमता का पूरा प्रयोग किया जाना

*549. **श्री म० सुदर्शनम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल डिब्बा निर्माण उद्योग की कितनी क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) रेलवे ने वर्ष 1969-70 में चार पहियों वाले कितने माल डिब्बों के लिये गैर-सरकारी उद्योगों को क्रयादेश दिये हैं और गत चार वर्षों की तुलना में ये आंकड़े कितने कम या अधिक हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) निकट भूत में किये गये वास्तविक काम के अनुरूप आर्डर उद्योग के पास मौजूद हैं ।

(ख) 1969-70 कार्यक्रम के लिये माल डिब्बों के आर्डरों के सम्बन्ध में अभी विचार किया जा रहा है । पिछले चार कार्यक्रमों में जो आर्डर दिये गये, उनका ब्योरा इस प्रकार है :

कार्यक्रम	दिये गये आर्डर (चौपहियों में)
1965-66	23173.5
*1966-67	2201
1967-68	16320
1968-69	13500

स्टैंडर्ड ड्रम फैक्टरी को इस्पात का कोटा

*550. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स कपाडिया की स्टैंडर्ड ड्रम फैक्टरी को इस्पात का कुछ कोटा दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितना-कितना कोटा दिया गया था ; और

(ग) जब इस उद्योग में अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी तो वह कोटा क्यों दिया गया था ?

*(ये आर्डर 1965-66 के आर्डरों के विस्तार के रूप में दिये गये थे)

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). मे० स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कं० तथा तकनीकी विकास का महानिदेशालय की सूची में अंकित अन्य फर्मों को इस्पात का आवंटन मिल रहा है। पिछले पांच वर्षों में बैरल तथा छोटे ढोल बनाने के लिए इस फर्म को किया गया आवंटन नीचे दिया गया है :

वर्ष	आवंटित परिमाण (मी० टन में)
1964-65	5365.32
1965-66	4184
1966-67	7898
1967-68	10453
1968-69	4430

उपर्युक्त आवंटन कच्चे माल के सम्भरण के लिये स्वीकृत निर्धारित क्षमता के आधार पर किये गये थे।

महानगरों में भूमिगत रेलें

*551. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री ओंकार सिंह : **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में भूमिगत रेलें बिछाने की सम्भावना के प्रश्न पर विचार करने हेतु नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा उन सिफारिशों पर विचार किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). योजना आयोग के महानगर परिवहन दल ने अपनी सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

बिजली-चालित रेलवे इंजनों की गति

*552. **श्री प० मु० सईद :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा सम्बन्धी आयोग ने रेलवे बोर्ड से सिफारिश की है कि भारतीय

रेलों पर बिजली-चालित इंजिनों की अधिकतम गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए ;

(ख) क्या चुने हुए खराब पटरी वाले भागों में रेल गाड़ी की गति परीक्षण सम्बन्धी रिपोर्टों के बारे में इस आयोग की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया था ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस आयोग की सिफारिशों के विपरीत रेलवे बोर्ड ने किन कारणों से बिजली से चलने वाली गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर रखी है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) डब्ल्यू ए एम 1 किस्म के ए० सी० बिजली के रेल इंजनों के मामले में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार की सिफारिश की गयी थी ।

(ख) जी नहीं । 8-10-66 से 17-10-66 तक मानसून की स्थिति में दक्षिण-पूर्व रेलवे के चुने हुए खराब खण्ड पर यंत्रों द्वारा परीक्षण किये गये थे ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा बार-बार और व्यापक रूप से किये गये दोलन-परीक्षणों से पता लगा कि ये रेल इंजन नामित मुख्य लाइन रेलपथ पर 100 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाये जा सकते हैं और निम्नतर सीमा तक रफ्तार को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में कोई ठोस तर्क नहीं था ।

Training of Unemployed Engineers in Small Scale Industries

*553. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Sradhakar Supakar :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Jyotirmoy Basu :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri J. H. Patel :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to provide employment to the unemployed engineers by giving them training in small scale industries and other facilities ;

(b) if so, the outline of that Scheme ; and

(c) the names of those small-scale industries in which Government propose to train them ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The following training course have been organised with a view to providing guidance to unemployed engineers for starting their own small industries :—

(1) Part-time training courses are conducted by the Small Industries Services Institutes in various States under the control of the Development Commissioner for Small Scale Industries. These institutes have trained more than 400 engineers since October, 1967.

(2) At the request of the Ministry of Education, a four month's full-time-course was

organised by the office of the Development Commissioner. 'Small Scale Industries at the Small Industries Service Institute, Okhla, New Delhi, which commenced on the Ist November, 1968 and concluded on the 28th February, 1969. In all 58 engineers were trained. The Ministry of Education paid a stipened @.Rs. 250/- per month to graduate engineers and Rs. 150/- per month to diploma holders who attended the course.

(3) The Ministry of Education initiated in 1949-50 a scheme known as the Practical Training Stipends Scheme with the object of assisting graduates and diploma holders passing out of technical institutions to equip themselves with the necessary practical training for gainful employment. The trainees are given stipeneds of a value of Rs. 250.00 p. m. for graduates and Rs. 150.00 p. m. for diploma holders in Engineering and Technology. The duration of training is generally one year.

(4) A scheme for 'Financial Assistance to Engineers, Technicians and other Technically Qualified Entrepreneurs for setting up Small Scale Industries' has been formulated and circulated to the State Governments as a 'Model Scheme' for inclusion by them for assistance within the State Sector.

Manufacture of High Pressure Epuipment and Heavy Duty Compressor

*554. **Shri Maharaj Singh Bharati : Shri Beni Shanker Sharma :**
Shri Yashpal Singh : Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been prepared for manufacturing High Pressure Equipment and Heavy Duty Compressor during the Fourth Plan ;

(b) whether the requirements of the country would thereby be met ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). Government have decided to set up a project in the Public Sector for the manufacture of heavy compressors and special pumps required by the Fertiliser Industry, Chemical and Petro-Chemical Plants and Steel Plants. Taking into account the existing production facilities and capacities for the manufacture of pumps and compressors available in the country and the likely requirements during the Fourth Plan period, it has been decided to fix the annual capacity of this project at 6,000 tonnes per annum. The type of pumps and compressors proposed to be manufactured in this Project are not being manufactured in the country at the moment and all the items in which the Private Sector showed interest for development and production, have been excluded from its manufacturing programme. The Project is estimated to cost about Rs. 10.68 crores inclusive of a foreign exchange expenditure of roughly Rs. 1 crore. The value of final out-put would be about Rs. 10.8 crores. per annum. In addition, a provision of Rs. 1 crore has been made for a township, bringing the total estimated cost to Rs. 11.68 crores.

मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा कार के पुर्जों का निर्यात

*555. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मोटर्स कारों के पुर्जों का निर्यात करने की संभाव्यता का पता लगा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्यात से देश में मोटर गाड़ियों के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ग) निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा कमाये जाने का अनुमान है ; और

(घ) मोटर गाड़ियों के पुर्जों आदि के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स ने अभी तक यही बताया है कि वे अपने विदेशी सहयोगियों से मोटर गाड़ी के पुर्जों हिस्सों जिनमें कारों के पुर्जे भी सम्मिलित हैं, के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं। अभी उससे कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार के भय का कोई कारण नहीं कि ऐसे निर्यात से देश में मोटर गाड़ियों के उत्पादन को हानि पहुंचेगी। एक कारण तो यह है कि इस समय हिन्दुस्तान मोटर्स में व्यावसायिक गाड़ियों के उत्पादन कम होने के कारण काफी क्षमता अप्रयुक्त है और दूसरा निर्यात की वास्तविक मात्रा का अभी पता लगना है। इसी कारण इस प्रकार के निर्यात से विदेशी मुद्रा के अर्जन का इस समय अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(3) 1968-69 में मोटर गाड़ियों के हिस्सों को आयात करने के लिए मोटर गाड़ी उत्पादकों को स्वीकृत की गई विदेशी मुद्रा 2.5 करोड़ रुपए थी।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

*556. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कुल कितनी राजसहायता दी गई थी ;

(ख) 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कितनी विदेशी मुद्रा की अनुमति दी गई ;

(ग) गत तीन वर्षों में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने स्पात के निर्यात आदि से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ;

(घ) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अब तक उत्पादन के अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को निर्यात पर प्राप्त हुई राज-सहायता की राशि वर्ष 1966-67 में 1 मिलियन रुपये, 1967-68 में 38 मिलियन रुपये और अप्रैल से दिसम्बर, 1968 की अवधि में 35 मिलियन रुपये है।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के फालतू पुर्जों और कच्चे माल के आयात के लिये वर्ष 1966-67 में 121.448 मिलियन रुपये और वर्ष 1967-68 में 79.371 मिलियन रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई। वर्ष 1968-69 की जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा निर्यात किये गये माल का जहाज तक निष्प्रभार मूल्य वर्ष 1966-67 में 93 मिलियन रुपये, 1967-68 में 309 मिलियन रुपये तथा अप्रैल, 1968 से जनवरी, 1969 तक की अवधि में 331 मिलियन रुपये है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1968-69 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का विक्रय हेतु उत्पादन का कार्यक्रम 1.158 मिलियन टन कच्चे लोहे और 2.726 मिलियन टन इस्पात के लिये था। इस लक्ष्य के मुकाबिले में 1.116 मिलियन टन कच्चे लोहे और 2.668 मिलियन टन विक्रेय इस्पात का वास्तविक उत्पादन होने की आशा है। यह अन्तर अधिक नहीं है और यह मुख्यतः धमन भट्ठियों, खुले मुंह की भट्ठियों और कुछ मिलों में अत्यावश्यक भारी मरम्मत कार्य के कारण, तथा दुर्गापुर में श्रमिकों के झगड़ों आदि के कारण है।

मशीन टूल्स उद्योग में मंत्री

*557. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री अदिचन :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन मशीन टूल्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा वर्तमान औद्योगिक प्रवृत्ति के बारे में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार मशीन टूल्स उद्योग की उत्पादन क्षमता की उपयोगिता 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक है तथा औसत उपयोगिता 46 प्रतिशत है ;

(ख) क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार मंदी के कारण क्रयादेशों के अभाव के कारण उद्योग में क्षमता का कम उपयोग होता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) (1) सरकार के प्रोत्साहन तथा सहायता से उद्योग द्वारा अपने उत्पादन क्षेत्र में विविधता लाने का सतत् प्रयास किया जा रहा है ताकि ऐसे मशीनी औजारों जो कि अभी तक आयात किए जा रहे हैं उनका देश में निर्माण किया जा सके ।

(2) अगस्त, 1967 में वार्ता एवं गोष्ठी का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया था कि उत्पादकों को इस बात का ज्ञान प्राप्त हो सके कि परियोजना प्राधिकारियों को किस प्रकार के मशीनी औजारों की आवश्यकता है जिससे उत्पादक अपने उत्पादन कार्यक्रमों को उनके अनुसार संशोधित कर सकें । सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के प्रायोजना प्राधिकारियों तथा मशीनी औजार उत्पादकों ने इस वार्तालाप में भाग लिया था । प्रारम्भ में परियोजनाओं की मशीनी औजारों की अनुमानित आवश्यकता 40-45 करोड़ रुपये की थी जिसमें से 28 करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनों का आयात किया जाना था । परियोजना प्राधिकारियों तथा उत्पादकों के मध्य हुए वार्तालाप के फलस्वरूप लगभग 17 करोड़ रुपये के मूल्यों के मशीनी औजारों को जिन्हें पहले आयात किया जाना था उनके स्थान पर अब देश में निर्मित मशीनों से काम किया जाये । इसी आधार पर उत्पादकों ने परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन को विविधता की है ।

(3) सरकारी तथा गैर-सरकारी परियोजनाओं से प्राप्त आयात प्रतिवेदनों की जाँच कड़ाई से की जाती है ताकि किसी भी ऐसी मशीन के आयात की उपेक्षा की जा सके जिसे देश के उत्पादक निर्मित कर सकते हों । आयात लाइसेंस जारी करने से पूर्व तथा पूंजीगत वस्तुओं के ऐसे आयात लाइसेंस के नवीकरण के समय जिनकी जांच एक वर्ष पूर्व की गई थी कि तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा देश में उपलब्धि की दृष्टि में पुनः जांच की जाती है । जांच के समय में केवल उन वस्तुओं को काट दिया जाता है जो कि प्रतिबन्धित सूची पर हैं अपितु उन वस्तुओं को भी काट दिया जाता है जो कि देश में उत्पादकों के उत्पादन कार्यक्रम में सम्मिलित हैं । चालू आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार 7.5 लाख रुपये से अधिक मूल्य की मशीनों की आवश्यकताओं को अब पहले इण्डियन ट्रेड जर्नल में विज्ञापित किया जाता है ताकि देश के उत्पादक उनके मूल्य का निर्देश कर सकें ।

(4) सरकार ने देश में स्थापित सभी मशीनों की गणना का काम किया है । इस गणना से देश में विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित मशीनों की आयु तथा इन मशीनों के आम नमूने के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी । जानकारी जब संकलित हो जायेगी तो इससे इंजीनियरिंग एकक के अपने जैसे देश के तथा विदेश के एककों की प्रतिस्पर्धा के आंकने में सक्षम होंगे । यह आंकड़े भावी वर्षों में मशीनी औजारों की मांग का तर्कसंगत अनुमान लगाने का आधार बनेंगे ।

(5) मशीनों के निर्यात कर्ताओं को 20 प्रतिशत नकद अनुदान तथा 20 प्रतिशत के पुनः आयात की अनुमति दी जाती है। ग्राहकों द्वारा खरीदी गई मशीनों के लिए मशीनी औजार उद्योग को इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट बैंक आफ इण्डिया से स्थगित भुगतान की सुविधाएं भी दी गई हैं।

उपरोक्त (1) से (5) उपायों से मशीनी औजारों की देश में लगी क्षमता का अधिक प्रयोग करने में सहायता मिलेगी।

गुजरात में लघु उद्योग

*558. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गुजरात में लघु उद्योग को जो राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण है, संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने लघु उद्योग को गुजरात में फिर से स्थापित करने के लिये संरक्षण तथा वित्तीय सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि गुजरात राज्य के लघु उद्योगों को विशेष कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है।

(ख) जी, नहीं।

बिड़ला उद्योग समूह

*559. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिड़ला उद्योग समूह के अक्तूबर और नवम्बर, 1968 में दिए गए चार आवेदन-पत्रों पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मामलों पर निर्णय करने में सरकार सामान्यतः कितना समय लेती है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। इनमें से दो आवेदन अब रद्द कर दिये गये हैं और दो आवेदन जो 10

अक्तूबर, 1968 और 22 नवम्बर, 1968 को प्राप्त हुए थे उन पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). इन आवेदनों के निपटाने में कोई अधिक विलम्ब नहीं हुआ है । ऐसे मामलों में लगने वाला समय प्रत्येक मामले पर अलग-अलग हुआ करता है और वह परियोजना की किस्म तथा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी पूरी है अथवा नहीं जिसके प्रस्ताव की पूरी जांच की जा सके, इस पर निर्भर करता है । सामान्यतः लाइसेंस आवेदन-पत्र प्राप्त होने अथवा आवेदकों से मांगी गई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद के तीन महीनों के अन्दर ले लेने चाहिए ।

उद्योगों में प्रबन्ध निदेशक

*560. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों में पचास प्रतिशत से कम भागिता वाली विदेशी कम्पनियों को प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य उच्च अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति नहीं होती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी अधिनियम में, अपनी पूंजी में अल्प मात्रा में विदेशी भाग ग्रहण करने वाली एक कम्पनी के लिये, कम्पनी के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य उच्च अधिकारी नियुक्त करने का निषेध नहीं है; कम्पनी अधिनियम के अध्याय 2 के भाग 6 के उपबन्धों से, जो निदेशकों से व्यवहारित हैं, पब्लिक कम्पनियों में, प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति तथा उनको पारिश्रमिक देने का शासन होता है; तथा

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Recruitment of Jawans in Railway Protection Special Force

*561. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3925 on the 13th August, 1968 and Unstarred Question No. 2166 on 26th November, 1968 and state :

(a) the reasons for selecting 145 Jawans when the economy policy of Government was clear ;

(b) whether any compensation has been paid to the applicants for their expenses and losses incurred by them ; if so, the amount of compensation and if not, the reasons therefor :

(c) whether it is a fact that after cancelling the above examination, a similar examination and selection for training were again made ; if so, the names of the persons selected out of them and the reasons for not recruiting those persons who were selected in the first examination ; and

(d) whether the services of those selected 145 Jawans will be utilised by Governnment at some other places ; if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) While progressing with the selection in February, 1967 it was not possible to foresee that the posts of Rakshaks in Railway Protection Special Force against training reserve will be surrendered.

(b) While making a reference to the Employment Exchanges for sending the candidates for recruitment, it was invariably made clear to them that they will be attending the selection at their own risk and expense. No compensation was, therefore, paid to any one who came for selection.

(c) Another selection was held in the middle of 1968 in which 153 persons were selected. Five persons namely Sarvashri Lal Bahadur, Suresh Chander, Dayaram, Subash Chander and Ramjee Misra were the ones who were selected in February, 1967 and also in the selection held in middle of 1968. As per extant orders the panel formed in February, 1967 lapsed after one year i.e. in February, 1968 and persons selected in this panel could not be appointed.

(d) Does not arise.

Industries in Rajasthan

*562. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of those new industries which Government propose to establish in Rajasthan during the Fourth Plan period ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) : (a) and (b). As the Fourth Five Year Plan is yet to be finalised, it is not possible to indicate at this stage which new industries would be set up in Rajasthan during this Plan period.

पश्चिमी रेलवे मुख्यालय का बम्बई से अहमदाबाद में स्थानान्तरण

*563. **श्री रा० की० अमीन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात से निर्वाचित संसत्सदस्यों ने पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से अहमदाबाद स्थानान्तरित करने के लिये बार-बार अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ।

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रशासनिक, परिचालनिक, वाणिज्यिक और आर्थिक दृष्टि से मुख्यालय को स्थानान्तरित करना वांछनीय नहीं समझा जाता ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी

*564. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं, विशेष रूप से अधिकारी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराने का है; और

(ग) सरकारी उपक्रमों में प्रशिक्षण और कार्यकुशल कर्मचारी नियुक्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कर्मचारियों और विशेषकर अधिकारी स्तर के कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न पदों पर सामान्यतया योग्यता तथा अनुभव प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है । उपक्रम स्वयं ही अपने तकनीकी तथा प्रबन्धकीय कर्मचारियों को नौकरी के बीच ही प्रशिक्षण प्रदान करते हैं । अपने क्षेत्रों में अद्यतन तकनीक तथा विकास से सुपरिचित रखने के लिए देश में विभिन्न प्रबन्धकीय संस्थाओं द्वारा गठित पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों अथवा गोष्ठियों में भाग लेने के लिए अधिकारियों को भेजा जाता है ।

Guna-Maksi Rail Link

*565. **shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 349 on the 26th November, 1968 and state :

(a) when the work of laying the Railway line from Guna to Maksi was started for which 49.75 K.M. of track has since been laid ;

(b) the amount spent by Government so far on laying this rail track ;

(c) the number of big and small bridges and culverts which are to be built for completion of this line ; and

(d) whether a final decision has since been taken about the date of completion of this work ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) This line was sanctioned for construction in March, 1962. Work on the construction of this line was commenced on 10-4-1962.

(b) The over-all expenditure incurred on this line so far is Rs. 5.40 crores.

(c) 33 major bridges and 224 minor bridges are required to be built for the completion of this line.

(d) In view of the slow generation of traffic in this sector a re-appraisal of traffic is under way with a view to rephase the work. The question of fixing a revised target date for the completion of this line, taking into account the rate of traffic growth in the area, and subject to availability of adequate funds, is under consideration.

अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिमी रेलवे, दिल्ली में सीधी भर्ती वाले स्नातकों के लिये सुरक्षित स्थान

*566. **श्री पी० पी० एस्थोस :** **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री क० अनिरुद्धन :**
श्री प० गोपालन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली में सीधी भर्ती वाले स्नातकों के लिये 20 प्रतिशत सुरक्षित स्थानों के कोटे में की गई पदोन्नतियों तथा वेतन नियतन सम्बन्धी अनियमितताओं के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). स्नातकों के लिए 20% के कोटे में 1-8-61 से स्थायीकरण के लाभ की मांग के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन पर विचार किया गया और उसे नामंजूर कर दिया गया । अधिक भुगतानों की वसूली के आर्डरों के खिलाफ एक और अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

भारत में भिखारी

*567. **श्री समर गुह :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भिखारियों की जनसंख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो नगरों तथा गांवों में उनकी संख्या कितनी है;

(ग) पूर्णतया बेघरबार भिखारियों की संख्या कितनी है और उनमें स्त्रियों, बालकों तथा वृद्धों की प्रतिशतता क्या है;

(घ) इनमें से कितने भिखारी विकलांग असमर्थ, रोगी और वृद्ध हैं जिनकी देखभाल के लिये कोई नहीं है;

(ङ) क्या भिखारी समस्या से विभिन्न रोग, सामाजिक बुराइयां, भ्रष्टाचार पैदा होते हैं और यह भारत के लिये अमिट कलंक की बात है; और

(च) यदि हां, तो इस समस्या का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) यह जानने के लिए कि क्या भिखारी समस्या से विभिन्न रोग, सामाजिक बुराइयां, भ्रष्टाचार पैदा हैं, कोई अध्ययन नहीं किया; यह प्रथा स्वयं ही अत्यन्त वांछनीय है और इसका उन्मूलन होना चाहिए ।

(च) भिखारीपन की रोक-थाम और उसका नियंत्रण, प्रारम्भिक तौर पर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार इस प्रकार के सब कार्यक्रम अब राज्य-योजनाओं का अंग होंगे और राज्य सरकारों पर ही उनका कार्यान्वियन रहेगा ।

रूरकेला और भिलाई कारखानों में सुधार

*568. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला और भिलाई के इस्पात कारखानों के कार्य संचालन को सुधारने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) वर्ष 1969-70 में हुए लाभ या हानि के आंकड़े क्या हैं और पहले दो वर्षों के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कितने अधिक या कम हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के कार्य-संचालन को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किये गये/किये जा रहे उपायों का उल्लेख 'परफार्मेंस आफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' शीर्षक पुस्तिका में किया गया है जिसकी प्रति 5 अप्रैल, 1968 को सभा-पटल पर रखी गई थी । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपायों को क्रियान्वित किया जा रहा है लेकिन मूर्त परिणाम सामने आने में कुछ समय लगेगा ।

(ग) वर्ष 1967-68 में भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों को क्रमशः 91.21 और 72.05 मिलियन रुपये का घाटा रहा । वर्तमान संकेतों के अनुसार इन दोनों कारखानों को

वर्ष 1968-69 में भी घाटा रहेगा यद्यपि राउरकेला को घाटा कम रहेगा। इन कारखानों के वर्ष 1969-70 के उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार और वर्तमान मूल्यों पर, ऐसी आशा है कि राउरकेला इस्पात कारखाने को लाभ रहेगा और भिलाई इस्पात कारखाने को घाटा काफी कम होगा।

Associated Cement Company Limited, Bombay

*569. **Shri Shardha Nand :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the date on which the Associated Cement Company Limited, Bombay applied for a licence and when it started functioning ;

(b) the terms and conditions in regard to the setting up of this concern and the nature of articles being produced by it ; and

(c) Its total production since its inception ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) : (a) and (b). The Associated Cement Companies Limited was incorporated at Bombay on 1st August, 1936. As the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 came into effect on 8th May, 1952, the question of an application for an industrial licence did not arise. Even now as the cement industry has been exempted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the question of any condition does not arise. Apart from the manufacture of portland cement of various types (which is the main activity of the Company), besides certain special varieties of cements, it also produces the following items :—

(i) Refractories and Refractory Products ;

(ii) Heavy machinery for cement, paper and pulp; chemical Industries, etc., and also Electric Overhead Travelling Cranes.

The Company also mines coal from its Collieries.

(c) The Company's total production of cement since its inception upto 31st January, 1969 was 85.4 million tonnes.

केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में प्रकाशन

*570. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने केन्द्रीय अधिनियम हिन्दी में प्रकाशित किये गये हैं;

(ख) आगामी वर्ष के लिये क्या कार्यक्रम हैं; और

(ग) क्या राज्यों की विधियों के अनुवाद के लिये उनको कोई सहायता देने का प्रस्ताव है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) राष्ट्रपति के प्राधिकार से, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (1) (क) के अधीन अभी तक 75 केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी पाठ प्रकाशित किए जा चुके हैं।

(ख) वर्ष 1969-70 के लिए अस्थायी कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(i) 23 केन्द्रीय अधिनियमों के (उपबन्ध-क देखिए) हिन्दी पाठ तैयार करना और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (1) (क) के अधीन उनको शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करना। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०** 387/69]

(ii) 65 कानूनी नियमों/आदेशों (उपबन्ध-ख देखिए) हिन्दी पाठ तैयार करना और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (1) (ख) के अधीन उनको शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करना। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 387/69]

(iii) संसद् में पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों के हिन्दी अनुवाद तैयार करना।

(iv) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अनुसरण में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त कानूनी नियमों के हिन्दी अनुवाद तैयार करना।

(v) संविधान का एक अद्यतन पाठ हिन्दी में और राज्य की सभी राज भाषाओं में प्रकाशित करना।

(vi) विधिक पदों की एक अखिल भारतीय शब्दावली प्रकाशित करना।

(vii) विधायी प्रारूपण में उपयुक्त किए जाने वाले आदर्श खण्डों और पदों की एक हिन्दी पुस्तक प्रकाशित करना।

(viii) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ किए गए इन्तजाम के अधीन तैयार किए गए केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवादों को प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करना।

(ग) केन्द्रीय और राज्य विधियों के हिन्दी अनुवाद में प्रयुक्त विधिक पदों में यावत्संभव एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य विधियों का जो (जो हिन्दी से भिन्न भाषाओं में हैं) हिन्दी में अनुवाद करने की भी प्रस्थापना है। अतः राज्य सरकार को इस निमित्त कोई सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य विधियों का अपनी-अपनी राज भाषाओं में अनुवाद सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकारों को इस निमित्त कोई सहायता देने की प्रस्थापना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Surplus Employees of Loco Sheds in Moradabad Division

3402. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of surplus employees of loco sheds in Moradabad Division in the year 1962 to 1968 separately.

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

राजस्थान में भारी उद्योग

3403. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में राजस्थान राज्य में भारी उद्योग स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है; और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जा रही है और राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के लिए उद्योगों को सम्मिलित कर विभिन्न क्षेत्र के आवंटनों का अभी अंतिम रूप से निर्णय किया जाना है।

(घ) चौथी योजना पर अपने ज्ञापन में राजस्थान सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित बड़ी और मध्यम औद्योगिक योजनाएं सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव किया है :—

योजना के नाम	चौथी योजना का व्यय (लाख रु० में)
1. **राज्य के उपक्रम**	
(क) बीकानेर की ऊनी वस्त्र मिल का विस्तार (ख) जोधपुर में नई ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना	77.00
2. सोडियम सल्फेट संयंत्र	3.00
3. संस्लिष्ट अपमार्जक तथा कास्टिक सोडा संयंत्र	1.00
4. चमड़ा कमाना	60.00
5. नमक उद्योग	6.00
(2) औद्योगिक क्षेत्र का विकास	100.00
(3) औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम की अंश पूंजी में हिस्सा	50.00
योग ...	297.00

गुजरात में औद्योगिक उपक्रम

3404. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गुजरात में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक उद्योग में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). गुजरात राज्य सरकार ने अपने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव में कुल 1602.5 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विवरणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उनमें से कितने या कुछ उद्योग विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्थापित किये जाने हैं।

बाइसिकल फैक्टरियों में उत्पादन

3405. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाइसिकल फैक्टरियों के नाम क्या हैं, वे कहां-कहां स्थित हैं, प्रत्येक में कितनी पूंजी लगी है, उनके निदेशकों तथा सहयोगियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक में कितना तथा कितने मूल्य का वार्षिक उत्पादन होता है;

(ख) वर्ष 1961 तथा 1967 में लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी थी और वास्तव में उत्पादन कितना हुआ और निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन न होने के क्या कारण थे;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष साइकिलों की कितनी कमी हुई;

(घ) पिछले सात वर्षों में प्रति वर्ष इस उद्योग को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई और कौन-कौन से मुख्य पुर्जों का आयात किया गया;

(ङ) प्रत्येक विदेशी सहयोगी प्रति वर्ष लाभ की कितनी राशि अपने देश को भेजता है; और

(च) पिछले पांच वर्षों में भारत में निर्मित साइकिलों से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस समय तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में सम्मिलित कारखानों से संबंधित जानकारी (निदेशकों के नामों को छोड़कर) देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 388/69]** निदेशकों के नामों से संबंधित जानकारी संकलित की जा रही है।

(ख) संगठित क्षेत्र के एककों की क्षमता इस समय 12,51,800 बाइसिकलें हैं। साइकिल उद्योग को दिसम्बर, 1966 से लाइसेंसीकरण से मुक्त कर दिया गया है। 1961 और 1967 में संगठित क्षेत्र में साइकलों का उत्पादन क्रमशः 10.5 लाख तथा 17 लाख साइकिलें था जबकि उत्पादन लक्ष्य 10 लाख तथा 20 लाख साइकिलें था। 1967 में उत्पादन में कमी का कारण इनकी मांग में अस्थायी कमी बताया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों में बाइसिकलों की कमी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) विगत 7 वर्षों में साइकल उद्योग को स्वीकृत विदेशी मुद्रा की राशि निम्न प्रकार है :—

	(रु० लाखों में)
1962—63	141.60
1963—64	198.64
1964—65	194.46
1965—66	62.74
1966—67	442.88
1967—68	104.95
1968—69	45.42 (17-2-69 तक)

संगठित क्षेत्र में पूर्ण साइकिल का निर्माण करने वाले उत्पादकों को कच्चे माल के आयात के लिए सहायता की गई थी और किसी भी पुर्जे के आयात की अनुमति नहीं दी गयी थी।

(ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(च)

अवधि	मूल्य (लाख रुपयों में)
1964—65	120.75
1965—66	174.61
1966—67	116.80
1967—68	215.62
1968—69 (नवम्बर, 1968 तक)	263.00

उद्योगों में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

3406. **श्री बाबूराम पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में अधिष्ठापित क्षमता का कितना-कितना प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है और प्रत्येक मामले में पूरी-पूरी क्षमता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार इन तीन परियोजनाओं में, परियोजना-वार कितना तथा कितने मूल्य का उत्पादन हुआ है;

(ग) प्रत्येक परियोजना में कितना, क्या-क्या तथा कितने मूल्य का माल जमा हो गया है;

(घ) प्रत्येक परियोजना में इस माल की निकासी न किये जा सकने के क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक परियोजना द्वारा किये गये निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और किन-किन देशों को निर्यात किया गया ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) (1) **हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड :**

कम्पनी का मशीन टूल्स कारखाना इस समय उपलब्ध क्षमता के लगभग 50 प्रतिशत का उत्पादन कर रहा है। ऐसा मशीनी औजार उद्योग में निरन्तर मंदी के कारण हुआ है।

(2) **हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड**

वर्ष 1967-68 में स्थापित क्षमता का लगभग 64 प्रतिशत उपयोग हुआ। प्रत्येक भारी तथा सूक्ष्म विद्युत उपकरण का उत्पादन अधिकतम तक पहुंचने में 4 से 5 वर्ष का समय लगता है क्योंकि भारी विद्युत उपकरण के विभिन्न स्तरों में कुशलता प्राप्त करने में समय लगता है।

(3) **हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड**

तीनों संयंत्रों में उत्पादन अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं और उत्पादन क्षमता धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। 1967-68 तक उत्पादन अधिकतम निर्धारित क्षमता से काफी कम हुआ जो आगामी कुछ वर्षों में होने लगेगा। अपेक्षाकृत उत्पादन की प्रगति कम होने का एक महत्वपूर्ण कारण कुछ आवश्यक निर्माण कार्य के साथ-साथ फाउण्ड्री फोर्ज संयंत्र में कुछ उपकरण न लग सकना रहा है। यह मानना पड़ेगा कि इस प्रकार के संयंत्रों में, जिनमें विशिष्ट तथा सूक्ष्म उपकरणों का निर्माण होता है, निश्चित ही उत्पादन क्षमता और उत्पादिता में, प्रगति धीरे-धीरे होती है और इसमें कुछ वर्षों का समय लग जाता है। क्षमता निर्माण करने का कार्य अनेक कारणों पर निर्भर करता है जिनमें संयंत्र की क्षमता के अनुरूप समय के अन्दर निर्माणक्रम को

ध्यान में रखते हुए काफी बड़े परिमाण में आर्डरों का मिलना, कच्चे माल और पुर्जों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना तथा कुशलता प्राप्त करने के लिए समय एवम् श्रमिकों की उत्पादिता आदि कारण शामिल हैं।

(ख) (1) **हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड**

पिछले तीन वर्षों में उत्पादन तथा उसका मूल्य इस प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन	
	मशीनी औजारों की सं०	मूल्य (लाख रु० में)
1965-66	2048	1135
1966-67	2665	1224
1967-68	1809	845

(2) **हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड**

पिछले तीन वर्षों में उत्पादन इस प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन
	मूल्य (लाख रु० में)
1965-66	979
1966-67	1641
1967-68	2149

(3) **हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट**

वर्ष	उत्पादन	
	परिमाण मी० टनों में	मूल्य (लाख रु० में)
1965-66	2466	48.23
1966-67	5058	95.45
1967-68	9003	179.60

हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट

वर्ष	उत्पादन	
	परिमाण मी० टनों में	मूल्य (लाख रु० में)
1965-66	10981	285.4
1966-67	14309	466.74
1967-68	14611	556.93

हैवी मशीन टूल्स प्लांट

वर्ष	उत्पादन	
	संख्या	मूल्य (लाख रु० में)
1965-66	—	—
1966-67	7 संख्या	12.15
1967-68	15 संख्या	56.6

(ग) तथा (घ) : **हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड**

31 जनवरी, 1969 को एकक वार मशीनी औजारों का स्तर मूल्य सहित इस प्रकार है :—

एकक	संख्या	मूल्य (लाख रु० में)
1 और 2	531	229
3	213	102
4	87	33
5	1	2
	832	366

832 मशीनों के कुल स्टाक में से 128 मशीनें आर्डरों में शामिल नहीं हैं जब कि शेष मशीनें आर्डरों पर भविष्य में दिये जाने वाले माल, आस्थगित भुगतान आर्डर, आरक्षण आदि की हैं और इनमें शोरूम, प्रदर्शनी तथा निर्यात की जाने वाली मशीनें भी शामिल हैं।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स इण्डिया लिमिटेड

भारी विद्युत उद्योग में निर्माण का कार्य-ग्राहकों के विशिष्ट आर्डरों पर उनकी विशिष्ट आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड के पास कोई भी बिना बिका स्टाक नहीं है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

भारी मशीनें बनाने वाले संयंत्र के पास 1 जनवरी, 1969 को तैयार मशीनों का स्टाक 5265.9 मी० टन था जिसका मूल्य 266.90 लाख रु० था। इस स्टाक में 193.7 मी० टन के उपकरण सम्मिलित हैं। जिनके लिए फिलहाल कोई तत्काल आर्डर नहीं हैं जब कि शेष स्टाक आर्डरों का हैं। प्रारंभिक अवस्था में कुछ वस्तुओं का उत्पादन हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के परामर्श से किया गया था जिसके लिए भविष्य में पर्याप्त मांग हो जाने की आशा थी। यह वस्तुएं लगातार बिक रही हैं और इनका वर्तमान स्टाक 193.7 मी० टन है।

हैवी मशीन टूल्स प्लांट में 1 जनवरी, 1969 को 19 मशीनें स्टाक में थीं। यह सभी मशीनें आर्डर की हैं और ग्राहकों की डिलेवरी की आवश्यकताओं के अनुसार भेज दी जायेंगी।

(ङ) **हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड**

इस कम्पनी ने अमरीका, कनाडा, पूर्वी यूरोपीय देशों जिनमें सोवियत रूस, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अन्य विकासशील देशों सहित पश्चिमी यूरोप के देश शामिल हैं को मशीनी औजारों और घड़ियों का निर्यात किया।

प्रतिवर्ष अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	**अर्जित विदेशी मुद्रा (लाख रु० में)**				**योग**
	मशीनी औजार		कलाई की घड़ियां		
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	
1965-66	73	17.87	1680	0.65	18.52
1966-67	78	31.85	799	0.41	32.26
1967-68	79	29.44	931	0.59	30.03

जमा 100 वाच मूवमेंट्स

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड

पिछले तीन वर्षों में कोई भी निर्यात नहीं किया गया।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

पिछले तीन वर्षों में कोई निर्यात नहीं किया गया।

मध्य प्रदेश में नये उद्योग

3407. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में मध्य प्रदेश में कितने तथा क्या-क्या और कहां-कहां नये उद्योग चालू किये गये हैं;

(ख) इन उद्योगों में कितने कर्मचारी काम करते हैं और प्रत्येक उद्योग में उनके वेतनों की राशि कितनी है;

(ग) क्या राज्य का औद्योगिक विकास निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चल रहा है; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर, इस राज्य में निकट भविष्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कौन-कौन से नये उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी कम्पनियों में कर्मचारी

3408. **श्री बाबूराव पटेल : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कम्पनियों में 5001 रुपये तथा उससे अधिक के वेतनमान में कितने भारतीय तथा विदेशी कर्मचारी नियुक्त हैं;

(ख) ऐसी दस सर्वोच्च विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक में ऐसे कितने भारतीय तथा विदेशी कर्मचारी नियुक्त हैं;

(ग) प्रत्येक विदेशी कर्मचारी अपनी उपलब्धियों की कितनी प्रतिशत राशि हर वर्ष अपने देश को भेज सकता है;

(घ) इस वेतन-मान में केवल भारतीयों को नियुक्त करवाने के लिए सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) 1 जनवरी, 1968 को विदेशी स्वामित्व नियंत्रित कम्पनियों में जो भारत में चल रही हैं, 5,000 रु० से अधिक के वेतन वर्ग में सेवा नियोजित 475 भारतीय और 1027 विदेशी व्यक्ति थे । अतः वेतन वर्ग में सेवा नियोजित भारतीय कुल व्यक्तियों के 31.6 प्रतिशत हैं । 1 जनवरी, 1967 को 371 भारतीय और 1072 विदेशी वेतन पाने वालों में थे और 25.7 प्रतिशत पदों पर भारतीय लगे हुए हैं ।

(ख) जानकारी गोपनीय है ।

(ग) जून, 1966 में रुपये का अवमूल्यन होने से पूर्व भारत में रहने वाले अन्य देशों के राष्ट्रिकों को अपनी शुद्ध आय का 50 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 1,500 रु० प्रतिमास अपने-अपने देशों को भेजने की अनुमति दी गई थी । रुपये का अवमूल्यन हो जाने के पश्चात यह राशि बढ़ाकर 2,360 रु० प्रतिमास कर दी गई है ।

(घ) और (ङ) . विदेशी फर्मों में भारतीय कर्मचारियों को रखने की नीति के अनुसार भारत सरकार ने विशिष्ट ज्ञान प्राप्त तकनीकी विशेषताओं की आवश्यकता पर विचार किया है । इस सम्बन्ध में सरकार की नीति समझाने बुझाने की है ।

मोटर टायर

3409. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में प्रति वर्ष कितने तथा कितने मूल्य के मोटर टायरों की खपत हुई;

(ख) इस समय देश में किस्म-वार तथा कम्पनी वार कुल कितनी तथा कितने मूल्य की उत्पादन क्षमता है;

(ग) वर्तमान निर्माण कारखानों में अप्रयुक्त क्षमना कितनी है और उसका उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) मोटर टायरों की अत्यधिक कमी होने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप टायरों का काला बाजार जोरों पर चल रहा है; और

(ङ) इस कमी को पूरा करने के लिये गत वर्ष कितने तथा कितने मूल्य के टायर बाहर से मंगाये गये और किन देशों से मंगाये गये ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क), (ख), (ग) तथा (ङ). एक विवरण (अनुबन्ध 1) अंग्रेजी उत्तर के साथ संलग्न है। जिसमें उत्पादन क्षमता, विगत तीन कैलेण्डर वर्षों में विभिन्न प्रकार के मोटरगाड़ी टायरों का वास्तविक उत्पादन तथा मूल्य दिया गया है सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 389/69] इसके साथ 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 (नवम्बर, 1968 तक) मोटर गाड़ियों के टायरों का किस्मवार आयात तथा निर्यात दिखाने वाला एक विवरण अंग्रेजी उत्तर के साथ संलग्न है (अनुबन्ध 2) भी सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 389/69] चूंकि टायरों का उत्पादन वास्तविक मांग से अधिक है अतः निर्धारित टायरों का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक है। इसकी कुछ भी क्षमता अप्रयुक्त नहीं है।

(घ) स्कूटर, ट्रेक्टर तथा ट्रक टायरों की कुछ किस्मों को छोड़कर देश में टायरों और ट्यूबों का उत्पादन देश की मांग को पूरा करने में पर्याप्त है। फिर भी कमी वाले टायरों के अधिक मूल्य लेने की शिकायतें मिली थीं।

यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने कमी को दूर करने के लिए कतिपय पग उठाए हैं जैसे अतिरिक्त उत्पादन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना तथा इनके विवरण का आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विनियमन करना इनका टायरों के मूल्य के विनियमन में अच्छा प्रभाव पड़ा है।

महाराष्ट्र में लाइसेंस जारी करने के लिए विचाराधीन आवेदनपत्र

3410. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में उद्योग चालू करने के लिए लाइसेंस जारी करने के हेतु सरकार

के पास कितने आवेदनपत्र विचाराधीन हैं ; और

(ख) वे कब से अनिर्णीत पड़े हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्कूटरों तथा मोटर कारों के मूल्यों में कर का अंश

3411. **श्री धुलेश्वर मीना** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न किस्म के स्कूटरों (दो पहिये वाले तथा तीन पहिये वाले पृथक-पृथक) तथा मोटर साइकिलों में से प्रत्येक पर (एक) कच्चे माल, (दो) पूंजीगत सामान, (तीन) सहायक वस्तुओं आदि पर लगाये गये कर को ध्यान में रखते हुए इन वाहनों में प्रत्येक की कीमत में कर का अंश कितना है ;

(ख) इन वाहनों को बनाने वाले बाहरी देशों तथा इटली इंगलैंड पोलैंड चेकोस्लोवाकिया आदि के समान माडलों की तुलना में उपरोक्त किस्म के वाहनों में से प्रत्येक की कर-राशि कितनी कम अथवा अधिक है ;

(ग) क्या उपरोक्त वाहनों में कर-राशि विश्व के किसी देश की तुलना में अधिक समझी जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त वाहनों के मूल्यों को घटाने की दृष्टि से ऐसे करों को कम करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

(ख) विदेशों में इसी प्रकार की गाड़ियों पर लगने वाले कर की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सांतरागाछी और औंदुल स्टेशनों के बीच रेलगाड़ियों की टक्कर

3412. **श्री अदिचन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 फरवरी, 1969 को दक्षिण-पूर्व रेलवे में सांतरागाछी और आंदुल स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी की मेचेदा यात्री गाड़ी के साथ टक्कर हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति मारे गये थे और कितने घायल हुए थे ; और

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तीन यात्रियों को मामूली चोटें आयीं । इसके अलावा, उपनगरीय गाड़ी में यात्रा करने वाले एक रेल कर्मचारी को सख्त चोट आयी और एक ठेकेदार का चौकीदार, जो सामान ढोने वाली गाड़ी पर यात्रा कर रहा था गिर पड़ा और गाड़ी के नीचे कुचल कर मर गया ।

(ग) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की विधिक जांच की है । उनकी अंतिम रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती से हुई थी ।

अमरावती के निकट बिना चौकीदार वाला रेलवे फाटक

3413. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरावती उत्पादक सहकारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड ने इस मिल से लेकर राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 तक एक पहुंच सड़क बनाई हैं ;

(ख) क्या यह सड़क केवल मिल के प्रयोग के लिये है और उसका प्रयोग वे केवल किसी खास समय पर ही करेंगे ;

(ग) क्या इस मिल ने रेलवे लाइन पर बिना चौकीदार वाले एक फाटक की व्यवस्था करने का सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पहुंच मार्ग का केवल कुछ भाग ही पूरा हुआ है ।

(ख) यह सड़क विशिष्ट रूप से मिल के उपयोग के लिए है और इसे वह पूरे साल उपयोग करेगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) वर्तमान नियमों के अनुसार सम्बन्धित खर्च अर्थात् प्रारम्भिक तथा अनुरक्षण का वार्षिक आवर्ती आदि दोनों खर्च सड़क प्राधिकारी/राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है । अमरावती के जिला परिषद से अनुरोध किया गया है कि वह उपर्युक्त शर्तों के सम्बन्ध में अपनी मंजूरी दें और नक्शे तथा अनुमान तैयार करने के लिए 2000 रुपये जमा करें । जिला परिषद के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Conductors posted in First Class Compartments

3414. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Conductors posted in First Class Compartments of trains remain only in the large bogies having a number of cabins and not in those bogies having a few such cabins resulting in considerable inconvenience to passengers in contacting them at small stations ;

(b) if so, whether Government propose to insert such a bogie in the middle of the train so as to facilitate passengers in contacting the conductor ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Although Conductors are normally provided a seat in the Guard's brakevan, they are required to look after the comforts of all classes of passengers. For this purpose, they attend to all coaches on the train and move about on the platform when the train is halting at a station. Conductors are required to wear distinctive arm-bands so that passengers can locate them without difficulty and seek assistance. These arrangements should enable passengers to contact the Conductor at stopping stations.

(b) In view of the reply to part (a), this is not considered necessary.

(c) The present arrangements being adequate, a change is not warranted.

Issue of Tickets to 1st Class passengers and V. I. Ps. from Khandwa

3415. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the 1st Class passengers and V. I. Ps. are not issued tickets for themselves and for their attendants from Khandwa, a prominent place of the district, and from Burhanpur, a prominent historical and industrial city to Bhopal, Jhansi, Delhi, jabalpur, Allahabad etc. for Punjab Mail, Calcutta Mail and other trains ; and

(b) whether Government propose to withdraw the restrictions which are causing much inconvenience to the passengers ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) In view of the answer to part (a), the question does not arise.

दिल्ली-रोहतक रेलवे खण्ड (सेक्शन)

3416. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-रोहतक रेलवे खण्ड (सेक्शन) को एक मालगाड़ी सेक्शन में परिवर्तित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये ब्योरेवार औचित्य तथा कारण क्या हैं ;

(ग) इस परिवर्तन से कितनी यात्री गाड़ियों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) क्या यह भी सच है दिल्ली-जीन्द सेक्शन पर लगभग सभी अप तथा डाउन गाड़ियों पर प्रभाव पड़ा है और वे विलम्ब से और सामान्य समय से बहुत पीछे चल रही हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (घ). सवाल नहीं उठता ।

दिल्ली-रोहतक सेक्शन पर गाड़ियों के प्रस्थान के समय को गलत दर्ज करना

3417. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ड्यूटी पर काम कर रहे नियंत्रक की कार्यकुशलता और उत्तर

रेलवे की गाड़ियों को समय पर चलने वाली दिखाने के लिये यात्री गाड़ियों के प्रस्थान के समय को स्टेशनों पर दर्ज किया जाता है ;

(ख) दिल्ली-रोहतक सेक्शन पर गाड़ियों के विलम्ब से चलने और प्रस्थान के समय को गलत दर्ज करने के बारे में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) पिछले एक वर्ष में गाड़ियों के देर से चलने की 52 शिकायतें और गाड़ियों के छूटने के गलत समय दर्ज करने के सम्बन्ध में 3 शिकायतें मिली थीं।

(ग) से (ङ). जांच करने पर पता चला है कि गाड़ियों के छूटने के गलत समय दर्ज करने के सम्बन्ध में शिकायतें सही नहीं हैं।

गाड़ियों के देर से चलने के सम्बन्ध में भी शिकायतों की जांच की गयी थी।

दिल्ली-रोहतक खण्ड पर कुछ सवारी गाड़ियों का समय पालन सन्तोषजनक नहीं रहा है जिसका प्रधान कारण यह है कि यह इकहरी लाइन खण्ड अत्यन्त व्यस्त है। इस खण्ड पर सवारी गाड़ियों के ठीक समय पर चलने के सम्बन्ध में कड़ी निगाह रखी जा रही है और उनका ठीक समय पर चलना सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में इन गाड़ियों के समय पालन में कुछ सुधार दिखायी पड़ा है।

दिल्ली-रोहतक सेक्शन की पटरी

3418. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-रोहतक सेक्शन की वर्तमान पटरी पर तेज चलने वाली रेल गाड़ियां नहीं चल सकती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने की संभावना है ताकि यात्री गाड़ियों को आने-जाने में कम समय लगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दिल्ली-रोहतक खण्ड पर अधिकतम अनुमेय रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस खण्ड के रेल-पथ की स्थिति इस रफ्तार के लिए ठीक है।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

रेलवे वर्कशाप में प्रशिक्षण के लिये स्नातक इंजीनियरों (मैकेनिकल) की भर्ती

3419. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू लाइन संगठनों तथा प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे वर्कशाप में प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षुओं के रूप में प्रति वर्ष कितने नये स्नातक इंजीनियर (मैकेनिकल) भर्ती किये जाते हैं ;

(ख) ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षित अर्हताएं क्या हैं और प्रशिक्षण की अवधि कितनी है ;

(ग) कितनी राशि के वजीफे दिये जाते हैं ;

(घ) चयन की प्रक्रिया क्या है (परीक्षा अथवा साक्षात्कार) ;

(ङ) वर्ष 1969 में आगामी परीक्षाएं/चयन किन तारीखों को किये जायेंगे और ऐसी परीक्षाओं/चयन को विज्ञापित करने की प्रक्रिया क्या है ; और

(च) रेलवे वर्कशापों तथा रेलवे के अधीन चालू लाइन संगठनों में प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार देने की कितनी संभावनायें हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (च). नियमों के अनुसार, यांत्रिक कारखानों में 335-425 रु० के पदक्रम में 295 प्रतिशत रिक्त स्थानों को भरने के लिये किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरिंग या इसके समकक्ष उपाधिधारी उम्मीदवारों की सीधी भर्ती की जाती है। प्रतिवर्ष भर्ती होने वाले व्यक्तियों की संख्या रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार बदलती रहती है। खर्च में कमी की आवश्यकता और फालतू होने वाले कर्मचारियों को समाहित करने की आवश्यकता को देखते हुए अत्यन्त आवश्यक होने पर ही भर्ती की जाती है और वह भी कम से कम संख्या तक सीमित रहती है। इसलिए, पहले से ठीक-ठीक बतलाना सम्भव नहीं है कि कितने व्यक्तियों की नयी भर्ती की जायेगी।

नये भर्ती होने वालों को 12 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण की अवधि में 335 रु० मासिक वजीफा दिया जाता है।

पहले रेलों द्वारा स्वयं प्रवरण किया जाता था लेकिन हाल में यह काम रेल सेवा आयोगों को सौंप दिया गया है। जैसे और जब कुछ भर्ती करने का विचार होगा, सम्बद्ध रेल सेवा आयोगों द्वारा देश के प्रमुख पत्रों में विज्ञापन दिये जायेंगे क्योंकि ये पद अखिल भारतीय आधार पर भरे जाते हैं। प्रवरण साक्षात्कार या परीक्षा और साक्षात्कार द्वारा किया जाता है।

संविधान में संशोधन

3420. **श्री रा० की० अमीन** :

श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के सैंतीसवें अधिवेशन में

संविधान का संशोधन करने की बढ़ती हुई प्रकृति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गयी थी जिससे मूल अधिकार न्यून किए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) मूल अधिकारों को जो न्यून करती हों ऐसी कोई भी प्रस्थापनाएं सरकार के सामने नहीं हैं । संविधान के भाग 3 का संशोधन करने की सामर्थ्य प्रदान करने वाला एक गैर-सरकारी विधेयक भी लोक सभा में लम्बित है जिसका सरकार ने समर्थन किया है । इस विधेयक का उद्देश्य ही यह है कि मूल अधिकारों को न्यून न किया जाए ।

बिहार में बेगुसराय तथा खगरिया के स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्र

3421. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के बेगुसराय तथा खगरिया सब-डिवीजनों में स्थित विभिन्न स्कूलों तथा कालेजों में अनुसूचित जातियों के कितने छात्र पढ़ रहे हैं ; और

(ख) बिहार में खगरिया तथा बेगुसराय सब-डिवीजनों में चालू वर्ष में फरवरी, 1969 तक कुल कितने व्यक्तियों ने आवेदनपत्र दिये थे और कितने छात्रों को छात्रवृत्ति तथा वजीफा दिया गया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) और (ख). बिहार सरकार से ब्योरा एकत्रित किया जा रहा है तथा मिलने पर सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

हरयाणा और हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योग का विकास

3422. **श्री हेमराज** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग विकास आयोग ने हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र तथा हरयाणा राज्य का हाल ही में दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश तथा हरयाणा राज्य में लघु उद्योगों के विकास के बारे में उसने क्या मूल्यांकन किया है ; और

(ग) क्या उनकी सिफारिशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). लघु उद्योग विकास संगठग के अधिकारियों के एक दल ने एक सर्वेक्षण किया है और हरियाणा राज्य के हिसार जिले में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी हैं। करनाल जिले के बारे में एक इसी प्रकार की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया। इन रिपोर्टों का प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकारों की सहायता करना है जिससे वे इस सम्बन्ध में आवश्यक समझी जाने वाली कार्यवाई कर सकें इसलिए रिपोर्ट की प्रति सभा-पटल पर रखने का विचार नहीं है।

Reservation of Seats for S. C. and S. T. in Certain Union Territories

3423. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to part (c) of Unstarred Question No. 699 on the 14th November, 1968 and state :

(a) the reasons for non-availability of information regarding allotment of reserved seats for scheduled tribes in Uttar Pradesh, Delhi and Himachal Pradesh and for scheduled castes in Manipur with the Election Commission and the Department of Law and the steps taken so far to collect this information ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) The required information is given below :

Name of State/Union Territory	Number of seats reserved for the Schedule Castes	Numbar of Seats reserved for the Schedule Tribes
1	2	3
Uttar Pradesh	18	..
Delhi	1	..
Himachal Pradesh	1	..
Manipur	..	1

Payment for the Construction of Election Booths in U. P. during General Elections 1967

3424. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5123 on the 19th December, 1968 regarding payment for the construction of Election Booths in Uttar Pradesh during General Elections, 1967 and state :

(a) whether the required information has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem): (a) Yes, Sir.

(b) Payment to all the Lekhpals of Uttar Pradesh has been made for constructing the booths during the General Elections, 1967 except in the following cases :—

(i) Out of 32 Lekhpals of Pithoragarh district, one Lekhpal of Patti Kharyat, Tehsil, Pithoragarh, has not been paid the amount due to him. The Lekhpal preferred the claim one year late. The claim had to be sent to the Accountant General, Uttar Pradesh for pre-audit. It is with the Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad for this purpose.

(ii) Out of 329 Lekhpals of Shahjahanpur district, 29 Lekhpals of Tilhar Circle Tahsil Tilhar, 30 Lekhpals of Nigohi Circle, Tahsil Tilhar, and 28 Lekhpals of Khera Bajhera Circle, Tahsil Tilhar have not been paid the amount due in full. Some advance has been distributed among the Lekhpals. The final accounts were received very late from the Tahsils and hence it became due for pre-audit. The bill alongwith vouchers has been sent to the Accountant General, Uttar Praderh, Allahabad for pre-audit.

The payment will be made to the Lekhpals as soon as the bills are received from the Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad, after pre-audit.

नागरकोइल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उपनिर्वाचन

3425. **श्री श्रीचन्द्र गोयल :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तामिलनाडु राज्य में नागरकोइल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन के सम्बन्ध में हो रहे प्रचार कार्य के सिलसिले में कुछ अप्रिय घटनायें घटी थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति मारे गये और कितने गिरफ्तार किये गये थे ; और

(ग) भविष्य में निर्वाचनों में ऐसी अप्रिय घटनाएं न होने देने के लिए क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) तामिलनाडु राज्य के नागरकोइल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान से पूर्व की कालावधि के दौरान निर्वाचन आयोग में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें हिंसा, उपद्रव, अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियों आदि के आरोप लगाए गए थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वयं नागरकोइल गए और उन्होंने मतदान के ठीक पूर्व और पश्चात् चार दिन तक निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। मतदान के दिन वे अनेक मतदान केन्द्रों (जिनकी संख्या लगभग 35 थी) में गए और उनके साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि भी थे।

उनके परिदर्शन की कालावधि भर, मतदान के दिन और मतदान के पश्चात् कोई मुठभेड़ या घटनाएं नहीं हुईं। राजनीतिक दलों के निर्वाचन लड़ने वाले नेताओं ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि मतदान, निर्वाध, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रीति में संचालित किया गया।

(ख) निर्वाचन आयोग को उपलब्ध जानकारी के अनुसार तथाकथित घटनाओं के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई थी। किन्तु समाचारपत्रों में यह संवाद प्रकाशित हुआ था कि केवल एक दल के एक कार्यकर्ता को छुरा मार दिया गया जिसके परिणामस्वरूप वह बाद में मर गया। किन्तु स्थानीय प्राधिकारियों से जांच करने पर यह पता चला कि इस घटना के पीछे जो कारण थे उनका सम्बन्ध निर्वाचन सम्बन्धी झगड़े या हिंसा से इतना नहीं था जितना व्यक्तिगत शत्रुता और झगड़े से। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप की गई गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में आयोग के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों के अवसर पर राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के लिए एक आचार-संहिता तैयार की है जिसमें हिंसा और उपद्रव का किसी भी मूल्य पर त्याग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सम्पृक्त दलों द्वारा संहिता के उचित पालन और निर्वाचन-कालावधि के दौरान विधि और व्यवस्था बनाये रखने पर और अधिक ध्यान देने से अप्रिय घटनाओं का निवारण करने में सहायता मिलेगी।

सराय रोहिल्ला स्टेशन (दिल्ली) में अनैतिक पण्य

3426. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री क० लकप्पा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराय रोहिल्ला स्टेशन, दिल्ली में स्त्रियों में अनैतिक पण्य के मामलों की सरकार ने जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में की गयी जांच से पता चला है कि दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर महिलाओं में अनैतिक पण्य का कोई मामला नहीं हुआ। लेकिन, रिपोर्ट मिली है कि जनवरी, 1969 में समीपवर्ती सिविल कालोनी में वेश्या-वृत्ति के लिए सौदेबाजी की घटना हुई थी, जिसे दिल्ली सराय रोहिल्ला के पुलिस स्टेशन ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 और एस० आई० टी० एक्ट की धारा 8 के अधीन, प्रथम मामला रिपोर्ट सं० 6 के रूप में, दर्ज कर लिया। मामले में आपत्ति की जा चुकी है।

बैटरियों के दाम

3427. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न प्रकार के बैटरियों का मूल्य हाल ही में बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैटरियों के मूल्य को बढ़ने से रोकने के लिए कोई उपाय करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सिर्फ टार्च और ट्रान्जिस्टरों में प्रयोग में आने वाली सूखी बैटरियां को "आवश्यक सामग्री" घोषित कर दिया गया है। इस उद्योग की मूल्य संबंधी प्रवृत्ति पर सरकार की निगाह है। अक्तूबर/नवम्बर, 1968 में दो उत्पादकों ने कच्चे माल को महंगाई तथा श्रम पर किए गए खर्च के बढ़ने के कारण कुल प्रकार की ट्रांजिस्टर बैटरियों की कीमतें बढ़ा दी हैं।

(ग) और (घ). जब कीमतों में काफी बढ़ोत्तरी होने लगेगी तब ही कीमतों को स्थिर रखने के लिए कदम उठाए जायेंगे।

रूरकेला उर्वरक कारखाना

3428. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काने समिति की सिफारिशों के आधार पर रूरकेला उर्वरक कारखाने के कार्यसंचालन को सुधारने के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को जिस रूप में सरकार ने स्वीकार किया था और जिन पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने कार्यवाही करनी आरम्भ कर दी है निम्नलिखित है :—

(i) राउरकेला इस्पात कारखाने की स्लैब री-हीटिंग फर्नेसिज में 'आयल फायरिंग उपकरण को लगाना' जिससे उर्वरक कारखाने को प्रति घन्टा कोक भट्ठियों से 45,500 Nm^3 गैस की सप्लाई हो सके ।

(ii) वर्तमान 'स्क्रू कम्प्रैसर्स' में से एक को बदलना जिसको मरम्मत पर अधिक खर्च आने की सम्भावना है तथा निवारक संधारण के लिये प्रभावशाली उपाय और बड़े पैमाने की मरम्मतों के लिए मानदण्डों की स्थापना ।

(iii) सोडियम कार्बोनेट के घोल के स्थान पर पोटासियम कार्बोनेट के घोल का उपयोग जिससे उर्वरक कारखाने को जाने वाली गैस में हाइड्रोजन सलफाइड की मात्रा कम हो जाय और उपकरणों का संक्षारण कम हो ।

(iv) एक आन्तरिक समिति की नियुक्ति जो 'अन्त: —संयंत्र मूल्यन नीति' बनाये जिससे उर्वरक कारखाने से कच्चे माल और सेवाओं के लिए किए जाने वाले खर्च को युक्तिसंगत आधार पर निश्चित किया जा सके ।

Terminal Facilities at Hapur Station

3429. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4760 on the 17th December, 1968 and state :

(a) whether the proposal for providing additional terminal facilities at Hapur Station has since been examined ;

(b) if so, the decision of the Government in regard thereto ; and

(c) the action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). The proposal for providing additonal terminal facilities at Hapur station is still under examination.

Heavy Engineering Corporation

3430. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Bal Raj Madhok : **Shri Maharaj Singh Bharati :**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4777 on the 17th December, 1968 and state :

(a) whether the question of fixation of prices of the machines manufactured by the Heavy Engineering Corporation has been considered ; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). The matter is still under examination.

Report of the Steering Committee on Steel Production

3431. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the details of the report submitted by the Steering Committee in connection with the production consumption and export of Steel during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) whether Government have accepted this report ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) The Steering Group on Iron and Steel has now submitted its Draft Report on the Fourth and Fifth Plans. It has been indicated in the report that the domestic demand, and likely exports of steel at the end of the Fourth Plan period (1973-74) would be of the following order :

	(in million tonnes of finished steel)
Domestic demand	7.12
Exports	1.30
Total demand	8.42

It has been proposed that the production of finished steel by the end of the Fourth Plan should be so planned as to meet the above total demand.

(b) The draft report of the Steering Groups is at present under consideration of the Government.

पंजाब में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

3432. **श्री श्रीचन्द्र गोयल :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये सरकारी क्षेत्र में कौन-कौन सी बड़ी परियोजनाओं की मांग की है ;

(ख) क्या वे व्यवहार्य पाई गई हैं और सरकार ने उन पर विचार किया है ; और

(ग) सरकार ने कितनी परियोजनाओं को स्वीकार किया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार की किसी विशेष योजना को पंजाब में लगाए जाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किया है। किन्तु उन्होंने यह सामान्य अनुरोध किया है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में केन्द्री सरकार की औद्योगिक परियोजनाओं में किए जाने वाले पूंजी निवेश के बहुत बड़े भाग का आंवटन इस राज्य को होना चाहिए। राज्य सरकार इस समय पंजाब औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से राज्य में कई औद्योगिक परियोजनाओं को स्थापित करने पर विचार कर रही है किन्तु आशय यह प्रकट होता है कि औद्योगिक परियोजना

के स्थापनोपरान्त औद्योगिक निगम की आधे से कम अंश अपने पास रखेगा ।

(ख) तथा (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना इस समय तैयार की जा रही है । पंजाब में इस अवधि में लगाई जाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

चण्डीगढ़ में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

3433. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए सरकारी क्षेत्र में किन्हीं परियोजनाओं की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन-किन परियोजनाओं पर विचार किया है ; और

(ग) सरकार ने किन-किन परियोजनाओं की स्वीकृति दी है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

3434. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड उसके द्वारा बनाई जा रही वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल का आयात करती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 31 दिसम्बर, 1968 तक कुल कितना कच्चा माल आयात किया गया और उससे कितने मूल्य की वस्तुएं निर्मित की गईं ;

(घ) क्या सरकार का विचार देसी कच्चा माल उपलब्ध करके आयात कम करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). जी हां । कुछ कच्चा माल जो कि इस समय देश में उपलब्ध नहीं है को इस समय वस्तुओं के निर्माण के लिए आयात किया जा रहा है ।

आंध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

3435. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में, जिलावार 1966 से 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गईं ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए इस राज्य को उक्त अवधि में कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1 अप्रैल, 1966 से 30 सितम्बर, 1968 तक की अवधि की जानकारी प्राप्त है, इस अवधि में हैदराबाद जिले में एक औद्योगिक बस्ती स्थापित की गई है ।

(ख) 1966-67 और 1967-68 में क्रमशः 13.50 लाख रुपए और 5.60 लाख रुपए की राशि तक के ऋण राज्य को स्वीकृत किए गए । 1968-69 के लिए सहायता की स्वीकृति, प्रथम तीन तिमाहियों के वास्तविक खर्चे तथा चतुर्थ तिमाही के अनुमानित खर्चे के आधार पर मार्च, 1969 में स्वीकृत की जाएगी ।

गुजरात में कम्पनियों को ऋण

3436. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963 से 1968 तक की अवधि में गुजरात में औद्योगिक विकास के लिए किन-किन फर्मों तथा कम्पनियों को कितना-कितना ऋण दिया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक एककों ने ऋण प्राप्त करने के बावजूद औद्योगिक एकक स्थापित नहीं किए ;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या है ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

गुजरात में सीमेंट परियोजनाएं

3437. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट निगम ने गुजरात में कितनी सीमेंट परियोजनाओं की जांच की है

और सरकार ने कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ;

(ख) सिफारिश की गई परियोजनाएं गुजरात में कहां-कहां शुरू की जाएंगी ।

(ग) राज्य में सीमेंट परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारतीय सीमेंट निगम ने गुजरात सरकार को क्या रियायतें दी है ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने कमी वाले क्षेत्रों को अधिमान देने का समर्थन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिए गुजरात के किन कमी वाले क्षेत्रों पर विचार किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) निगम ने गुजरात में कोई विस्तृत जांच नहीं की है और सरकार की स्वीकृति के लिए कोई सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की है । फिर भी, निगम ने सूरत, पंचमहल, सावरकान्त, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़ और जामनगर जिलों में चूने के पत्थर के आगारों की टोह लगाई है ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) कुछ नही ।

(घ) विचाराधीन प्रयोजनाएं जो कमी वाले क्षेत्रों में हैं उनको अन्य की अपेक्षा सामान्य रूप से वरीयता प्रदान की जाएगी ।

(ङ) सीमेंट संभरण की दृष्टि से गुजरात क्षेत्र कमी वाला क्षेत्र नहीं है ।

गुजरात में उद्योग

3438. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में गुजरात में कितने तथा कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त अवधि में गुजरात को कितनी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) गुजरात सरकार से वर्ष 1968 के प्राप्त वार्षिक योजना प्रस्तावों पर उद्योग तथा खनिज संबंधी कार्यकारी दल ने विचार किया था तथा बड़ी और मध्यम श्रेणी की औद्योगिक योजनाओं पर 432.80 लाख रुपये के व्यय की सिफारिश की। राज्य सरकार ने वर्ष 1968-69 में इन योजनाओं के लिये 400 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की जिसके अलग-अलग आंकड़े नीचे बताए गये हैं :

बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग		(लाख रुपये में)
1.	औद्योगिक रसायन प्रयोगशाला का विस्तार	0.50
2.	औद्योगिक अनुसंधान तथा मार्ग दर्शन संयंत्र	0.50
3.	परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	0.20
4.	गुजरात औद्योगिक विकास निगम	65.00
5.	गुजरात औद्योगिक विनियोजन निगम	45.00
6.	गुजरात राज्य उर्वरक कं० लि०	275.00
7.	न बिके हुए अंशों को खरीदने की व्यवस्था करना	12.80
8.	निर्यात संवर्धन	1.00
	योग	400.00

(ख) औद्योगिक योजनाओं के लिये सहायता देने का योजना पर कोई भी नमूना नहीं है फिर भी वार्षिक योजना के अन्तर्गत विविध विकास योजनाओं के लिये ऋण की सहायता राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक तथा अन्य योजनाओं की वित्त व्यवस्था करने के लिए किया जा सकता है। विविध विकास ऋण निधि में से वर्ष 1968-69 में औद्योगिक योजनाओं के लिए इस्तेमाल की गई वास्तविक राशि के संबंध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कोसीपुर रोड के गोदाम में पटसन की गांठों का जमा हो जाना

3439. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **रेलवे** मंत्री कोसीपुर रोड के गोदाम में पटसन की गांठों के जमा होने सम्बन्धी 10 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4073 के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों के नाम क्या है जिन्होंने माल तुरन्त नहीं उठाया ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : जो परेषिती तुरन्त अपना माल उठाने में असफल रहे उनकी एक सूची सभा-पटल पर रख दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 390/69]

Reserved Quota of S. C. and S. T. in Selection Grade

3440. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the Railway Board's Letter No. E/ASCIT (AM) 102 dated the 27th September, 1968 the Eastern Railway had not appointed the Running Staff personnel against the reserved quota of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Selection grade ; and

(b) if not, the reosons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). Presumably the M. p. is refering to letter No. E (SCT) 68 CM 15/10 dated the 27th August, 1968 in which certain instructions for the provision of reservation quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in promotion were issued. In accordance with these instructions, the Eastern Railway have empanelled one Scheduled Caste employee for the post of Driver grade 'A' and 12 Scheduled Caste employees for the post of Drivers, Grade 'B'.

Train Clerks

3441. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of posts of Chief Train Clerks in the Grade of Rs. 250-380, Chief Train Clerks in the grade of Rs. 205-280, Senior Train Clerks in the grade of Rs. 150-240 and Train Clerks in the grade of Rs. 110-180 in the Gonda Divisional Office of the North-Eastern Railway;

(b) whether all these grades have been given to the Clerks at all the places; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) The number of posts of Trains Clerks in the Gonda District of North-Eastern Railway is as follows:

Designation	Scale	No.
Chief Trains Clerk	Rs. 250-380	2
Head Trains Clerk	Rs. 205-280	3
Senior Trains Clerk	Rs. 150-240	45
Trains Clerk	Rs. 110-180	70

(b) and (c). The posts of Chief Trains Clerks in grade Rs. 250-380 are provided where justified on the basis of worth of charge. On this basis, this grade has been provided in Gonda, Sonepur, Samastipur and Varanasi Districts. Train-Clerks in the other grades have been provided in all the Districts.

अप्रयुक्त लाइसेंस

3442. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जारी किये गये लाइसेंसों में बहुत से लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इन लाइसेंसों के उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन 31 दिसम्बर,

1968 तक 11,486 लाइसेंस जारी किये गये हैं। इनमें से 1954 लाइसेंस कार्यान्वित न किये जाने के कारण अब तक रद्द कर दिये गये हैं। शेष लाइसेंस या तो कार्यान्वित किये जा चुके हैं या कार्यान्वित किये जा रहे हैं। जारी किये गये और रद्द किये गये लाइसेंसों का ब्योरा 'वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज, वीक्ली इण्डियन ट्रेड जर्नल तथा मंथली जर्नल आफ इण्डस्ट्री ऐण्ड ट्रेड' में प्रकाशित किया जाता है। इन जर्नलों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ग) लाइसेंस जारी करने तथा औद्योगिक उपक्रम की वास्तविक स्थापना करने के बीच हमेशा कुछ समय का अंतर रहता है। सरकार लाइसेंस को कार्यान्वित किये जाने पर प्रगति विवरणों की प्रणाली के द्वारा निगरानी रखती है जिसे प्रत्येक लाइसेंस प्राप्तकर्त्ता को प्रति छः मास में तब तक भेजने पड़ते हैं जब तक उपक्रम स्थापित नहीं हो जाता। यदि प्रगति संतोषजनक न होने पर लाइसेंसों को रद्द करने के लिये कार्रवाई की जाती है।

सेरामिक्स की कमी

3443. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रिकल उद्योगों के लिये विशेषीकृत पेरामिक्स जैसे एल० टी० स्विचगीयर के लिये प्रैस्ड पोर्सिलेन और स्टीटाइट और बड़े ब्रशिंग्स के लिये हाई वोल्टेज पोर्सिलेन की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात राज्य में ये वस्तुएं बनाने के लिये काफी गुंजायश है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) देश में प्रैस्ड पोर्सिलीन की कोई कमी नहीं है। इसके अतिरिक्त एल० टी० स्विचगियर के लिये स्टिटाइट का हाल ही में बम्बई की एक फर्म द्वारा विकास किया गया है। फिर भी 66 के० वी० से अधिक के हाई वोल्टेज पोर्सिलीन ब्रुशिंग्स का आयात करने की अनुमति दी जा रही है। क्योंकि इस प्रकार के ब्रुशिंग्स का देश में उत्पादन नहीं होता। इनके आयात का मूल्य लगभग 2 लाख रुपये प्रति वर्ष होता है।

(ख) जी, हां उत्पादन की एक अतिरिक्त वस्तु के रूप में।

(ग) सरकार को इन वस्तुओं का गुजरात राज्य में उत्पादन करने के लिये कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है।

1 M. D. Moradabad Passenger Train

3444. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether 1 M. D. Moradabad Passenger Train has never reached Delhi according to its scheduled time during the last six months ;

(b) if so, whether some special orders have been issued to run this train according to time scheduled ; and

(c) whether Government are considering some alternative measures to review the difficulties experienced by the passengers due to the non-arrival of this train in time ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). The running of 1 MD Passenger has not been satisfactory during the last six months and it has been reaching Delhi at the scheduled time in-frequently. The main reasons for the late running of this train are the frequent cases of unauthorised alarm chain pulling and frequent telecommunication failures resulting from extensive thefts of copper wire. Out of course detentions caused by these factors result in setting up a chain reaction on the congested single line Moradabad-Ghaziabad section, upsetting the running schedules of trains on this section.

Every effort is being made, in consultation with the State Governments, to reduce the incidence of alarm chain Pulling and thefts of copper wire in order to bring about an improvement in the running of 1 MD passenger and other trains on this section.

Loss in Heavy Electricals Ltd., Bhopal

3445. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether there had been a decrease in the losses in the Heavy Electricals Ltd., Bhopal as compared to the past;

(b) if so, the reasons for these losses ; and

(c) the time when the plant will start working according to its full capacity ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir. The losses have shown a downward trend. The loss for 1966-67 was Rs. 720.50 lakhs and that for 1967-68 was Rs. 569.01 lakhs.

(b) For a project of this kind and magnitude such losses are not unusual during the early periods of construction and production. The Detailed Project Report of the Technical Consultants anticipated and provided for such losses.

(c) Heavy Electricals (India) Limited is expected to work to full capacity by about 1973-74 subject to availability of sufficient orders.

Use of Fake Railway Tickets

3446. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Shashi Bhushan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether some complaints in connection with using fake tickets by passengers for journey from Ghaziabad to Modinagar have been received;

(b) whether some press and railway employees have been found guilty in this connection; and

(c) the steps under consideration to stop it ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No such complaint has come to notice. However, according to a news-item which appeared in the 'Nav Bharat Times' dated 8-1-1969, published from New Delhi, a passenger was issued two tickets from Ghaziabad for Modinagar bearing the same number and the same date. Enquiries have shown that two III Class Mail/Express tickets from Ghaziabad to Modinagar were issued on 27-12-68 and these tickets were genuine, but due to a defect in print, the numbers on the two tickcts appeared to be the same, though they were really not so.

(b) Does not arise in view of the reply to part (a) above.

(c) Necessary machinery exists for checking malpractices in the matter of sale of tickets. Wherever specific cases come to notice, suitable action is taken.

Ticketless Travel on Western Railway

3448. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of persons arrested for ticketless travelling on the Western Railway from the 1st January, 1968 till date; and

(b) the amount realized by Government by imposing fine on them ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 43,802 from 1-1-1968 to 31-1-1969.

(b) Rs. 78,828/-.(this amount does not include Railway dues and represents only the fine imposed under Section 112 of the Indian Railways Act)

रेलवे लेखा कार्यालयों में ग्रेड दो के क्लर्कों की उच्च ग्रेडों में पदोन्नति

3449. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री उमानाथ :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे और पश्चिम रेलवे में यातायात लेखा कार्यालयों में अलग-अलग कुल कितने अर्हता प्राप्त अथवा अनअर्ह ग्रेड दो के क्लर्कों की उच्च ग्रेडों में पदोन्नतियां की गईं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम रेलवे, अजमेर के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में कर्मचारियों को मानदेय

3450. **श्री उमानाथ :**
श्री नम्बियार :
श्री के० रमानी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपमुख्य लेखा अधिकारी (टी० ए०) पश्चिम रेलवे, अजमेर ने पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर के कर्मचारियों से अप्रैल, 1968 में शाखा लाइन की आय का हिसाब मानदेय के आधार पर लगाने को कहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मानदेय के भुगतान के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे में परिशिष्ट दो-ए की योग्यता वाले कर्मचारियों की पदोन्नतियां

3451. **श्री प० गोपालन :**
श्री के० रमानी :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री देवेन सेन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री किकर सिंह :
श्री द० रा० परमार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के मुख्यालय, बम्बई, यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर और रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली में परिशिष्ट II-ए की योग्यता वाले कर्मचारी की पदोन्नति प्रतीक्षा में हैं परन्तु उनसे कनिष्ठ कर्मचारी उच्च ग्रेडों में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कार्यालय के ऐसे वरिष्ठ कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वरिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति के वैध अधिकारों को ठुकराते हुए कनिष्ठ व्यक्तियों के संरक्षण के लिये किसी शृंखला प्रणाली को बनाये रखा जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रणाली को बनाये रखने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत कोई कर्मचारी, जो पहले से ही क्लर्क ग्रेड I के रूप में स्थानापन्न रूप में काम कर रहा हो, किसी ऐसे दूसरे कर्मचारी के लिए जगह बनाने के वास्ते प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता जो परिशिष्ट II-ए की परीक्षा बाद में पास करता है, लेकिन जब कभी नयी पदोन्नतियां की जाती हैं तब ग्रेड II का वरिष्ठतम अर्हता प्राप्त क्लर्क पदोन्नत किया जाता है।

(ख) पदोन्नति के लिये वरिष्ठता के कई यूनिट हैं। विभिन्न यूनिटों में जितने अर्हता प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :

(i) मुख्यालय वरिष्ठता यूनिट	84
(ii) बड़ौदा वरिष्ठता यूनिट	39
(iii) राजकोट वरिष्ठता यूनिट	16
(iv) अजमेर सामान्य वरिष्ठता यूनिट	37
(v) यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर	27
(vi) इतर यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली	8
	211

(ग) जी नहीं, जब कोई जगह खाली होती है तो अर्हता प्राप्त वरिष्ठतम कर्मचारी को पदोन्नत किया जाता है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

पश्चिम तथा उत्तर रेलवे के अन्य रेलवे खाता कार्यालयों में स्वीकृत कर्मचारी संख्या

3452. **श्री उमानाथ :** **श्री देवेन सेन :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री के० रमानी : **श्री किकर सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री द० रा० परमार :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1962 को और 31 दिसम्बर, 1968 को पश्चिम रेलवे के अजमेर स्थित यातायात खाता कार्यालय तथा अन्य रेलवे यातायात खाता कार्यालय और उत्तर रेलवे के

दिल्ली स्थित यातायात खाता कार्यालय की अलग-अलग कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कितनी-कितनी थी ; और

(ख) प्रत्येक कार्यालय में अलग-अलग कितने पदों को कम किया गया ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). सूचना संलग्न अनुबन्ध में दी गयी है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 391/69]

पूर्वोत्तर रेलवे के लेखा विभाग के ग्रेड 2 के क्लर्कों द्वारा दायर किया गया मुकदमा

3453. **श्री नम्बियार :**
श्री के० रमानी :
श्री उमानाथ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के लेखा विभाग के ग्रेड 2 के क्लर्कों ने एक मुकदमा दायर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्योरा क्या है और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । पूर्वोत्तर रेलवे के लेखा विभाग के ग्रेड II के कुछ लेखा क्लर्कों ने मुकदमा दायर किया है ।

(ख) रेलों के लेखा विभाग में 110-180 रुपये के वेतनमान वाले ग्रेड II के लेखा क्लर्कों को, 130-300 रुपये के वेतनमान वाले ग्रेड I के क्लर्कों के रूप में पदोन्नति पाने के लिये एक विभागीय परीक्षा पास करनी होती है जिसे एपेन्डिक्स-II ए कहा जाता है ।

उपर्युक्त मुकदमे में न्यायालय से यह घोषणा करने के लिये कहा गया है कि लेखा विभाग में क्लर्कों के दोनों ग्रेडों की परिलब्धियों और पदक्रम में जो अन्तर है वह अवैध, शक्ति परे और मनमाना है ।

मामला न्यायाधीन है ।

दक्षिण रेलवे, मद्रास के उप मुख्य लेखा अधिकारी (यातायात लेखे) के कार्यालय के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या

3454. **श्री उमानाथ :** **श्री के० रमानी :**
श्री पी० गोपालन : **श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1962, 1 अक्तूबर, 1962 और 1 अप्रैल, 1968 को अलग-

अलग दक्षिण रेलवे, मद्रास, के उप मुख्य लेखा अधिकारी (यातायात रेलवे) के कार्यालय में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कितनी थी ; और

(ख) रेलवे बोर्ड के दिनांक 4 अप्रैल, 1968 के आदेशों की कार्यान्वित के बाद परिशिष्ट दो-ए की अर्हता प्राप्त तथा अनर्ह कितने व्यक्तियों की पदोन्नति की गई ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क)	30-9-62	1090
	1-10-62	1090
	1-4-68	954
(ख)	अर्हता प्राप्त	
	कर्मचारी	60
	अनर्ह कर्मचारी	17

दिल्ली स्थित पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात कार्यालय के कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ

3455. **श्री के० रमानी :** **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री उमानाथ : **श्री पी० पी० एस्थोस :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे, दिल्ली के यातायात लेखा कार्यालय के अनर्ह कर्मचारियों को 1 अक्तूबर, 1962 से 1 अप्रैल, 1968 तक चार वेतनवृद्धियों से लाभांवित किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह लाभ दिल्ली स्थित पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात कार्यालय और अजमेर स्थित डिप्टी सी० आर० ओ० के कर्मचारियों को नहीं दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में पश्चिम रेलवे के अनर्ह कर्मचारियों को उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के समान लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स

3456. **श्री म० सुदर्शनम :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कनाडा और अमरीका को मशीनी औजार निर्यात करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;और

(ग) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 1966-67 से और कनाडा को 1968-69 से मशीन टूल्स का निर्यात प्रारम्भ कर दिया है। कम्पनी ने कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की फर्मों से मशीन टूल्स के निर्यात हेतु बिक्री करार किये हैं।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अपने विदेश स्थित एजेन्टों से जो एजेन्सी करार हुए हैं वे वाणिज्यिक प्रकार के हैं इन करारों के विवरण को बताना उचित नहीं समझा जाता है।

(ग) अब तक कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किये गये मशीन टूलों का विवरण निम्नलिखित है :—

1966-67	1967-68	1968-69
	(रुपये लाख में)	
0.40	4.82	15.49
(संयुक्त राज्य अमेरिका केवल)	(संयुक्त राज्य अमेरिका केवल)	(31-1-1969 तक)

Moon Corporation Ltd., Hargaon

3457. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the articles for whose manufacture Moon Corporation Limited, Hargaon had applied for licence ;

(b) the date on which licence was granted and the date on which the work was started ;

(c) whether the company manufactured articles other than those for which licence had been granted ; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Tata Oil Mills Ltd., Bombay

3458. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the date on which the Tata Oil Mills Limited, Bombay applied for a licence and when it started functioning ;

(b) the terms and conditions in regard to the setting up of the company and the nature of articles being produced by it ; and

(c) its total production since its inception ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Dalmia Cements (India) Ltd., Tiruchirapalli

3459. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the date on which the Dalmia Cements (India) Limited, Tiruchirapalli applied for a licence and when it started functioning ;

(b) the conditions on which this concern was to function and the type of production work done by it ; and

(c) the extent of production of the concern since its inception ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). The cement factory at Dalmiapuram (Tiruchirapalli), belonging to Dalmia Cement (Bharat) Limited went into production in December, 1939. The Industries (Development and Regulation) Act, 1951, came into effect on 8th May, 1952. When the cement factory was set up and when it went into production, no licence was therefore necessary. Even now as the cement industry has been exempted from the licensing provision of the Industries (Development and Regulation) Act, 1952, the question of any conditions on which the concern should function does not arise.

(c) The total quantity of cement produced by this factory since its inception till the end of 1968 was 7.46 million tonnes.

पूर्वोत्तर रेलवे में दुर्घटनायें

3460. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में पूर्वोत्तर रेलवे में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने व्यक्ति घायल हुए ; और

(ग) इनके फलस्वरूप कितने मूल्य की सरकारी सम्पत्ति की हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1-9-68 से 28-2-69 की अवधि में पूर्वोत्तर रेलवे पर गाड़ियों के टकराने, पटरी से उतरने, समपारों पर सड़क यातायात से टकराने और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 45 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं ।।

(ख) इन दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति मारा गया और 11 व्यक्तियों को चोटें पहुंची ।

(ग) रेल-सम्पत्ति को लगभग 1,04,040 रुपये की क्षति होने का अनुमान है ।

उत्तर प्रदेश में अल्प-आय-वर्ग के छात्रों को छात्रवत्ति

3461. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, जिन्हें 1967-68 में केन्द्रीय सरकार द्वारा अल्प-आय-वर्ग वाली छात्रवृत्तियां दी गई थीं ;

(ख) उनकी राशि कितनी थी ;

(ग) ये छात्रवृत्तियों के प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक किस-किस आय-वर्ग में आते हैं ; और

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी आय-सीमा पर बल दिया था ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) 788

(ख) 4.43 लाख रुपये ।

(ग) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सदन के पटल पर रखा जायेगा ।

(घ) विनियमों के अनुसार निम्नलिखित अधिकतम आय सीमा निश्चित है :—

कला पाठ्यक्रम	—	2000 रुपये प्रतिवर्ष
तकनीकी पाठ्यक्रम	—	2400 रुपये प्रतिवर्ष

भारतीय रेलों में लूटपाट और डकैती की घटनायें

3462. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बारह महीनों में भारतीय रेलों पर लूटपाट और डकैतियों की कितनी घटनाएं हुईं ;

(ख) इनमें जान और माल की कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में लूटपाट और डकैतियों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं ; और

(घ) क्या उनका मंत्रालय यात्रा करने वाली जनता की लूटमार और डकैतियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के किन्हीं उपायों का विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1968 में लूटपाट के 260 और डकैती के 74 मामलों की रिपोर्ट मिली थी ।

(ख) मृत व्यक्तियों की संख्या — 15

नष्ट सम्पत्ति का मूल्य — लगभग 4,56,992 रुपये ।

(ग) लूटपाट के मामलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन डकैती के मामलों में कमी हुई है ।

(घ) रेलवे परिसर तथा रेलगाड़ियों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार/राज्य सरकार रेलवे पुलिस की है । इस सम्बन्ध में सरकारी रेलवे पुलिस के साथ हमेशा निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है और जब कोई गम्भीर अपराध की घटना होती है और विशेष क्षेत्र अथवा गाड़ी में अप आपराधिक कार्रवाइयों में वृद्धि होती है तो उपचारी उपाय करने के लिए उसका ध्यान तुरन्त उस ओर दिलाया जाता है ।

संचोड़ में आउट एजेंसी

3463. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में रानीवाडा के निकट संचोड़ के लिये आउट एजेन्सी करने के लिये आवेदन पत्र मांगे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा और कब तक आउट एजेंसी कार्य आरम्भ कर देगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, संचोड़ की आउट एजेंसी के लिये आवेदन पत्र मांगे गये थे और आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 3-12-68 निश्चित की गयी थी ।

(ख) लेकिन, कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । इस काम को करने के लिए किसी उपयुक्त ठेकेदार की सेवाएं प्राप्त होने पर ही आउट एजेंसी अपना काम शुरू कर सकती है ।

पश्चिम रेलवे के सफरी लेखा-निरीक्षक

3464. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में सफरी लेखा-निरीक्षक को अपने प्रतिवेदन में यह प्रमाणित करना होता है कि जिन-जिन स्टेशनों का उन्होंने निरीक्षण किया है वहां कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये निरीक्षक यह देखने के लिये कि कर्मचारी पर्याप्त संख्या में हैं अथवा नहीं निरीक्षण के समय कार्य विश्लेषण करते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो ये निरीक्षक कैसे पता लगाते हैं कि कर्मचारी पर्याप्त संख्या में हैं अथवा नहीं ;

(घ) कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या का पता लगाने के लिये कितने 'जन दिन' मंजूर किये गये हैं ; और

(ङ) ऐसे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1968 में कर्मचारी (एक) अधिक संख्या में (दो) कम संख्या में पाये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). सवाल नहीं उठता ।

फूलेरा और बियावर स्टेशनों के बीच चोरियां

3465. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के फूलेरा जंकशन और बियावर स्टेशनों के बीच 1968 में कितनी बार चोरियां हुईं तथा चुराई गई वस्तुओं का मूल्यांकन क्या है ;

(ख) 1968 में फूलेरा जंकशन और बियावर स्टेशनों के बीच चलती गाड़ियों से चांदी की कितनी छड़े चोरी की गईं ;

(ग) क्या यह सच है कि चांदी की छड़ों की सभी चोरियां गवर्नमेंट रेलवे पुलिस अजमेर, पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में हुई थीं ;

(घ) उक्त पुलिस स्टेशन में कितनी शिकायतें आईं ;

(ङ) क्या उक्त पुलिश स्टेशन, अजमेर में कुछ गड़बड़ है तथा क्या सरकार का विचार केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के द्वारा जांच किये जाने का आदेश देने का है ; और

(च) रेलवे सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 18 मामले । चुराये गये माल की कीमत 2,28,949 रुपये ।

(ख) 11 चांदी की छड़ें और दो पेटियां, जिनमें चांदी के टुकड़े थे ।

(ग) जी नहीं । सरकारी रेलवे पुलिस, अजमेर के अधिकार-क्षेत्र में चांदी की छड़ की चोरी का केवल एक मामला हुआ था ।

(घ) चांदी की छड़ की चोरी की एक और 9 दूसरी शिकायतें ।

(ङ) जी नहीं । इसकी जांच करना और उस पर उचित कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है ।

(च) (i) प्रभावित क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र गार्डों द्वारा गश्त लगाना चालू कर दिया गया है ।

(ii) रात में चलने वाली माल गाड़ियों पर पहरे का काम तेज कर दिया गया है ।

(iii) बदनाम स्थलों और मर्मस्थानों पर पहरा रहता है ।

(iv) संदिग्ध व्यक्तियों और सूचना इकट्ठी करने और उसके प्रसारण पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सादी पोशाक में कर्मचारियों को तैनात किया जाता है ।

(v) अपराध आसूचना शाखा में कर्मचारियों की संख्या में यथोचित वृद्धि कर दी गयी है ।

दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

3466. **श्री उमानाथ :**

श्री सत्य नारायण सिंह :

श्री के० एम० अब्राहम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र में 1955 से लेकर 1968 तक, वर्षवार, कुल कितने रेलवे क्वार्टर बनाये हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 1955-56 से 1967-68 तक की अवधि में दिल्ली में कुल 2346 क्वार्टरों का निर्माण किया गया। वर्षवार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया
1955-56	93
1956-57	156
1957-58	771
1958-59	158
1959-60	58
1960-61	180
1961-62	398
1962-63	145
1963-64	9
1964-65	22
1965-66	48
1966-67	210
1967-68	98

दिल्ली स्थित पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात खाता कार्यालय के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

3467. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री उमानाथ :**
श्री प० गोपालन : **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे खाता समंजन (क्लियरिंग एकाउंट्स) कार्यालय के विकेन्द्रीकरण के समय, उत्तरी रेलवे के क्वार्टरों के पुंज में से दिल्ली स्थित पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात खाता कार्यालय के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का कुछ प्रतिशत नियत किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितने प्रतिशत क्वार्टर नियत किये गये थे और पश्चिम रेलवे कर्मचारियों को कितने क्वार्टर दिये गये हैं ;

(ग) अन्य रेलवे यातायात कार्यालय के कर्मचारियों को कितने क्वार्टर दिये गये हैं, और क्या उक्त निश्चित संख्या के अनुसार क्वार्टर दे दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). सवाल नहीं उठता।

विभिन्न रेलवे जोनों में द्वितीय श्रेणी के लेखा क्लर्कों की वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति

3468. **श्री उमानाथ :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

श्री के० एम० अब्राहम : **श्री सत्य नारायण सिंह :**

श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के लेखा विभागों में द्वितीय श्रेणी के कितने क्लर्कों को वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में पदोन्नत किया गया ; और

(ख) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में द्वितीय श्रेणी के कुल कितने क्लर्क 180 रुपये के वेतन पर आकर रुक गये हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 312/69]

रेलवे लेखा कार्यालयों से बीजक परीक्षण के काम को बदलना

3469. **श्री पी० पी० एस्थोस :**

श्री उमानाथ :

श्री भगवान दास :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय रेलवे के यातायात लेखा कार्यालयों से बीजक परीक्षण का काम लेकर संगणकों को सौंपने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह अदला-बदली कब तक हो जाने की संभावना है; और

(ग) ऐसा करने से प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में कितने-कितने कर्मचारियों के फालतू हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). स्टेशनों द्वारा बीजकों पर दिखायी जाने वाली भाड़े की रकम को जांच करने के काम का यंत्रीकरण चार वर्षों से भी पहले किया गया और उसके फलस्वरूप कर्मचारियों के संमजन का काम भी पूरा हो गया।

पश्चिम रेलवे में सफाई वालों को सर्दियों की वर्दी

3470. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री उमानाथ : **श्री भगवान दास :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के सफाई वालों को सर्दियों की वर्दी की सप्लाई के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). पश्चिम रेलवे के किशनगंज दिल्ली के इतर रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में काम करने वाले सफाई वालों की ओर से अभ्यावेदन मिले थे। फरवरी, 1963 में वर्दियों का मानकीकरण प्रारम्भ किया गया था जिसके अनुसार ये सफाईवाले जाड़े की वर्दियां पाने के हकदार हैं लेकिन किफायतशारी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 1966 में वर्दियों की सप्लाई कुछ समय के लिए रोक देनी पड़ी। किफायतशारी सम्बन्धी ये आदेश 1969-70 के वर्ष तक के लिए बढ़ाये जा चुके हैं। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि रेल कर्मचारियों को वर्दियां सप्लाई करने सम्बन्धी पूरे प्रश्न पर एक विभागीय समिति द्वारा समीक्षा की जानी है।

सितम्बर, 1968 में पश्चिम रेलवे द्वारा ली गई लेखा-लिपिकों की ऐपेंडिक्स दो-ए परीक्षा

3471. **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री के० एस० अब्राहम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में माह सितम्बर, 1968 को हुई ऐपेंडिक्स दो-ए परीक्षा देने वाले कुछ लेखा-लिपिकों का परिणाम रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा उसके कब तक घोषित किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, चार लेखा क्लर्कों का।

(ख) उनके मामलों की समीक्षा की जा रही थी और उसके पूरे हो जाने पर 13 फरवरी, 1969 को परिणाम घोषित कर दिया गया।

पश्चिम रेलवे, दिल्ली के अन्य रेलवे यातायात लेखे-कार्यालय के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

3472. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री उमानाथ :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात लेखे कार्यालय, दिल्ली की स्थापना के समय इस कार्यालय के कितने कर्मचारियों ने उत्तर रेलवे के पास रेलवे क्वार्टरों के आवंटन के लिये अपने नाम रजिस्टर कराये थे, उन कर्मचारियों के नाम, रजिस्ट्रेशन तिथि और रजिस्ट्रेशन संख्या क्या-क्या हैं; और

(ख) उक्त कार्यालय की स्थापना के समय से अब तक उसके कर्मचारियों को कितने रेलवे क्वार्टर दिये गये हैं और उन कर्मचारियों के नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या और रजिस्ट्रेशन तिथि क्या-क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1851 अनुबन्ध I के रूप में एक विवरण संलग्न है जिसमें कर्मचारियों के नाम, पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 393/69]

(ख) 5; उनके नाम और उनके पंजीकरण की तारीख तथा प्रत्येक मामले में जिस आधार पर आवंटन किया गया, उसका ब्योरा अनुबन्ध II में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 393/69]

गुजरात में हरिजनों की स्थिति

3473. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में अनेक स्थानों पर हरिजनों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की अनुमति नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन भागों में दास प्रथा भी चालू है; और

(ग) क्या सरकार ने इन बुराइयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू की है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) कुछ स्थानों से ऐसे मामले होने की रिपोर्ट आई है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) हां, श्रीमान्।

Beating of Guard of Passenger Train in District Saharsa (Bihar)

3474. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Guard of a passenger train was beaten by passengers in District Saharsa (Bihar) on the 22nd January, 1969 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps Government propose to take to protect the Railway Staff in view of this incident ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. On 20th January, 1969 and not on 22nd January, 1969, the guard of train No. 419 Up was assaulted by the public and students at Dauram Madhepura railway station on Saharsa-Murliganj section of North Eastern Railway.

(b) When about 5000 men, who had collected at the station crowded inside the train as also on foot-boards and roofs of compartments with the result that battery boxes touched rails rendering running of train unsafe, the guard refused to start the train.

(c) Sub-Divisional Officer, Madhepura accompanied by a Magistrate and Police force, arrived and controlled the situation. A case under sections 147/379/37 IPC and 121 Indian Railways Act has been registered at Saharsa Government Railway Police Station and is under police investigation. State Police take adequate steps as and when breach of law and order occurs or is apprehended.

मोरेना के विद्यार्थियों द्वारा रेलगाड़ियों का रोका जाना

3475. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में मोरेना के अनेक विद्यार्थियों ने उस क्षेत्र में डकैतियों को रोकने की मांग करते हुए 22/23 जनवरी, 1969 को दिल्ली-झांसी लाइन पर सभी रेलगाड़ियां रोक दी थीं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 25-1-69 को (न कि 22/23-1-69 को) विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने मोरेना में 11-40 बजे से 19-40 बजे तक गाड़ियों के आने-जाने में बाधा पहुंचायी ।

(ख) कानून और व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार का सांविधिक दायित्व है । स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की । इस सम्बन्ध में उन्हें आंसू गैस और हल्के लाठी चार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा । मोरेना जिला पुलिस द्वारा 6 व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये । रिपोर्ट के अनुसार यह घटना नागरिक क्षेत्र में डकैती के खतरों के विरुद्ध पहले से हो रहे आन्दोलन के क्रम में हुई ।

जोधपुर डिवीजन में स्टेशन मास्टरों के चयन पद

3476. **श्री सूरज भान :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में 250-380 वेतनमान वाले स्टेशन मास्टरों के चयन पदों का माह नवम्बर/दिसम्बर, 1968 में कोई चयन किया गया था;

(ख) यह चयन कुल कितने पदों के लिये किया गया था;

(ग) चयन बोर्ड के समक्ष कितने व्यक्तियों को बुलाया गया था, उनमें अनुसूचित जातियों के व्यक्ति कितने थे तथा अन्य कितने;

(घ) यदि अनुसूचित जाति के किसी कर्मचारी को नहीं बुलाया गया था तो इसके क्या कारण थे; और

(ङ) उपर्युक्त पदों में अनुसूचित जाति के रेलवे कर्मचारियों को उनका निर्धारित कोटा कब और कैसे देने का रेलवे प्रशासन का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) नवम्बर, 1968 में चुनाव आरम्भ हुआ था और अभी भी जारी है।

(ख) चार।

(ग) 12 गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार और 4 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार।

(घ) और (ङ). सवाल नहीं उठता।

जोधपुर डिवीजन में रेलगाड़ी परीक्षकों के चयन पद

3477. **श्री सूरज भान :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ी परीक्षकों के चयन पदों (वेतनमान 250-380 रुपये) का जोधपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में हाल में चयन किया गया था तथा उन पदों पर अनुसूचित जाति के किसी कर्मचारी को चुना नहीं गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा इस मामले में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). एक अनारक्षित रिक्त पद को भरने के लिए 18-7-1968 को एक प्रवरण किया गया था। चूंकि यह एक अनारक्षित रिक्त पद था और किसी पिछली कमी को पूरा नहीं करना था, इसलिए किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को प्रवरण के लिए बुलाना अपेक्षित नहीं था। अतः कोई उपचारी उपाय करने का सवाल नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में लघु उद्योग

3479. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में दक्षिण 24 परगनों (पश्चिम बंगाल) में श्रम-प्रधान लघु तथा कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). चौबीस परगना के लिए कोई खास योजना नहीं बनाई गई है। लघु उद्योगों के विकास का सरकार का कार्यक्रम जो सारे देश में लागू है वह इस क्षेत्र के लिए भी है।

सियालदह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में कैनिंग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिये सुविधायें

3480. **श्री बदरुद्दुजा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में कैनिंग रेलवे स्टेशन के यात्रियों को जो सुन्दर-वन आने वाले यात्रियों के लिये एक महत्वपूर्ण पारगमन स्टेशन है क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि उस स्टेशन पर अब तक जो सुविधायें दी गई हैं वे पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सुविधायें बढ़ाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही हैं तो क्या ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस स्टेशन पर निम्नलिखित सुविधाएं मौजूद हैं :—

(1) पहले दर्जे का प्रतीक्षालय जिनमें फ्लश टट्टियां, पेशाबघर और हाथ धोने के पात्र की व्यवस्था है।

(2) तीसरे दर्जे का प्रतीक्षालय।

(3) तीसरे दर्जे का महिलाओं का प्रतीक्षालय, जिसमें स्नानघर, फ्लश टट्टियां और पेशाबघरों की व्यवस्था है।

(4) प्लेट फार्म पर 3300 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला एक शेड जिसमें 8-8 सीटों वाले दो बेंच हैं।

(5) प्लेटफार्म पर पुरुषों के लिए फ्लश व्यवस्था सहित 3 सीटों वाली टट्टियां।

(6) प्लेटफार्म पर पुरुषों के लिए फ्लश व्यवस्था सहित 3 सीटों वाले पेशाबघर।

(7) तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में चाय की दुकान।

(8) पाइप से पानी की सप्लाई करने की व्यवस्था।

(ख) जी हां।

(ग) सवाल नहीं उठता।

जियाजी राव काटन मिल्स, ग्वालियर से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

3481. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समवाय विधि बोर्ड ने जियाजी राव काटन मिल, ग्वालियर के प्रबन्ध से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त उच्च न्यायालय ने समवाय विधि बोर्ड द्वारा लगाये गये आरोपों के औचित्य को भी चुनौती दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिन्होंने ये आरोप लगाये थे और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). यह निर्देश सम्भवतः जियाजी राव काटन मिल्स के लिये हैं। कम्पनी विधि बोर्ड ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 (ख) के अन्तर्गत कम्पनी के कार्यों की जांच-पड़ताल का आदेश दिया था। कथित आदेश की वैधता को अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत याचिका द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष, चुनौती दी गई थी, जिसने जांच-पड़ताल रोकने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने जांच-पड़ताल आदेश का पहले ही अभिखण्डन कर दिया है। इस निर्णय के विरुद्ध, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की समययुक्तता का प्रमाण-पत्र देने के लिये, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (क) (ख) तथा (ग) के अन्तर्गत एक याचिका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मिसिल की जा रही है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47, नियम 1 तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत भी एक समीक्षा याचिका मिसिल की जा रही है।

Treatment on Harijans in Uttar Pradesh

3482. **Shri S. M. Joshi :** Willl the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in various

newspapers on the 19th January in regard to the Committee on untouchability working under the Chairmanship of Shri Elayaperumal, in which a mention has been made of the atrocities being perpetrated on Harijans in Uttar Pradesh ;

(b) whether it is a fact that the Chairman of the said Committee has brought to the notice of the Prime Minister the atrocities being perpetrated on Harijans through a letter ;

(c) whether it is a fact that Harijans are not permitted to take meals with the people of other castes in the hostels etc, attached to Government colleges of Uttar Pradesh and separate mess has been opened for the Harijans ; and

(d) if so, the action being taken by Government against the officers of the aforesaid colleges and against other officers concerned ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (SMT.) Phulrenu Guha) (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir,

(c) and (d). The question has been taken up with the State Government.

मध्य प्रदेश में चूने की ईंटें बनाने वाला कारखाना

3483. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में सस्ती और बढ़िया चूने की ईंटे बनाने वाला एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग कितनी होगी ;

(ग) क्या ऐसी ईंटें अन्य देशों को भी निर्यात की जायेगी ;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कारखाना लगाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में चूने की ईंटें बनाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार को नहीं प्राप्त हुआ है ।

एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये स्थान

3484. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये किस अनुपात से स्थान की व्यवस्था की जाती है तथा यात्रियों की आवश्यकता से यह स्थान कितने प्रतिशत कम रहता है ;

(ख) एक्सप्रेस गाड़ियों में तीसरी श्रेणी सामायिक यात्रियों के लिये तथा उन यात्रियों के लिये जो इन गाड़ियों में पहले अपने स्थान आरक्षित नहीं करते हैं ; कितने स्थानों की व्यवस्था रहती है ;

(ग) क्या यह सच है कि किसी गाड़ी में उपलब्ध स्थानों से कई गुना टिकट बेचे जाते हैं जिसके कारण यात्रियों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि ऐसी स्थिति में यात्री या तो गाड़ी की छत पर चढ़ कर अथवा पायदान पर खड़े होकर यात्रा करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) भारतीय रेलों पर चलने वाली डाक/एक्स-प्रेस गाड़ियों में सामान्यत: कुल जितने डिब्बे जोड़े जाते हैं उनके अनुपात में तीसरे दर्जे के डिब्बों का प्रतिशत बड़ी लाइन पर 71.2 प्रतिशत और मीटर लाइन पर 78.6 प्रतिशत है। अतिरिक्त भीड़ की निकासी और विशेष पार्टियों के लिये समय-समय पर गाड़ियों में विभिन्न दर्जों के अतिरिक्त डिब्बे लगाये जाते हैं।

सवारी ले जाने वाली गाड़ियों के उपयोग का पता लगाने के लिये वार्षिक संगणना की जाती है और दिसम्बर, 1968 में जो संगणना की गयी थी, उसके सम्बन्ध में केवल पूर्व और पश्चिम रेलों के परिणाम उपलब्ध हैं। इनसे पता चलता है कि बड़ी लाइन पर तीसरे दर्जे की जगहें यात्रियों द्वारा अपेक्षित जगहों से क्रमशः 16.4 प्रतिशत और 15.2 प्रतिशत कम हैं। पश्चिम रेलवे की मीटर लाइन सहित बाकी रेलों पर की गयी संगणना के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

ताज एक्सप्रेस जैसी कुछ गाड़ियों को छोड़कर, जिनमें पूरी की पूरी जगहें अग्रिम आरक्षण द्वारा दी जाती हैं ; अन्य डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में तीसरे दर्जे की 40 से लेकर 840 तक सीटें बिना आरक्षण के उन यात्रियों के लिए रहने दी जाती हैं जो सीटों का अग्रिम आरक्षण नहीं कराते।

(ग) और (घ). अनेक बड़े स्टेशनों पर टिकटों की बुकिंग दिन-रात हमेशा होती रहती है और इसलिये आरक्षित जगहों को छोड़कर प्रत्येक गाड़ी में उपलब्ध बाकी जगहों में सामंजस्य नहीं रखा जा सकता। केवल रास्ते के छोटे स्टेशनों पर अलग-अलग गाड़ियों के लिये टिकट जारी किये जाते हैं लेकिन वहां भी जारी किये जाने वाले टिकटों की संख्या और गाड़ियों में उपलब्ध खाली जगहों में सामंजस्य नहीं रखा जा सकता क्योंकि खाली जगहों के बारे में ठीक-ठीक सूचना प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं है। जिन यात्रियों ने किसी गाड़ी विशेष के लिये टिकट खरीदे हों और उन्हें उसमें जगह न मिल पायी हो, उनके लिये यह जरूरी नहीं है कि वे उसी गाड़ी में यात्रा करें। क्योंकि नियमों में यह व्यवस्था है कि स्टेशन पर इस तरह के यात्रियों को पूरा किराया लौटा दिया जाये बशर्ते टिकट गाड़ी छूटने के बाद तीन घण्टे के भीतर वापस किया गया हो।

इश्तहारों, समाचार-पत्रों के विज्ञापनों और रेलवे स्टेशनों पर लगे लाउड स्पीकरों द्वारा नियमित रूप से यात्रियों को आगाह किया जाता है कि वे फुट-बोर्डों और गाड़ियों की छतों पर यात्रा न करें। भारतीय रेल अधिनियम की धारा 118 (2) के अधीन इस तरह यात्रा करना एक अपराध है।

रेलवे में वस्तु भाड़े की दरों में वृद्धि

3485. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री क० लकप्पा :
श्री सीताराम केसरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने भाड़े की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो दरों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इससे रेलवे की आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा तथा रेलवे यात्रियों को होने वाली असुविधा के अनुपात में यह कहां उचित है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। यह वृद्धि पहली अप्रैल, 1969 से लागू होगी।

(ख) पार्सल के मुकाबले सामान के लिये ऊंची दर पर प्रभार लगाने का औचित्य था। इसका पहला कारण यह है कि काफी सामान निःशुल्क ले जाने की छूट दी गयी है। दूसरा कारण यह है कि आमतौर पर सामान उसी गाड़ी से भेजा जाता है जिससे यात्री यात्रा करता है चाहे वह साधारण सवारी गाड़ी हो अथवा डाक या एक्सप्रेस। इस तरह सामान अधिक शीघ्रता और सुरक्षित रूप से चला जाता है। तीसरा कारण यह है कि जो व्यक्ति कुछ वस्तुओं को बतौर सामान बुक कराता है, उसे उन्हें बुक कराने और गन्तव्य स्टेशन पर छुड़ाने के लिये पार्सलघर तक जाने का कष्ट और खर्च नहीं उठाना पड़ता जो उन वस्तुओं को पार्सल की तरह बुक कराने में उठाना पड़ता। चौथा कारण यह है कि सामान और पार्सल भाड़े की दरें एक सी होने की वजह से तिजारती माल को सामान के रूप में बुक कराने के लिये बढ़ावा मिलता रहा है जिसके फलस्वरूप अन्य यात्रियों को असुविधा होती है और कभी-कभी उनके वास्तविक सामान को भेजना कठिन हो जाता है।

(ग) दर में वृद्धि से प्रति वर्ष लगभग 30 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता था। लेकिन इसके पूर्ण रूप से कार्यान्वित होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि रेलों ने यद्यपि जिन वस्तुओं को निःशुल्क ले जाने की छूट थी, उनमें से विस्तर पर यह छूट बन्द कर दी है, फिर भी सभी दर्जों में निःशुल्क ले जाये जाने वाले सामान में 10 किलोग्राम की और

छूट दी गयी है और यह छूट प्रत्येक यात्री को मिलेगी चाहे वह अपने साथ बिस्तर ले जाये या नहीं। यह भी सम्भावना है कि कुछ तिजारती माल जो पहले सामान के रूप में बुक किया जाता था, अब संशोधित दर लागू हो जाने से पार्सल के रूप में बुक किया जायेगा और इसलिये उससे अतिरिक्त प्रभार नहीं मिलेगा।

बढ़ी हुई दर से यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगी बल्कि डिब्बों में भारी सामान ले जाने की प्रवृत्ति कम होने और तिजारती माल के पार्सल के रूप में बुक किये जाने से उनकी सुविधा सुनिश्चित हो जायेगी।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लिये फालतू पुर्जों तथा कोयले की कमी

3486. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष के इस वकतव्य की ओर दिलाया गया है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सामने इस समय फालतू पुर्जे तथा कोयले की समस्या है ;

(ख) यदि हां, तो इन दो वस्तुओं की कितनी कमी है ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) से (ग). यद्यपि सरकार का ध्यान विशिष्ट रूप से अध्यक्ष के कथित वक्तव्य की ओर आकर्षित नहीं किया गया है तथापि यह ठीक है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को फालतू पुर्जों, कोकिंग कोयले और मिश्रण-योग्य कोयले की क्वालिटी और पर्याप्त मात्रा में सामयिक उपलब्धि की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फालतू पुर्जों की आवश्यकता काफी अधिक होती है, प्रत्येक कारखाने के लिये लगभग 3 करोड़ रुपये की, और यथासम्भव इन्हें देश में से ही प्राप्त करना होगा और शेष को आयात द्वारा प्राप्त किया जायेगा। आयात में समय लगता है। कोयले की समस्या प्रमुखतः उसमें राख की मात्रा को एक सी रखने की और उसकी समय पर, विशेषतया वर्षाकाल में उपलब्धि को सुनिश्चित करने की है। इन दोनों ही समस्याओं पर विचार किया जा रहा है और आयात किये जाने वाले फालतू पुर्जों की प्राप्ति को युक्तिसंगत बनाने तथा देशीय पुर्जों के लिये आर्डर देने के लिये कदम उठाये गये हैं। कोयले की आपूर्ति के लिये दो समितियां नियुक्त करने का प्रस्ताव है जिनसे कहा जायेगा कि वे इस समस्या का अध्ययन करके अगले कुछ महीनों में अपनी रिपोर्ट दें।

पांचवें इस्पात कारखाने की स्थापना

3487. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री क० लकप्पा :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने कहा है कि पांचवें इस्पात कारखाने के लिये स्थान के चयन तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये किन-किन स्थानों में से स्थान का चयन किया जायेगा ; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) चौथी और पांचवीं योजना अवधियों के लिये लोहे और इस्पात का विकास कार्यक्रम तैयार करने हेतु सरकार की सहायता के लिये नियुक्त की गई कर्णधार समिति के प्रतिवेदन का प्रारूप हाल में प्राप्त हुआ है, जिस पर योजना आयोग विचार कर रहा है। इसके विभिन्न पहलुओं पर भली प्रकार विचार किये जाने के पश्चात् ही सरकार इस बारे में अन्तिम निर्णय लेगी।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Representation of the Workers in the Management of Steel Plants

3488. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal under the consideration of Government in regard to the representation of workers in the management of major steel plants in the public sector ;

(b) whether Government propose to form Advisory Committees of workers with a view to enable them to suggest ways such as for increasing production and for curbing extravagance in the interest of these plants ;

(c) whether Government have tried to find out the impact on the working of such major plants in different countries where Advisory Committees of workers have already been set up ; and

(d) if so, whether Government have considered this aspect and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) No.

(b) No.

(c) and (d). The Ministry of Steel and Heavy Engineering has not made any such study.

Bokaro Construction Corporation

3489. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the number of contractors to whom contracts were given by the Bokaro Construction Corporation for the construction work of Bokaro Steel Plant and the number of labourers working under these contractors ;

(b) whether these labourers are those old and experienced labourers who had constructed the Bhilai and other steel plants ;

(c) instead of placing these labourers at the disposal of contractors, whether Government themselves were not able to utilise their services ;

(d) if Government were not inclined to utilise the services of these labourers, the necessity of setting up this Construction Corporation ;

(e) whether the Incharge of the Bokaro Construction Corporation could not have the said plant constructed ; and

(f) the reaction of the Central Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) The number of contractors for Civil Engineering Construction and Structural Steel Works to whom contracts were awarded by the Hindustan Steel works Construction Limited (and not Bokaro Construction Corporation) is 12 and 19 respectively. The total number of labour at the end of February, 1969 was of the order of about 24,000.

(b) Details regarding previous experience of workers employed by the contractors are not available with the Hindustan Steel works Construction Limited.

(c) and (d). The Hindustan Steel works Construction Limited have found it advantageous to undertake the construction work of Bokaro Steel Plant through the contractors. By and large, the Company has been able to achieve the purpose for which it was set up viz (i) Conservation of trained personnel in specialised fields of steel works construction and (ii) good quality of work and economy.

(e) and (f). Presumably, the question is why Hindustan Steelworks Construction Limited could not do the work themselves direct instead of through contractors. Departmental working in a project of the size and complexity of Bokaro is attendant with problems of retrenchment of labour and other staff when work tapers off. Also the work at the Plant is divisible in distinct areas and zones in relation to the nature and size of the work involved. The execution of work through a number of contractors ensures freer and fuller competition and facilitates the completion of work economically and satisfactorily.

Construction Corporation for Bhilai Steel Plant

3490. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether a Construction Corporation for the construction work of the Bhilai Steel Plant has been set up on the pattern of the Bokaro Construction Corporation ;

(b) if not, the necessity for setting up the Bokaro Construction Corporation for the construction work of the Bokaro Steel Plant ;

(c) the reasons for not entrusting the construction work of the Bokaro Steel Plant to the National Buildings Construction Corporation especially when this Corporation is proposed to be closed down for want of work and also the reasons for which the Bokaro Construction Corporation is engaging contractors for this work ; and

(d) the future plan to ensure co-ordination between the public undertakings and other public organisations in regard to such construction work ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir.

(b) The civil engineering and structural work for the Ist phase of the Bokaro Steel Plant has been entrusted to the Hindustan Steel works Construction Limited, which when fully developed, is expected to undertake a sizeable part of the construction work connected with the setting up of new steel plants or the expansion of the existing steel works. Apart from developing specialised skills in the line, the Steel Plant will not be burdened with a large body of manpower required for construction but not for operation of the Plant.

(c) and (d). The work of construction at Bokaro was entrusted to Hindustan Steel works Construction Limited with a view to developing a specialised nucleus organisation for the construction of steel plants. The National Buildings Construction Corporation is mainly engaged in relatively simpler civil engineering projects and there is no proposal, at present, for its being closed. The Hindustan Steelworks Construction has found it desirable to work through a number of contractors. The work of construction at Bokaro Steel Plant is divisible into a number of distinct areas and zones in relation to the nature and size of the work involved and execution of work through a number of contractors ensures freer and fuller competition and facilitates the completion of work more economically and satisfactorily. To the extent practicable, coordination has been and will be ensured between Bokaro Steel Plant and other public undertakings in the construction and erection of the plant.

बिहार सरकार की अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण योजनायें

3491. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने 1969-70 तथा/अथवा चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण तथा विकास के लिये कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं का ब्योरा क्या है तथा तत्सम्बन्धी लागत परिव्यय कितना है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिये कितनी सहायता दी गई है अथवा दी जायेगी ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) जी हां ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में पूछी गई सूचना 12-12-1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4289 के उत्तर में दी जा चुकी है । 1969-70 वर्ष के अन्तर्गत जिन मुख्य योजनाओं को लिये जाने का प्रस्ताव है वे इस प्रकार हैं ;

राज्य क्षेत्र	**लाखों रुपये में**
शिक्षा योजनाएं	26.25
आर्थिक विकास योजनाएं	7.60
स्वास्थ्य, आवास तथा	3.10
अन्य योजनाएं	
योग ..	36.95
केन्द्रीय क्षेत्र	
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	43.00
महिला छात्रावास	1.00
परीक्षापूर्व प्रशिक्षण	1.07
टी० डी० ब्लाक्स	93.00
सहयोग	4.00
अनुसन्धान और प्रशिक्षण	1.00
	148.07

(ग) अन्तिम आंकड़े तभी प्राप्त होंगे जब वर्ष 1969-70 का बजट संसद् द्वारा पारित हो जाएगा । राज्य की योजनाओं के लिये केन्द्र की सहायता पर अनुमानित व्यय या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, का 60 प्रतिशत है । केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सहायता 100 प्रतिशत है ।

भिलाई इस्पात कारखाना

3492. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने का विचार कारखाने के विभिन्न यूनिटों में बड़े पैमाने पर मरम्मत के कार्यक्रम को हाथ में लेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मरम्मत की क्या आवश्यकता है और इस पर कितनी लागत आयेगी और क्या इससे उत्पादन कार्यक्रम पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :- (क) और (ख). इस्पात कारखानों में बड़े पैमाने पर मरम्मतों का कार्यक्रम होता है जो कारखाने की इकाइयों के अनुसार समय-समय पर करनी पड़ती है, जिससे अधिकतम उत्पादन हो सके और मशीनों की कार्यावधि बनी रहे। उपरिलिखित मरम्मतों में से ऐसी मरम्मतों का काम जो भिलाई इस्पात कारखाने के लिये आवश्यक थीं, हाथ में लिया गया है। मरम्मत पर आने वाले खर्च का पता तभी चलेगा जब मरम्मतें पूरी हो जायेंगी। इन मरम्मतों से उत्पादन कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ता है।

Prices of articles in retail shops in Delhi

3493. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all articles in the retail shops are sold at rates higher than those prevailing in the markets of the Capital ;

(b) whether it is also a fact that retail shopkeepers have to spend much on fare etc. in bringing small quantities of goods due to which these goods cost them more and thus they are compelled to sell them at higher prices ; and

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, whether Government propose to fix the fare of tongas, tempos etc. from the main business centres to various places and display a list thereof in those business centres ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) : (a) and (b). There are over twenty wholesale and several retail markets in different localities in Delhi. Wholesale markets are located in particular areas, but retail markets are spread all over. Retail prices which include an element of retailers' overhead charges on transportation, rent, interest, retailers' profit etc. are higher than wholesale prices.

(c) The Municipal Corporation, Delhi, which issues licences to tongas has fixed fare lists for tongas which are required to be displayed on tongas. Rates for tempos and trucks have been fixed by the State Transport authority, Delhi. The Delhi Administration are having no proposal at present to display fare rates of tempos or trucks in business centres.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में इंजीनियर सहायक

3494. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में नियुक्त इंजीनियर सहायकों के विवाद के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, यह विवाद किन बातों पर है ;

(ग) क्या इस मामले के समाधान के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). यह मामला सर्वथा हैवी इंजीनियरिंग निगम के अधिक्षेत्र में आता है। इंजीनियर सहायकों की मांगें निम्नलिखित हैं :—

(i) शिक्षणावस्था की अवधि में उन्हें स्थायी कर्मचारी समझा जाना चाहिए ;

(ii) शिक्षणावस्था की अवधि में उन्हें महंगाई भत्ता, प्रायोजना भत्ता, अंशदात्री भविष्य-निधि, छुट्टी और उपदान के लाभ मिलने चाहिये ;

(iii) वेतन-मान में संशोधन ;

(iv) वजीफे की बढ़ी हुई दर अतीत प्रभावी होनी चाहिये ;

(v) उनके लिए पदोन्नति की निश्चित नीति होनी चाहिए ।

कम्पनी इन मांगों पर विचार कर रही है ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों की मांगें

3495. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम कर्मचारी संघ के प्रबंधकों तथा/अथवा सरकार को कोई मांगें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या इन मांगों को निबटाने के लिये अब तक कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) इन मांगों का संबंध संघ को सहायता देने, मकान-किराये भत्ते में वृद्धि करने, सवारी भत्ता मंजूर करने, प्रत्यक्ष भर्ती पर रोक लगाने, भर्ती और पदोन्नति नियमों का पुनरीक्षण करने, वरिष्ठता नियम बदलने, सेवा समाप्त करने वाले खण्ड को बदलने, स्थानान्तरण, छुट्टी नियमों में परिवर्तन करने, निवास-स्थान की, अतिथि गृहों, अवकाश गृह, कैंटीन, सम्मिलित कर्मचारी कक्ष और लाइब्रेरी की व्यवस्था करने, मकान बनाने के लिये धन देने, पदों का निर्माण करने, वेतन-क्रम, स्थानापन्न भत्ता देने, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने, तदर्थ पदोन्नति करने, गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणियों, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दियों पी० टी० सी० कर्मचारियों द्वारा समय को सुसंगत करने, सेवा नियमों, गेच्चुटी, बोनस में परिवर्तन करने, निगम के कार्यकलापों को बढ़ाने, बकाया राशि का भुगतान करने, प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों को वापस भेजने, रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराने, आकस्मिक श्रमिकों का नियमन करने, कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट, उप निदेशक (प्रशासन) को हटाने, समयोपरि-भत्ता देने आदि से है ।

(ग) संघ तथा व्यवस्थापकों के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की एक समिति इन मांगों पर सिफारिश करने के लिए बना दी गई थी। इस समिति ने अब अपनी सिफारिशें दे दी हैं जिन पर व्यवस्थापकों द्वारा विचार किया जा रहा है।

लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात

3496. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी व्यापार संस्थान ने देश के लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) लघु उद्योग बोर्ड की स्थायी समिति ने निर्यात बढ़ाने के लिये एक उप-समिति का गठन किया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने उप-समिति के प्रतिवेदन को प्रचारित किया है।

(ख) प्रतिवेदन में निर्यात के प्रयत्नों में औद्योगिक बस्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

(ग) प्रतिवेदन विचाराधीन है।

रेलवे सुपरवाइजरों द्वारा नियमानुसार कार्य करने की धमकी

3497. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री रणजीत सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे इंजन लोको शैडों में कार्य करने वाले रेलवे सुपरवाइजरों ने धमकी दी है कि यदि अधिक वेतनमान सम्बन्धी उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अगस्त से "नियमानुसार कार्य" आरम्भ कर देंगे ;

(ख) क्या उनकी मांग पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अतीत में इस मांग की जांच की जा चुकी है। वर्तमान स्थिति में रेल कर्मचारियों के वेतन आदि में व्यापक परिशोधन करना सम्भव नहीं हो सका है। साथ ही, इस

बात को देखते हुए कि सभी रेल कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, केवल इस कोटि के कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं किया जा सकता ।

संकट-ग्रस्त औद्योगिक कारखाने

3498. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : **श्री रणजीत सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसे उपाय सोचे जा रहे हैं जिनके अनुसार औद्योगिक एककों के संकट के समय सरकार उनका कार्य अपने हाथ में ले सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव का विवरण तैयार किया जा रहा है, मामले पर निर्णय होने में कुछ समय लगेगा ।

चर्म शोधन तथा जूता निगम

3499. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री न० कु० सांघी :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री बेणी शंकर शर्मा : **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री रणजीत सिंह : **श्री ओंकार लाल बोहरा :**
श्री बलराज मधोक : **श्री महाराज सिंह भारती :**
श्री काशी नाथ पाण्डेय : **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के कूपर एलन एकक के प्रबंधक को अपने हाथ में लेने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक नया निगम स्थापित किया गया है और यह क्या निगम भारतीय चर्म शोधक तथा जूता निगम कहलायेगा ;

(ख) क्या उत्पादन की किस्म और मात्रा में सुधार करने के लिए इस एकक को आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है तथा इस निगम की आर्थिक स्थिति कैसी है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रारम्भिक जांच-पड़ताल और कम्पनी के अनुमानों के अनुसार कूपर एलन एण्ड नार्थ वेस्ट टेनरी की इकाइयों का आधुनिकीकरण करने और लगभग 6 लाख फौजी जूतों और 12 लाख असैनिक जूतों, जिनका मूल्य 3.8 करोड़ रु० (लगभग) प्रतिवर्ष होगा, का लाभपूर्ण ढंग पर उत्पादन करने की दृष्टि से 1 करोड़ रुपया व्यय करना होगा। अनुमान है कि सुव्यवस्थित आयोजन, उत्पादन, किस्म नियंत्रण और न्यायोचित मंजूरी प्रणाली से ये इकाइयां अंततोगत्वा 14.5 लाख रु० प्रतिवर्ष का लाभ कमा सकेंगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के स्थान के लिये पाकिस्तानी राष्ट्रिक द्वारा नामनिर्देशन-पत्र का फाइल किया जाना

3500. **श्री हेमराज**: क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1969 को 'मार्च आफ दि नेशन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक अमर सिंह उर्फ खुदा बक्श ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक स्थान के लिये नामनिदशन-पत्र दाखिल किये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके नामनिर्देशन-पत्र स्वीकार कर लिये गये थे ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचक आफिसर ने 21-1-1969 को निर्वाचन आयोग को यह रिपोर्ट दी कि सोनी के पुत्र अल्लादीन ने, जो कि पाकिस्तानी राष्ट्रिक है मथुरा जिले की 367—छाता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सोनी के पुत्र अमर सिंह के नाम में नामनिर्देशन-पत्र फाइल किया था। चूंकि श्री अमर सिंह का नाम निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकृत था और नामनिर्देशन-पत्रों की समीक्षा के समय उपस्थित किसी भी अभ्यर्थी या उनके किसी भी प्राधिकृत अभिकर्ता ने नामनिर्देशन करने पर आपत्ति नहीं की, इसलिये रिटर्निंग आफिसर ने नामनिर्देशन-पत्र स्वीकार कर लिया।

इस्पात कारखानों में बिलेट का उत्पादन

3501. **श्री जे० मुहम्मद इमाम** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री द० रा० परमार :
श्री रा० कृ० नायर :
श्री छ० म० केदरिया :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1966 से अब तक प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक प्रमुख इस्पात कारखाने में

प्रमाणीकृत किस्म के बिलेटों की तुलना में घटिया किस्म के बिलेटों का अनुमान क्या था;

(ख) उक्त अवधि में संयुक्त संयंत्र समिति (जे० पी० सी०) ने समय-समय पर उक्त दो किस्मों के लिये क्या मूल्य निर्धारित किये थे;

(ग) क्या उनका निर्माण उनके मूल्य असंतोषजनक स्थिति बतलाते हैं;

(घ) इस संतोषजनक स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) क्या प्रमाणीकृत बिलेटों की अपर्याप्त सप्लाई पुनर्बेलन मिलों के निर्यात के बढ़ाने में बाधक हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) 1966 से समय-समय पर निश्चित किये गये बिलेट के मूल्यों के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 394/69]

(ग) और (घ). 1968-69 में 100 मिली मीटर और इससे कम के घटिया किस्म के बिलेटों के उत्पादन का अनुमान 25 प्रतिशत के लगभग है । उत्पादकों को सलाह दी गई है कि वे घटिया किस्म के उत्पादन के प्रतिशत में कमी लाने का प्रयत्न करें ।

(ङ) संयुक्त संयंत्र समिति ने आपूर्ति और मांग की समग्र स्थिति, निर्यात करने वाले पुनर्बेलकों के पिछले कार्यकरण और उनके भविष्य के वायदों को ध्यान में रखते हुये समुचित मात्रा में परीक्षित बिलेटों का नियतन निर्यात हेतु वस्तुओं के निर्माण के लिये किया है ।

बिलेटों का निर्माण

3502. **श्री जे० मुहम्मद इमाम :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री द० रा० परमार :**
श्री जे० एच० पटेल : **श्री क० कृ० नायर :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री छ० म० केदरिया :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में दिसम्बर, 1968 तक की प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक मुख्य निर्माता की बिलेटों की कारखानेवार निर्माण क्षमता कितनी थी और उत्पादन कितना था;

(ख) उक्त अवधि में विभिन्न प्रकार के बिलेटों के निर्माण का वर्षवार ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि में पुनर्बेलन मिलों को बिलेटों की सप्लाई का कारखानेवार, वर्षवार और किस्मवार ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). विक्रय हेतु अर्द्ध तैयार इस्पात की जिसमें बिलेट भी शामिल हैं, अधिष्ठापित क्षमता निम्नलिखित है :

भिलाई	315,000 टन
दुर्गापुर	370,000 टन
टाटा	300,000 टन+
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	150,000 टन+

(ख) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 (दिसम्बर 1968 तक) की प्रत्येक तिमाही में कारखानावार विक्रय बिलेट के उत्पादन का ब्योरा सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 395/69] किस्मवार बिलेट के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 (दिसम्बर 1968 तक) कारखाना-वार बिलेट के प्रेषण का ब्योरा सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 395/69] बिलेट के प्रेषक का वर्गक्रम से ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

फैजाबाद में छोटे (मिनी) ट्रैक्टर निर्माण कारखाना

3503. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद में छोटे (मिनी) ट्रैक्टर निर्माण कारखाना स्थापित करने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

+इन आंकड़ों में बिलेट की वह क्षमता सम्मिलित नहीं है जिनका दूसरी वस्तुओं के निर्माण के लिये प्रधान कारखाने में ही उपयोग किया जाता है।

लखनऊ और बरौनी के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना

3504. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ और बरौनी के बीच गोरखपुर से होकर जाने वाली, मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) लखनऊ और बाराबंकी पहले से ही उत्तर रेलवे के एक बड़ी लाइन खंड द्वारा जुड़े हुए हैं । बाराबंकी से गोंडा, गोरखपुर और भटनी तक मीटर लाइनों को बदलने के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण पहले से हो रहे हैं और भटनी-बरौनी भाग के लिए सर्वेक्षण शीघ्र शुरू करने का विचार है । सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने और रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच किये जाने के बाद इन मीटर लाइनों के बड़ी लाइनों में वास्तविक बदलाव के बारे में विनिश्चय किया जायेगा ।

रेलवे में बिना टिकट यात्रियों का पता लगाने के लिये विशेष अनुभाग

3505. **रा० कृ० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों का पता लगाने के लिये गठित विशेष अनुभाग में कितने कर्मचारी हैं;

(ख) इस पर आरम्भ से अब तक प्रति वर्ष कितना व्यय किया गया; और

(ग) अनुभाग द्वारा कितने मामलों का पता लगाया गया और उसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि वसूल की गई ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि 'स्पेशल सैल' से किस बात का बोध अभिप्रेत है । विभिन्न रेलों पर टिकट जांच व्यवस्था को समय-समय पर बदलती हुई परिस्थितियों और किसी समय विशेष पर अपनायी जाने वाली नीति के अनुरूप समंजित कर दिया जाता है । इसके लिए अलग-अलग रेलों पर कभी-कभी अस्थायी रूप से टिकट जांच कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जाती है, जैसाकि हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे पर किया गया है । कुछ समय पहले जो एकमात्र संगठन स्थापित किया गया था, वह रेलवे बोर्ड में विभिन्न रेलों पर होने वाली बिना टिकट यात्रा का अनुमान लगाने के लिये किया गया था । यह संगठन मार्च, 1967 से सितम्बर, 1968 तक रहा और इसमें विभिन्न कोटियों के 60 कर्मचारी थे ।

(ख) रेलवे बोर्ड में जो विशेष संगठन स्थापित किया गया था, उसके कर्मचारियों पर हुए खर्च का हिसाब लगाया जा रहा है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) रेलवे बोर्ड के इस विशेष संगठन ने, बिना टिकट होने वाली यात्रा का अनुमान लगाने के दौरान, 92,639 मामलों का पता लगाया जिनसे 3,25,860 रुपये की रकम वसूल हुई ।

Hospital Building at Lalgarh Junction of Bikaner Division

3507. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that thousands of cement bags have been stolen from the Railway stores during the construction of a hospital building at Lalgarh Junction of Bikaner Division of Northern Railway ;

(b) whether it is also a fact that an attempt was made to deposit some articles in the store but it was in vain and the officers concerned are trying to hush up the case ; and

(c) whether Government would institute an inquiry into the matter and take action for awarding of punishment to those who are found guilty in this case ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : There was no theft from this store but a case of misappropriation of 869 bags of cement has been reported.

(b) Nothing of this nature has come to the notice of the Zonal Railway Administration concerned.

(c) Investigations have already been made by the Superintendent of Police, Special Police Establishment, Jaipur and departmental action against the delinquent officials has also been initiated.

Scholarships to Students of Delhi Polytechnic and other Colleges

3508. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 138 on the 11th November, 1968 and state :

(a) whether information regarding minimum income of the guadians of the students of Delhi Polytechnic and other Colleges has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) (a) : Yes, Sir.

(b) The Delhi Administration have intimated that the number 813 includes 397 renewals and 416 fresh awards made to Scheduled Castes only. Renewals were made on the basis of the awards made in the previous years. The highest and lowest income levels covered in the award of fresh scholarships to the Scheduled Caste students were Rs. 498.80 p.m. and Rs. 40 p.m. respectively.

(c) Does not arise.

Uniforms for Railway Employees

3509. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the Departments of Indian Railways, the employees of which are provided with full cotton and woollen uniforms;

(b) whether it is a fact that trousers or full pants are not provided to Station Masters and Assistant Station Masters as were given to them earlier even if they work at night;

(c) if so, the reasons for discrimination among the employees of various classes in the matter of uniform ;

(d) whether Government propose to provide full uniforms to all the employees of Indian Railways; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a to (e). Uniforms for different categories of Railway employees were standardised in 1963 based on the recommendations of the Railway Uniforms Committee appointed by the Railway Board in 1955. According to the Standardised Dress Regulations a number of categories of staff of the following Departments on the Indian Railways became eligible for the supply of cotton and woollen uniforms :—

1. Accounts, Cash and Pay.
2. Commercial and Operating.
3. Catering.
4. Electrical.
5. Engineering.
6. Medical.
7. Mechanical.
8. Marine.
9. Signal and Tele-Communication.
10. Stores ; and
11. General.

In view of stringent need for economy, orders were issued in January, 1966, that Railways should issue uniforms for the time being in accordance with the old Dress Regulations existing on each Railway before standardisation in February, 1963 or in accordance with the Standardised Dress Regulations whichever were less liberal. These orders have been extended, for the present, upto 31-3-1970.

With the operation of Economy Orders, some disparity in the supply of uniforms to different categories of Railways employees arose including the one referred to in part (b) of the question. However, another Uniforms Committee has now been appointed for reviewing the recommendations of the Uniforms Committee appointed in 1955 having regard to the present needs, which will be judged primarily with regard to the duties that the employees have to perform.

Station Masters and Assistant Station Masters on the Indian Railways

3510. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Station Masters and Assistant Station Masters, separately, working on the Stations of Indian Railways ;

(b) whether it is a fact that quarters have not been allotted to all of them ;

(c) if so, the number of them separately ;

(d) the reasons for not giving them quarters ;

(e) whether House Rent Allowance is paid to such persons by Government ;

(f) if so, the rate thereof ; and

(g) when Government propose to provide quarters to them ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (g). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Welfare Scheme for Tribals in the Country

3511. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether any special scheme for the welfare of tribals in the country is under consideration of Government ; and

(b) if so, the main features of the scheme ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b). No new special scheme for the welfare of tribal people in the country is presently under consideration. All the schemes in operation in the Backward Classes Sector can be said to be special schemes in the sense that they are supplemental to the general developmental efforts of the various other Sectors of the Plans. The more important schemes of these are implemented in the Centrally Sponsored Programme with 100% Central assistance. The details of the existing schemes are contained in the Report of the Department of Social Welfare for the year 1967-68.

ढुलाई में माल की हानि

3512. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क परिवहन बढ़ जाने के कारण रेलवे को माल की ढुलाई में कितनी हानि हुई;

(ख) उक्त हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या 'कंटेनर' वाली नई सेवा आदि को एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सब स्थानों पर लागू करने का है और यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1967-68 के कुछ महीनों को छोड़कर जिनमें यातायात में थोड़ी गिरावट आयी, रेलों द्वारा ढोये जाने वाले यातायात में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। यह बात स्वयं सिद्ध है कि यदि सड़क यातायात न होता, तो ढुलाई के लिये रेलों को और भी अधिक मात्रा में यातायात उपलब्ध होता, लेकिन यह बात उल्लेखनीय है कि देश की अर्थ व्यवस्था में सड़क यातायात को अपनी भूमिका अदा करनी है और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें दोनों ही उसके विकास के लिए विभिन्न उपाय कर रही हैं। अतः सड़क यातायात में वृद्धि न होने की दशा में रेलें कितना यातायात ढोतीं, इस बात का अनुमान लगाने के प्रयास से कोई लाभ नहीं होगा।

(ख) रेलें निरन्तर जिस बात की कोशिश कर रही हैं, वह है सेवा के स्तर में सुधार। जिन कुछ पहलुओं पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है, वे हैं मालडिब्बों की समय से सप्लाई और रास्ते में लगने वाला समय। शीघ्र परिवहन सेवाओं और सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियों से माल के शीघ्र परिवहन की व्यवस्था की जाती है। रास्ते में माल को नुकसान और क्षति से बचाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाये जाते हैं। जहां उचित और व्यावहारिक होता है, पैकिंग की शर्तों को और आसान और कम खर्चीला बनाया जाता है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक माल की ढुलाई की दरें भी कम निर्धारित की जाती हैं। आउट एजेंसियों और सिटी बुकिंग एजेंसियां खोली जाती हैं और ग्राहकों की सुविधा के लिये रेल तथा सड़क परिवहन की समेकित व्यवस्था करने के लिये घर से माल इकट्ठा करके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। घर से घर तक सामान पहुंचाने और पैकिंग के खर्च में कमी करने के लिये प्रमुख स्टेशनों के बीच कन्टेनर सेवा की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही इससे रास्ते में हानि और उठाईगिरी की घटनाएं नहीं होंगी। घर से घर तक सामान पहुंचाने के लिए रेलों ने हाल में एक नयी योजना शुरू की है इसे 'फ्रेट फारवार्डिग' कहते हैं। इस योजना के अन्तर्गत 'फ्रेट फारवार्डर' रेलों के साथ एक करार के अन्तर्गत काम करता है। वह माल भेजने वाले उन व्यक्तियों से यातायात प्राप्त करता है जो कन्टेनर भर माल नहीं दे पाते और माल भेजने वाले विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत माल को कन्टेनर लोड में इकट्ठा करता है। कन्टेनर भार के लिये रेलें उससे स्पेशल दर पर प्रभार लेती हैं; परन्तु वह माल भेजने वालों के साथ अपनी शर्तें तय करने में स्वतंत्र रहता है। प्रत्येक रेलवे पर एक विपणन और बिक्री संगठन की स्थापना की गई है ताकि उपभोक्ताओं की संतुष्टि से सम्बन्धित रेल संचालन सभी पहलुओं पर काफी उच्च स्तर पर निगरानी रखी जा सके। यह संगठन सेवा के स्तर को बेहतर बनाने और व्यापार तथा उद्योगों से निकट सम्पर्क स्थापित करने में अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है ताकि उनकी कठिनाइयां यथासम्भव शीघ्र और प्रभावशाली ढंग से दूर की जा सकें। यह संगठन यातायात की ढुलाई के रुख पर कड़ी निगरानी रखता है और व्यापार को संतोषजनक सेवा प्रदान करने के लिये उपाय करता है।

(ग) और (घ). कन्टेनर सेवा उन स्टेशनों के बीच शुरू की जाती है, जहां कन्टेनर में भेजने लायक पर्याप्त यातायात उपलब्ध हो और जहां इस सेवा के काफी लोकप्रिय होने की संभावना हो। नगरों की जनसंख्या के आधार पर यह सेवा शुरू नहीं की जाती।

रेलों का विद्युतीकरण

3513. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक भारतीय रेलवे के किन-किन सेक्शनों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) अभी तक कौन-कौन सेक्शन चालू नहीं हुए हैं तथा उनके कब तक चालू हो जाने की संभावना है;

(ग) अगले तीन वर्षों में भारतीय रेलवे के किन-किन सेक्शनों का विद्युतीकरण किया जायेगा; और

(घ) क्या मध्य रेलवे का भुसावल-इटारसी सेक्शन इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 396/69]

(घ) जी नहीं । मध्य रेलवे के भुसावल-इटारसी खण्ड के बिजलीकरण को पुरानी चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान बिजलीकरण के कार्यक्रम में शामिल किया गया था, लेकिन इस योजना को आस्थगित करना पड़ा क्योंकि पुनासा नदी पर बांध बन जाने के फलस्वरूप इस लाइन का एक भाग पानी में डूब जायेगा और उसका फिर से स्थान-निर्धारण करना पड़ेगा ।

बिना टिकट यात्रा

3514. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** **श्री बसुमतारी :**
श्री नाथूराम अहिरवार : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये की गई कार्यवाही के क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या इस समय बुकिंग खिड़कियों पर उतने ही टिकट बिकते हैं जितने कार्यवाही के दिनों में अथवा उससे अधिक या कम बिकते हैं; और

(ग) यदि बिक्री कम हुई है तो क्या बिक्री बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम रहे ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जो कार्यवाई की गई है उसकी मुख्य सफलता यह है कि बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध एक वातावरण बन गया है क्योंकि बहुत से लोग धीरे-धीरे यह महसूस करने लगे हैं कि बिना टिकट यात्रा करने पर दण्ड पाने से बचा नहीं जा सकता । पकड़े गये मामलों में वृद्धि हुई है और

परिणामस्वरूप बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से अधिक रकम वसूल हुई है। दण्डात्मक प्रभाव पहले की अपेक्षा अधिक कारगर रहा है।

(ख) इसमें कमी-बेशी होती रही है।

(ग) जब किसी क्षेत्र में टिकट की बिक्री से होने वाली आमदनी कम होती है तो स्थिति में सुधार के लिए इस क्षेत्र में टिकट जांच सम्बन्धी कार्रवाई तेज कर दी जाती है।

यात्री डिब्बे

3515. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे को पुराने यात्री डिब्बों के स्थान पर तथा नई यात्री गाड़ियों के लिये नये डिब्बों की व्यवस्था करने के लिए प्रति वर्ष कितने यात्री डिब्बों की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या देश में निर्मित डिब्बों से यह आवश्यकता पूर्णतः पूरी हो जाती है और यदि नहीं; तो किस सीमा तक;

(ग) यदि देश में उपर्युक्त मांग से अधिक डिब्बे बनते हैं तो इस बात के क्या कारण हैं कि मध्य रेलवे की रेलगाड़ियों में निर्धारित संख्या से कम डिब्बे रहते हैं और डिब्बों की कमी के कारण भुसावल-इटारसी यात्री गाड़ी चलती ही नहीं है; और

(घ) वर्ष 1968 में ऐसे कितने डिब्बों का निर्यात किया गया था ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) चौथी योजना अवधि में सवारी डिब्बों की कुल वार्षिक आवश्यकता 1450 बदलाव लेखे में 670 और अतिरिक्त यातायात के लिए 780 होगी।

(ख) देश की वर्तमान उत्पादन क्षमता थोड़ी कम है और चौथी योजना अवधि की आवश्यकता पूरी करने के लिये इसे बढ़ाया जा रहा है।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि इटारसी-भुसावल सवारी गाड़ी को डिब्बों की कमी के कारण बन्द नहीं किया गया बल्कि कम यात्रियों तथा खण्ड पर परिचालन सम्बन्धी कठिन स्थितियों के कारण उसे बन्द किया गया।

(घ) जहां तक इस मंत्रालय को पता है, मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी द्वारा 33 डिब्बे।

Monthly Publication "Indian Railways"

3516. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether an English Monthly "Indian Railways" is published by the Railway Administration ;

(b) if so, the number of copies printed each month and the number of subscribers thereof ?

(c) the monthly expenditure and the income therefrom ;

(d) the monthly income to Government on account of advertisements published therein ;

(e) whether the Railway Administration gets any profit or sustains any loss through this publication ; and

(f) if it is a losing proposition, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. 'Indian Railways', a monthly magazine is published by the Ministry of Railways (Railway Board).

(b) The print order varies between 1,200 and 1,500 copies per month depending on demand and the number of subscribers varies between 650 and 700

(c) **Monthly Expenditure**
1967-68
Rs. 12,796
(including cost of staff).

Monthly Income
1967-68
Rs. 8,721

(d) **Average monthly advertisement income**
1967-68
Rs. 8,209.

(e) and (f). 'INDIAN RAILWAYS' has been financially self-sufficient over the past seven or eight years excepting 1967-68 when a loss of about Rs. 4,000 per month was sustained. However, it cannot be said that the magazine is a losing proposition because it is a publicity journal, investments in which cannot be measured in monetary terms alone. The financial loss in 1967-68 is attributable largely to the rise in dearness allowance of staff and cost of printing and paper. The recession in engineering industry, which is the magazine's main advertising support, has also had its effect—the advertising revenue fell from about Rs. 1,25,000 in 1966-67 to about Rs. 98,500 in 1967-68.

Inadequacy of Retiring Rooms at Futwah Railway Station

3517. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that passengers have to face many difficulties at the platform, retiring rooms etc. at Futwah station on the Eastern Railway in the absence of any lighting arrangement during the night at the said station ;

(b) whether it is also a fact that the Railway Gumti at the said place has also been lying half-built for the last many months and its construction is not being completed, which is also causing difficulty to the people ; and

(c) if so, whether Government propose to take action in this regard with a view to remove the said difficulties of the passengers ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) . (a) No. It is an electrified station and the platforms, waiting room etc. have been provided with electric lights.

(b) No new level crossing gate lodge (Gumti) is under construction at Futwah. Only the existing road surface of the existing level crossing at west end of Futwah station is at present under repairs and is expected to be completed shortly.

(c) Does not arise.

Giridih Railway Station

3518. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Giridih is an important railway station on the Eastern Railway;

(b) whether it is also a fact that there is no shed on the Railway platform resulting in inconvenience to passengers in all weathers ;

(c) whether Government propose to provide sheds there ; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) The construction of a shed is in progress and is expected to be completed during the current financial year.

Kota Railway Hospital

3519. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that good medicines are scarce for low-paid employees at Kota Railway Hospital ;

(b) if so, the quantity of medicines purchased locally ;

(c) the shop from which those medicines were purchased ;

(d) whether it is also a fact that no register showing distribution of medicines is maintained in the medical van running on Bina Railway line ;

(e) if so, the basis on which the accounts are maintained ; and

(f) the amount spent in this year on the railway van meant for distributing medicines ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise. Local purchase is resorted only when particular items of medicines go out of stock or not stocked but needed in an emergency. The local purchase is done from the open market and not any fixed shop.

(d) and (e). In the mobile van like other Health Units only a drug register is maintained for receipt and issue of medicines. No separate register is kept for retail issue of medicines which information is available from the case tickets. The basis for accounts is the same drug register.

(f) The budgetted provision for medicines is Rs. 4800/- for the current year 1968-69.

Cycle Stand at Kota Railway Station

3520. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cycle stand at Kota Railway Station is given on contract ;

(b) if so, the amount involved in the contract ;

(c) the names of the newspapers in which it is advertised ; and

(d) the date by which the old contract is likely to terminate and the new one is to commence ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) The present contractor is paying a licence fee of Rs. 1805/-, a cess charge of Rs. 36/- and water charge of Rs. 18 /- per annum. The amount of licence fee is in accordance with the tender of the contractor.

(c) The tender notice is normally advertised in Janwani Weekly, Kota, Hindustan Times (English), New Delhi, Hindustan Times (Hindi), New Delhi and Rashtra Doot, Jaipur.

(d) The term of the existing contract is due to expire on 30.9.1969. The fresh contract is due to commence from 1.10.1969.

Self-sufficiency in Machinery

3521. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the country would attain self-sufficiency in respect of machinery consequent to the Heavy Engineering Corporation having started manufacturing the required machines ;

(b) whether the import of machinery would now be discontinued ; and

(c) if not, the types of machinery which would still require to be imported ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c). The Heavy Machine Building Plant of Heavy Engineering Corporation Ltd. has a wide profile of items of manufacture. The full capacity of 80,000 tonnes a year of the plant is expected to be built up over a period of years upto 1975-76. At its full capacity, the principal items of manufacture would be as under :—

		Weight in tonnes a year
1.	Coke oven and bye product equipment	7,700
2.	Blast furnace equipment	5,500
3.	Steel making equipment	7,000
4.	Crushing and grinding equipment	3,150
5.	Crane equipment	6,570
6.	Rolling mills equipment	34,500
7.	Spare parts for metallurgical equipment	1,080
8.	Mining equipment	880
9.	Excavators	4,950
10.	Press forging equipment	1,360
11.	Heavy oil drilling rigs	5,500
12.	Miscellaneous heavy machine parts and assemblies	1,810
		80,000

Out of the above, about 65,000 tonnes would comprise steel plant equipment and the balance of 15,000 tonnes would cater to the requirements of other heavy engineering industries.

In addition, the Heavy Machine Tools Plant of Heavy Engineering Corporation Ltd. is being developed for the manufacture of various types of heavy machine tools upto 10,000 tonnes a year.

When the full capacity is reached, it will be adequate for manufacturing equipment for a steel plant of one million tonnes a year. As long as the demand for build up of steel machinery capacity is not in excess of this, the capacity of the plant will be adequate to meet the country's needs of equipment for steel plants and imports will not be permitted. Some of the items of equipment other than those required for steel plants are also being manufactured in other units in the country and the specific items of machinery, import of which should be banned, are decided from time to time depending on the development of manufacturing facilities in various public and private sector units.

केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के गैर-सरकारी निदेशक

3522. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं में नियुक्त वर्तमान गैर-सरकारी निदेशकों के नाम क्या हैं और उनकी अर्हताएं क्या हैं ; और

(ख) उन्हें किन-किन तारीखों को नियुक्त किया गया था, इनका कार्यकाल क्या है और उन्हें निदेशक बोर्ड अथवा उसकी उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिये कितने अन्य भत्ते तथा फीस आदि दी जाती है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच

3523. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **रेलवे** मंत्री 10 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 681 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी रेलों के लिये अधिकारियों द्वारा नियत समय में निरीक्षकों की संख्या नियत करने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो प्रत्येक रेलवे में इस समय एक नियत समय में अधिकारियों द्वारा कितनी बार निरीक्षण किया जाता है ;

(ग) वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों द्वारा कभी-कभी अचानक बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच न करवाने के क्या कारण हैं जिससे कि उनके नीचे काम करने वाले

अधिकारियों को सतर्क किया जा सके और जहां दोष स्पष्ट हो वहां उनको दण्ड दिया जा सके ; और

(घ) क्या बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों और कर्मचारियों में किसी सांठ-गांठ का पता लगा था और यदि हां, तो उन्हें क्या सजा दी गई ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ऊपर भाग (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

(ग) वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों से आकस्मिक जांच करायी जाती है, यद्यपि वे कितनी-कितनी देर बाद इस प्रकार की जांच करें, इस सम्बन्ध में अभी तक कोई समान आधार निर्धारित नहीं किया गया हैं । जैसा कि ऊपर भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, इसके लिए एक समान बारंबारता निर्धारित करने का प्रस्ताव है ।

(घ) एक चल-टिकट परीक्षक को जिसके विरुद्ध हाल ही में बिना टिकट यात्रा में सांठ-गांठ करने के एक मामले का जाहिर तौर पर पता चला था, मुअत्तल कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हो रही है । सांठ-गांठ के मामलों का पता लगाना और उन्हें सिद्ध करना कठिन होता है और इसलिए इस प्रकार के मामले बहुत कम सामने आते हैं ।

परमानेन्ट मेग्नैट्स लिमिटेड

3525. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'परमानेन्ट मेग्नैट्स लिमिटेड' कम्पनी के प्रायोजक कौन हैं ;

(ख) उसका पंजीकरण किस तारीख को हुआ था ;

(ग) वर्तमान मालिकों के नाम क्या हैं ;

(घ) कुल कितने मूल्य की अंशपूंजी है तथा किसके पास कितने अंश हैं ; और

(ङ) प्रारम्भिक अंशपूंजी कितनी थी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ) : सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 397/69]

एकस्व (पेटेन्ट्स) प्रदान करना

3526. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1947-48 से 1968-69 की अवधि में अब तक वर्षवार कलकत्ता स्थित

केन्द्रीय एकस्व कार्यालय में एकस्वों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) उपरोक्त अवधि में वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ग) वर्ष 1947-48 से 1968-69 तक, वर्ष-वार कुल आवेदनपत्रों में से कितने आवेदनपत्र भारत से प्राप्त हुए थे ; और

(घ) उक्त अवधि में वर्षवार प्रत्येक राज्य में कुल कितने भारत-मूलक और विदेशीमूलक एकस्व पंजीकृत हुए ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). आवश्यक जानकारी विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 398/69]**

पुरी-हैदराबाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी को क्षति

3527. **श्री बसुमतारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जनवरी, 1969 को विद्यार्थियों ने पुरी-हैदराबाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी की वेकुम ट्यूब को काटने का प्रयास किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इससे रेलवे सम्पत्ति को कुल कितनी क्षति हुई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। लेकिन 29-1-69 को सामलकोट स्टेशन के अप होम सिगनल पर विद्यार्थियों ने इस गाड़ी की निर्वात नली को काट दिया था जिससे गाड़ी 33 मिनट तक रुकी रही। लगभग 120 रुपये लागत के निर्वात उपस्कर बदलने पड़े।

हिमालयन टाइल्स द्वारा मनीपुर में स्थापित उद्योग

3528. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने हिमालयन टाइल्स नामक एक गैर-सरकारी सार्थ को भूमि दी थी, ताकि वह उस स्थान पर उद्योग स्थापित कर सके ;

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये गये हैं और उस सार्थ में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ; और

(ग) इन उद्योगों में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य रेलवे में ट्रैक रिकार्डिंग कोच

3529. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में केवल एक ट्रैक रिकार्डिंग कोच है और वही समस्त देश में घूमता रहता है ;

(ख) इस कोच द्वारा बताये गये दोषों को दूर करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) इस त्रुटि/दोष के कारण गत वर्ष भारतीय रेलवे पर ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुईं जिनमें गाड़ी पटरी से उतरी और दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में दी गई ;

(घ) क्या रेलवे में वरिष्ठ ट्रैक रिकार्डर के केवल दो स्थान स्वीकृत हैं और इनमें से एक स्थान रिक्त पड़ा है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या वान्चू आयोग के माटुंगा वर्कशाप के दौरे के समय माटुंगा और दादर रेलवे स्टेशनों के बीच कोई टक्कर हुई थी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) भारतीय रेलों पर दो रेल पथ अभिलेखन यान (ट्रैक रिकार्डिंग कोच) हैं और ये दोनों अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा नियंत्रित होते हैं । ये यान रेल पथ अभिलेखन और अनुसंधान कार्य के लिये सभी रेलों पर चलते रहते हैं ।

(ख) इन यानों द्वारा बतायी गयी त्रुटियों को ठीक कर दिया जाता है ।

(ग) 1967-68 के वर्ष में भारत की सरकारी रेलों पर क्रमशः 111 और 78 गाड़ियां पटरी से उतर गयीं जिनका कारण या तो रेल पथ में खराबी का होना था और जिनके लिए कोई उत्तरदायी नहीं ठहराया गया और/या रेल पथ में त्रुटि के कारण दुर्घटनाएं हुई जिनके लिए रेल-कर्मचारी उत्तरदायी ठहराये गये । भुगतान किये गये प्रतिकर के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) इस समय एक अनुभागीय अधिकारी इन यानों का इंचार्ज है । जून, 1968 में दूसरे यान को चालू करने के लिए हाल ही में अनुभागीय अधिकारी के एक अतिरिक्त पद की मंजूरी दी गयी है ।

(ङ) 1-2-69 को वांचू समिति ने माटुंगा कारखाना देखा था । यद्यपि वांचू समिति के माटुंगा कारखाना देखते समय माटुंगा और दादर के बीच कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, फिर भी 1-2-69 को 22-45 बजे परेल और दादर के बीच एक बिजली इंजन एक कचरा स्पेशल से टकरा गया था ।

Scholarships to Backward Classes

3530. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the percentage of marks in the Middle, Matriculation and Intermediate Examinations fixed by Government on the basis of which Scholarships were awarded to the students of backward classes in Uttar Pradesh during 1967-68 and 1968-69 ; and

(b) the number of students in Aligarh, Agra and Varanasi belonging to backward classes who filled up the form for backward classes scholarships for 1968-69 session and the number out of them who were granted scholarships ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b). The detalis are being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

केरल में केन्द्रीय सरकार के उद्योग

3531. **श्री अदिचन :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल विधान सभा द्वारा 18 फरवरी, 1969 को पारित उस गैर-सरकारी संकल्प की ओर दिलाया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह राज्य में शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए अपने उद्योग खोले ;

(ख) क्या यह सच है कि पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में केरल को केन्द्रीय निवेश का यथोचित भाग नहीं मिला है ;

(ग) यदि हां, तो चौथी योजना अवधि में केरल में केन्द्रीय सरकार की ओर से किस प्रकार के कितने उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं उनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा ; और

(घ) उक्त संकल्प को दृष्टिगत करते हुए इस सम्बन्ध में क्या सुधार किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि ऐसा प्रस्ताव केरल विधान सभा में 18 फरवरी, 1969 को पारित किया गया था ।

(ख) 1951—68 में केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक परियोजनाओं में किये गये 2450 करोड़ रुपये के विनियोजन में से 68.3 करोड़ रुपये का विनियोजन जिसमें पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया 51.1 करोड़ रुपये का विनियोजन भी सम्मिलित है, केरल में लगी परियोजनाओं में किया गया है । इन परियोजना को पूरा करने के लिए 67.0 करोड़ रुपये का और अधिक विनियोजन किये जाने का अनुमान है ।

(ग) तथा (घ). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है अतः योजना अवधि में केन्द्र सरकार के क्षेत्र में लगाए जाने वाले उद्योगों के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

रेलवे लाइसेंस प्राप्त कुली

3532. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले रेलवे लाइसेंस प्राप्त कुलियों को सेवा की सुरक्षा प्रदान करने को किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को रेलवे कुली संगठनों की ओर से कुलियों की दशा सुधारने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों में क्या मांगें की गई हैं ; और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) लाइसेंस प्राप्त भारिक रेल-कर्मचारी नहीं हैं बल्कि ऐसे लाइसेंसशुदा व्यक्ति हैं जिन्हें अनुबद्ध शर्तों के अधीन रेल-परिसर में काम करने की अनुमति दी जाती है। इसलिए सेवा की सुरक्षा प्रदान करने की किसी योजना का प्रश्न नहीं है। लाइसेंस की सुरक्षा की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि निर्धारित शर्तों का निरन्तर पालन किया जाय और व्यवहार अच्छा हो।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(ग) से (ङ) लाइसेंस प्राप्त भारिकों की मांगों के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। 15 और 16 फरवरी, 1969 को आगरा छावनी में रेलवे पोर्टर्स एण्ड वेंडर्स के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में पारित विभिन्न संकल्पों में जिन मुख्य मांगों को दोहराया गया है वे संलग्न विवरण में दी गयी हैं [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 399/69]

लाइसेंस प्राप्त भारिकों के काम-काज और रहन-सहन की परिस्थितियों का सही अध्ययन करने के लिये अगस्त, 1967 में श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय द्वारा एक अध्ययन दल गठित किया गया था। अध्ययन दल के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

(क) लाइसेंस प्राप्त रेलवे भारिकों और रेलवे की विभागीय खान-पान व्यवस्थाओं में कमीशन के आधार पर नियुक्त खोंमचे वालों के काम-काज और रहन-सहन की परिस्थितियों का अध्ययन करने और उनकी किसी तरह की उचित शिकायत के सम्बन्ध में रिपोर्ट देना ;

(ख) कामगारों की इसी तरह की कोटियों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको ध्यान में रखते हुए रेलवे या अन्य एजेंसियों द्वारा उन्हें जो बुनियादी सुविधाएं दी गयी हैं वे पर्याप्त हैं या नहीं इस बात की जांच करना ;

(ग) उनके काम-काज और रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने की सिफारिश करना ; और

(घ) ऐसे अन्य समस्त मामलों पर विचार करना और सुझाव देना जिन्हें अध्ययन दल उचित समझे ।

इस अध्ययन दल की उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है जिसमें संलग्न विवरण की मद 3 को छोड़कर अन्य सभी मांगें विचारार्थ विषय के अन्तर्गत आ जाती हैं । जहां तक मद 3 में उल्लिखित मांग का सम्बन्ध है, रेलों को हिदायतें दे दी गयी हैं कि अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त होने तक लाइसेंस प्राप्त भारिकों की संख्या न बढ़ायी जाय ।

अध्ययन दल की रिपोर्ट और सिफारिशें प्राप्त होने पर सरकार द्वारा आगे कार्रवाई की जायेगी ।

बाल कल्याण विषयक गंगाशरण सिंह समिति

3533. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल कल्याण विषयक गंगाशरण सिंह समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) समिति ने एक व्यापक प्रतिवेदन में 109 सिफारिशें की हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा कल्याण सम्बन्धी विशेष और सामान्य सेवाओं के विषय में हैं । सदस्यों, जो सिफारिशों का अध्ययन करना चाहें, की सुविधा के लिए प्रतिवेदन की छह प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Hedge Trading in Cotton

3534. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the East India Cotton Association has requested Government to consider the issue of Hedge Trading in Cotton ;

(b) its main objects ; and

(c) if so, the action being taken by the Government in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The main object, according to the Association, is that hedge trading would give to the various functionaries in the market insurance against abnormal price fluctuations, and would thus provide a relative stability in cotton prices.

(c) Government have not accepted the view of the Association and have not permitted futures trading (hedge trading) in cotton during the current Season.

नागालैंड में मतदान

3535. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में हाल ही के निर्वाचन के दौरान सामान्य प्रक्रिया न अपना कर वहां पर मतदाताओं को अपने-अपने पसन्द के अभ्यर्थियों के बक्सों में मतपत्र डालने की अनुमति दी गई ; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य प्रथा में परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) नागालैंड राज्य में निर्वाचकों को इतना अनुभव नहीं था कि चिह्न लगाकर मतदान करने की पद्धति अपनाई जा सके ।

पूर्व रेलवे में गाड़ी परीक्षकों के लिये छुट्टी रिजर्व

3536. **श्री स० मो० बनर्जी** : **क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में गाड़ी परीक्षकों के लिए छुट्टी रिजर्व परीक्षक नहीं दिये जाते हैं और उनके स्थान पर छुट्टी रिजर्व फिल्टरों से काम लिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य रेलों की भांति पूर्व रेलवे में भी गाड़ी परीक्षकों के लिए छुट्टी रिजर्व गाड़ी परीक्षकों की व्यवस्था करने के बारे में रेलवे बोर्ड का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

राष्टीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति

3537. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर और त्रिपुरा तथा अन्य संघ राज्यों के अल्प विकसित क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) इस समय समिति के कौन-कौन सदस्य हैं ; और

(ग) वर्तमान समिति का कार्यकाल कब समाप्त होगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1.7.1968 से राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद का 2 वर्ष की सामान्य अवधि के लिए पुनर्गठन कर दिया गया है।

राष्ट्रीय परिषद में नामन का आधार यह सिद्धान्त है कि, जहां तक व्यावहारिक हो, रेल उपयोगकर्ताओं के विभिन्न अभिज्ञेय और प्रमुख वर्गों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाय। प्रतिनिधित्व क्षेत्रानुसार नहीं दिया जाता।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 400/69]

(ग) वर्तमान परिषद का कार्यकाल 30.6.1970 को समाप्त होगा।

Rail Link Between Narkatiaganj and Gorakhpur

3538. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have ever considered the question of linking Narkatiaganj Station of the North-Eastern Railway with Gorakhpur through railway line in the absence of which the people of Uttar Pradesh and Champaran are facing much difficulty in transport and carrying on their professions ;

(b) if so, the steps being taken by Government in this connection ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). The direct rail link between Gorakhpur and Narkatiaganj via Bagaha and Chitaunighat, was disrupted in 1924 when the bridge over the Gandak river between Bagaha and Chitaunighat was washed away due to heavy floods in the river. The question of re-establishing this rail link was considered in the past but as the river Gandak has been changing its course quite often and has an unstable regime in these reaches, it may not be a feasible proposition to restore this bridge and the direct rail link in the near future. This proposal can be considered only after the river has established a stable regime in these reaches, and also if the proposal is justified on traffic and financial considerations at that time.

Champaran Express Train

3549. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Champaran Express runs between Narkatiaganj and Samastipur during night on the North Eastern Railway ;

(b) if so, the time when it passes through Pipra station on the same line ;

(c) whether it is also a fact that there is no other train on this line which passes through this station during night ; and

(d) if so, the reasons for which the Champaran Express does not halt at the Pipra station so as to enable the passengers to avail themselves of this night train service ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Nos. 97/98 Bagaha Palezaghat Champaran Fast Passenger trains run during the night on the Narkatiaganj-Muzaffarpur section ; 98 Dn. passes through Pipra station at 1.09 hrs and 97 Up passes through that station at 1.42 hrs.

(c) No.

(d) The quantum and pattern of traffic at Pipra station is adequately served by the 5 pairs of trains at present scheduled to stop there.

Direct Rail Link between Chupra and Motihari Stations

3540. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have at any time examined the feasibility of linking Chupra-Railway Junction and Motihari Station by railway line directly so that movement between the two District Headquarters could be facilitated ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) whether Government consider this rail link uneconomical ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (d). No investigations have been carried out in the past for this rail link. Due to paucity of funds, it is not possible to consider the question of construction of a new direct rail link between Chupra and Motihari, which involves construction of a costly bridge across the Gandak river (Narayani).

Credit Needs of Small-Scale Industries

3541. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri D. N. Patodia :
Shri C. Chittybabu :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have ever made an appraisal of the credit needs of small-scale industries in the country ;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, whether Government propose to make the said appraisal;

(d) if so, the time by which it is likely to be made; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b). A Sub-Committee of the Standing Committee of the Small Scale Industries Board on Credit facilities has made an appraisal of the credit needs of Small Scale Industries and related matters. According to the estimate of the Sub-Committee, the working capital requirements of the Small Scale sector in the Fourth Plan would be in the range of Rs. 700 to 1000 crores. As regards long term finance for meeting fixed capital requirements, the estimate was put at Rs. 425 to 500 crores.

(c) to (e). Do not arise.

सिमरिया रेलवे स्टेशन

3542. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंघेर जिले में सिमरिया की जनता ने पूर्व रेलवे में सिमरिया रेलवे स्टेशन के, जो पहले पूर्वोत्तर रेलवे में था, निर्माण के लिये उदारतापूर्वक अपनी भूमि दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सिमरिया के लोगों की उक्त स्टेशन तक एक संयोजक सड़क बनाने की मांग को बहुत दिनों से पूरा नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में एक संयोजक सड़क बनाने का रेलवे का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) वर्तमान सिमरिया स्टेशन गंगा पुल परियोजना के भाग के रूप में स्थायी तौर से बनाया गया है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

(ख) और (ग). सिमरिया स्टेशन के लिए इस समय एक कच्चा पहुंच-मार्ग बना हुआ है। जब कभी आवश्यकता होती है, इस सड़क की मरम्मत कर दी जाती है। इस सड़क को पक्का बनाने का कोई विचार नहीं है।

तेघरा स्टेशन पर बिजली लगाना

3543. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के तेघरा स्टेशन पर बिजली नहीं लगी हुई है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त स्टेशन पर बिजली लगवाने के लिए सरकार का तत्काल कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इससे पहले बिजली उपलब्ध नहीं थी।

(ग) जी हां।

(घ) सवाल नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के सम्बन्ध में ज्ञापन

3544. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के सम्बन्ध में ज्ञापन के बारे में 5 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3428 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन सदस्यों के साथ तथा किस संदर्भ में इस मामले पर बातचीत की गई है ;

(ख) प्रत्येक सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का ब्योरा क्या है ;

(ग) आयुक्त को उनके विचारों से अवगत कराने का क्या परिणाम निकला है ;

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा आयुक्त को भेजे गये पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) से (घ). समाज कल्याण विभाग के लिए संसद् की अनौपचारिक परामर्श समिति की 30 अगस्त, 1968 को हुई बैठक में ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में से दो ने मामला उठाया था। बैठक की कार्यवाही तथा उसमें उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध I और II में है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.** 401/69] जैसा कि बैठक में संकेत किया गया, सदस्यों के विचार आयुक्त तक पहुंचा दिए गए थे। और कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

(ङ) आयुक्त को सम्बोधित पत्र की प्रतिलिपि अनुबंध III में है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.** 401/69]

नमक का उत्पादन

3545. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत नमक के उत्पादन में आत्मनिर्भर है ;

(ख) यदि हां, तो देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में नमक का कुल तथा पृथक-पृथक वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और कितनी सफलता मिली है ; और

(घ) क्या प्रति वर्ष विदेशों को नमक का निर्यात किया जाता है और विदेशों से नमक का आयात किया जाता है और यदि हां, तो किन-किन देशों के साथ और इस पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है अथवा इसके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) 1968 में नमक का उत्पादन निम्न प्रकार था :

	आंकड़े हजार मी० टनों में
सरकारी क्षेत्र	365.3
गैर-सरकारी क्षेत्र	4678.4
योग ..	5043.7

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता :

(घ) नमक का बिल्कुल आयात नहीं किया जाता है । जहां तक नमक के निर्यात का संबंध है 1968 में अनेक देशों को किए गए निर्यात और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :—

निर्यात किये जाने वाले देश का नाम	**निर्यातित परिमाण (हजार मी० टनों में)**	**अर्जित विदेशी मुद्रा (रु० में)**
1. जापान	510.67	1,23,34.436
2. फिलिपाइन्स	11.18	2,57.048
3. सिंगापुर	13.33	3,29.081
4. श्रीलंका	2.45	1,42.300
5. अफ्रीका	24.77	18,95.278
6. मालदिव	0.40	17.200
7. फारमोसा	26.17	उपलब्ध नहीं
योग ..	588.97	1,49,75.343 रु०

टिप्पणी : नेपाल को किए गए निर्यात (28870 मी० टन) को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा का मामला नहीं है धन की अदायगी भारतीय रुपये में प्राप्त होती है ।

बिहार में पंजीकृत समवाय

3546. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 6 महीनों में बिहार में कुछ नये समवाय पंजीकृत हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वे भारत के किन-किन उद्योग समूहों से सम्बन्धित हैं ; और

(ग) उन समवायों की कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है और उनमें किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). फरवरी 1969 के अन्त तक छः महीने की अवधि के अन्तर्गत बिहार में ग्यारह प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां पंजीकृत की गई थीं । उन कम्पनियों के नाम प्राधिकृत पूंजी, पंजीकरण तिथि और मुख्य उद्देश्य विवरण में दिये हुए हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 402/69] वर्ग संबन्धन के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

हड़ताल में भाग लेने वाले अनियत मजदूरों को मुअत्तिल करना

3547. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे में 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के कारण नौकरी से हटाये गये अनियत मजदूरों की क्या संख्या है; और

(ख) प्रत्येक रेलवे में 19 सितम्बर की हड़ताल के बाद अपदस्थ किये गये अस्थायी कर्मचारियों की क्या संख्या है; और

(ग) क्या उन्हें नौकरी पर वापस ले लिया गया है अथवा लिया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) प्रारम्भ में नौकरी से हटाये गये अस्थायी कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

पूर्व	...	19
उत्तर	...	887
पूर्वोत्तर	...	123
पूर्वोत्तर सीमा	...	111
दक्षिण	...	493
दक्षिण मध्य	...	5
दक्षिण-पूर्व	...	19
पश्चिम	...	2
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	...	11
सवारी डिब्बा कारखाना	...	6
	योग··	1676

(ग) 1-3-69 को काम पर फिर से लगाये गये अस्थायी कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित थी :—

पूर्व	...	1
दक्षिण	...	454
उत्तर	...	245
दक्षिण-पूर्व	...	—
पूर्वोत्तर	...	52
पूर्वोत्तर सीमा	...	22
दक्षिण-मध्य	..	1
पश्चिम	—	—
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	..	6
सवारी डिब्बा कारखाना		6
		787

सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार कुछ और मामलों की समीक्षा की जा रही है ताकि उन कर्मचारियों को जो केवल काम से गैर हाजिर थे फिर काम पर लगाया जा सके।

अभी हाल में गृह मंत्री द्वारा संसद् में घोषित सरकार के सबसे बाद के निर्णय के अनुसार मामलों की और आगे समीक्षा की जायेगी और पात्र कर्मचारियों को फिर से काम पर लगा लिया जायेगा।

भटिंडा के यार्ड कर्मचारियों की याचिका

3548. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के भटिंडा रेलवे स्टेशन यार्ड के अधिकतर कमचारियों की ओर से सरकार को एक याचिका प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भटिंडा के यार्ड-कर्मचारियों ने स्टेशन मास्टर, भटिंडा के रवैये के खिलाफ अभ्यावेदन दिया था।

(ग) जांच की गई थी, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

Travelling in 1st Class Compartments on Railway Passes

3549. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the passengers travelling in Ist class compartments are holders of Railway passes and that the expenditure on maintenance of these compartments is more than normal ; and

(b) if so, keeping in view the above fact, the reasons for which more berths are not provided within the available space by amending the prescribed standards of amenities ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) While no separate figures of first class passengers travelling on railway passes are maintained it can be said by taking into account the sale of first class tickets that it is not a fact that most of the passengers travelling in Ist class compartments are holders of railway passes. As maintenance expenditure on passenger coaches is not booked class-wise there is nothing to indicate that maintenance expenditure on Ist class coaches is more than normal.

(b) Old type First Class coaches are already being replaced by new corridor type First Class coaches having more berths and a reduced standard of amenities.

Setting up of New and Halt-Stations in Bikaner Division

3550. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of new stations and halt-stations proposed to be set up under the Bikaner Division ;

(b) the number of new stations and halt-stations for which demands were made by various groups of people and the number of demands accepted ; and

(c) the number of those stations and halt-stations which have been set up and also of those which are yet to be set up ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Four.

(b) Demands for opening of 40 new stations/halts and conversion of 2 unmanned halts into contractor-operated halts were received during the last 5 years. Demands for opening 16 new halts and conversion of two unmanned halts have been accepted and proposals in regard to five new halts are still under investigation.

(c) 12 new halts have already been opened and two unmanned halts converted into contractor-operated halts. 4 halts are yet to be opened.

Utilisation of Fallow Land along Railway Lines

3551. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the quantity of foodgrains produced on the fallow land along the railway lines during each of the last three years under the grow more food campaign ;

(b) the earnings to the Railway Administration thereby during the said three years ; and

(c) whether the scheme is still being implemented and if not, the reasons for which it has been abandoned ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No record is maintained by the Railways in respect of quantity of food grains produced on fallow land along the railway track, licensed for cultivation purposes.

(b) Approximately Rupees thirteen lakhs.

(c) Yes. The scheme to license the surplus fallow land along the railway lines for cultivation purposes is still being implemented.

समवाय विधि के अधीन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का पंजीयन

3552. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का समवाय विधि के अधीन समवाय के रूप में पंजीयन करने के बारे में कोई आपत्ति मिली है ;

(ख) यदि हां, तो वे आपत्तियां क्या हैं ;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का समवाय के रूप में पंजीयन करने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) आपत्तियां बोर्ड के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों तथा नई व्यवस्था में स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं के दर्जे के बारे में थीं ।

(ग) क्षेत्रीय निर्देशक, समवाय विधि बोर्ड, कानपुर के पास फाइल की गई आपत्तियों का निरीक्षण कर लिया गया है और उनका जवाब दे दिया गया है ।

(घ) नहीं, श्रीमान ।

छोटे पैमाने के इस्पात फर्नीचर यूनिटों के काम बन्द होना

3553. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि "कोल्ड रोल्ड शीट" उपलब्ध न होने के कारण छोटे पैमाने के इस्पात फर्नीचर निर्माताओं का काम बन्द हो जाने की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा उन्हें इस 'शीटों' को शीघ्र दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद): (क) तथा (ख). लघु उद्योग इस्पात उत्पादक संघ, बम्बई से कोल्ड-रोल्ड सीटों की गम्भीर कमी के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इसलिए 1968-69 वर्ष के लिए इन चादरों के आवंटन को दुगुना करने का निश्चय किया है। अतिरिक्त आवंटन राज्यों के उद्योग निदेशकों को अपने-अपने राज्य में लघु उद्योग एककों में बांटने के लिए दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त वास्तविक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के लिए बी० पी० सी० आर० सीटें 1968-69 की आयात लाइसैंस नीति के अनुसार आयात करने के हकदार हैं।

रेलवे के कमर्शियल क्लर्क

3554. **श्री सूरज भान :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमर्शियल क्लर्कों के वेतन मानों रुपये 150-240 तथा 205-280 को मिला कर एक वेतनमान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) क्या हर श्रेणी के लिये उच्च वेतनमान के पदों की प्रतिशतता बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो नवीनतम स्थिति क्या है तथा प्रस्तावों को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). उन कर्मचारियों को जो अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गये हैं, राहत देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों की अपीलें

3555. **श्री सूरज भान :** क्या **रेलवे** मंत्री 18 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 119 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कर्मचारियों से कितनी अपीलें प्राप्त हुई हैं जिनके विरुद्ध विभागीय तौर पर कार्यवाही की गई है तथा जिनको सेवामुक्त कर दिया गया है; और

(ख) कितनी अपीलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया था तथा कितनी अपीलों को अस्वीकार कर दिया गया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लायड इंसूलेशंस लिमिटेड द्वारा घटिया स्तर के 'जोयंट फिलरों' की सप्लाई

3556. **श्री सूरज भान :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार ने मैसर्ज लायड इंसुलेशंस, नई दिल्ली को भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित स्तरानुसार 'जोयंट फिलरों' की सप्लाई के लिए दिनांक 14 दिसम्बर, 1967 को आदेश संख्या एस० 103/9-61/पी०-1/2663 दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उस फर्म ने दिल्ली में निर्मित तथा भारतीय मानक संस्थान की जाली मुहर लगाकर जांच रिपोर्ट के बिना ही घटिया स्तर का माल भेज दिया;

(ग) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को समय पर इसकी सूचना मिल गई थी और उनसे प्रार्थना की गई थी कि वे इस सप्लाई के लिए भुगतान रोक लें तथा समझौते की शर्तों के अनुसार इस फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करें;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस फार्म के तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स इस तथ्य से अवगत नहीं था कि उनको भेजे जाने वाला माल दिल्ली में निर्मित है और संभरणकर्ता ने आई० एस० आई० की जाली मुहर लगाई है । इस प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई है । मामला आई० एस० आई० को जांच और परीक्षण के लिए दे दिया गया है ।

Suspension of Post of Commercial Clerk at Mau-Ranipur Railway Station

3557. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for which the post of Commercial Clerk at Mau-Ranipur railway station on the Jhansi-Manikpur railway line has been suspended ;

(b) whether it is a fact that the businessmen and other people of that place have sent requests to the Railway-Department for the continuance of this post ; and

(c) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The post has been surrendered as its continuance is not justified on the basis of workload.

(b) Yes.

(c) The workload was again analysed and it was found that the operation of the post was not justified. A suitable reply has also been given to the representationists.

Precision Tools Factory, Kota

3558. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of profit earned by the precision tools factory being run by Government in Kota (Rajasthan) during the last year and the amount of capital invested so far in that factory ;

(b) whether it is a fact that the goods sold by the aforesaid factory so far had been procured from the other local small factory and if so, the details thereof ; and

(c) the dateils regarding the progress made so far by this industry ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Instrumentation Limited, Kota commenced production only in September, 1968.

Upto the 28th February, 1969 an amount of Rs. 377.53 lakhs has been invested as share capital and Rs. 323 lakhs as loan.

(b) No, Sir.

(c) The Company commenced commercial production in September, 1968 and has finalised a five year production plan. The present order booking to be met in a few years is about Rs. 10 crores. Last year the Company diversified its range of products and two of the items have been productionised. New instruments with indigenous know-how and substitution of materials have also been developed.

Direct Line Between Ahmedabad and Delhi

3559. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the steps taken so far to open a new direct line between Ahmedabad and Delhi via Mavli Junction and Chittorgarh ;

(b) whether it is a fact that a detailed survey has not so far been conducted by officials and no interest has been shown by the Railway Board regarding its possibilities ; and

(c) whether he proposes to direct the officials of the Western Railway to prepare a detailed plan in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). It is presumed that the Hon'ble Member is referring to the construction of the Kota-Chittorgarh rail link. A fresh traffic survey carried out for this line in 1965-66, both as broad gauge and metre gauge revealed that the line would be heavily unremunerative. Hence its construction was not taken up.

(c) A re-appraisal of the traffic prospects of Kota-Chittorgarh railway line, keeping in view the developments in the area which might have taken place since the last survey was conducted in 1965-66, is in progress. A decision regarding the construction of this line will be taken after the results of this re-appraisal are known and examined by the Railway Board.

Railway Telegraph Clerks

3560. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Telegraph Clerks who have so far been imparted training in transmitting and receiving telegrams in Devnagri script ;

(b) whether these telegraphists are encouraged to transmit Government telegrams in Devnagri ;

(c) whether Government have imposed any restriction on transmission of telegrams in Devnagri even in Hindi-speaking areas ; and

(d) the time by which the Railway Telegraph Clerks would be permitted to transmit telegrams in Devnagri ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 1500 approximately.

(b) Incentive was given in the form of honorarium to Telegraphists for qualifying in Hindi Morse.

(c) No.

(d) This is likely to take sometime to fully equip all Telegraph offices for transmitting telegrams in Devnagri.

केरल में औद्योगिक लाइसेंस हेतु प्रार्थना-पत्र

3561. **श्री अदिचन :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों हेतु लाइसेंसों के लिए आये प्रार्थना-पत्रों का तथा उद्योगपतियों के नाम, प्रस्तावित उद्योग का स्वरूप, प्रस्तावित स्थान, स्थापित की जाने वाली क्षमता, लागत तथा विदेशी मुद्रा आदि के संबंध में क्या ब्योरा है; और

(ख) केरल में उन उद्योगों का क्या ब्योरा है जिनके लिए लाइसेंस तथा आशय-पत्र भेज दिये गये हैं, तथा जो उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं उनकी स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है और वे संभवतः किन तारीखों तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Complaints against Officials of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

3562. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the anti-corruption department of Delhi Administration had received any complaint against any official of the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) According to the information furnished by Delhi Administration, no complaint has been received by the anti-corruption department of Delhi Administration.

(b) Does not arise.

Auditing of the Accounts of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

3563. **Shri P. L. Barupal**: Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government Auditors are sent for auditing the accounts of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ;

(b) If so, the details of main audit objections in the Audit Reports for the years, 1966-67 and 1967-68 ;

(c) whether it is also a fact that no action was taken by the Manager of the Bhawan on the audit objections raised previously by the Government auditors nor was any action taken by the Khadi and Village Industries Commission or Government in this regard ; and

(d) if so, the reaction of Government or the Khadi Commission in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes Sir.

(b) The inspection report of the Audit for 1966-67 contains 10 paras. The main objections are as under :—

(i) Loss due to the purchase of Sub-Standard Honey.

(ii) Loss due to thefts.

(iii) Overpayment of Travelling Allowance to Bhawan's Staff.

(iv) Shortfall in the achievement of Sale Targets.

(v) Losses sustained by the Khadi Gramodyog Bhavan's branch in Ashoka Hotel.

For 1967-68 the audit report has not been received.

(c) No, Sir. According to the information furnished by the KVIC, except six paras all other audit objections relating to the period 1964-65 to 1966-67 raised by the Government auditors have been settled. The outstanding paras are being pursued.

(d) Does not arise.

Sale of Goods in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

3564. **Shri A. Dipa** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some people in the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi are earning through illegitimate means by supplying more goods to other concerns and showing less on the records with a view to serve their self-interest ;

(b) if so, the number of such incidents detected or brought to the notice of the authorities so far :

(c) the details thereof and the action taken by the Department against the persons involved ; and

(d) the steps proposed to be taken by the Khadi Commission and Government against persons indulging in such practices ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d). Information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Cases of Thefts in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

3565. **Shri A. Dipa :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of incidents of thefts and leakages that took place in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi during the last three years and the number of cases out of them detected ;

(b) the numbor of cases which were reported to the police and those in respect of which no report was lodged ;

(c) the main reasons for which some of the aforesaid cases were not reported to the police and the action taken in respect of them ;

(d) the names of the persons held responsible for the goods stolen so far and the action taken against them ; and

(e) the total amount of loss suffered by the Khadi Gramodyog Bhawan as a result thereof during the last three years ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The number of thefts and leakages which have been come to notice are as under :

		Thefts	Leakages
1965-66	..	4	..
1966-67	..	..	..
1967-68	..	1	..
1968-69	..	1	2
Total	..	6	2

(b) to (d). Six cases of thefts were reported to the police. In these cases the police have not so far been able to trace the culprits. In the two cases of leakages departmental enquiry is in progress.

(e) Rs. 16,826.25

Irregularities in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

3566. **Shri A. Dipa :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the practices of making payment to workers working on

contract basis in the Ready-made Department of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi without taking delivery of the finished products, paying wages in excess of the work done and not taking correct average of cloth entrusted to them, were deliberately resorted to for personal gains and that the Manager of the Bhawan is also aware of such practices ; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by the said Manager, Khadi Commission or Government in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). Information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Maintenance of Stocks in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

3567. **Shri A. Dipa :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the large scale variations in the stock of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi are mainly attributable to the mismanagement and to the incidents of theft and leakage ;

(b) if so, how far the Manager of the Bhawan is responsible for these variations and the action taken against him or proposed to be taken by Government in this regard ; and

(c) the date from which the stocks are proposed to be maintained in terms of meters and items instead of in values ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). According to information furnished by the Khadi and Village Industries Commission, a difference of Rs. 2,50,502.22 between the stock ledger and stock inventory was noticed during the Physical Verification for 1967-63 It was, however, subsequently found that difference of about 2 lakhs was due to a clerical error which has since been rectified. The remaining difference is being looked into. The Commission would take further action in the light of the result of the enquiry.

(c) The stocks at the godown are generally kept in quantity as well as in value for all the items. Stocks in each sales department are kept in value ; but in cases of countables and costly items such as 'pashmina' and silk, the stocks are ordinarily kept in both quantity and value. The Khadi and Village Industries Commission consider that quantity accounts for other categories of textiles are not possible considering the volume of transactions.

Railway Guards

3568. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1057 on the 25th February, 1969 regarding Railway Guards and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). The matter is still under consideration. The required information will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Scheduled Caste Traffic Trainees on North Eastern Railways

3569. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1056 on the 25th February, 1969 regarding Scheduled Caste Traffic Trainees on the North Eastern Railway and state :

(a) at what level the representations sent by Members of Parliament were examined and the manner of ascertaining facts in this regard ;

(b) whether such representations were declared as not based on facts on the basis of misleading notes of officials ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the nature of constitutional hurdles in the way of getting the enquiry conducted by including the affected official ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Representations sent by Members of Parliament were examined by the Railway Board after ascertaining the facts from Railway Administration in the usual manner, and were seen by me.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) there is no reason to believe that the facts furnished by the Railway Administration are not correct. The question of associating the ex-employee to any enquiry does not, therefore, iarse.

Defalcation by Electrical Chargemen in Lucknow Division (N. Rly.)

3570. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the electrical chargemen of Lucknow Division of the Northern Railway had embezzled Government money in collusion with the Divisional Electrical Engineer by forging the signatures and thumb impressions of the employees engaged on daily wages ;

(b) the reasons for which the departmental proceedings in this regard had been hushed up ;

(c) the reasons for which the Divisional officers have not so far been punished for their having afforded illegal protection to such employees ; and

(d) the details of the complete service records of such employees ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No Sir ; no such case has come to the notice of the Railway Administration.

(b) to (d). Do not arise in view of reply to part (a) above.

Sub-Letting of Railway Quarters by Electrical Chargemen in Lucknow Division (N. Rly.)

3571. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have received reports to the effect that the Electrical Chargemen of the Lucknow Division of the Northern Railway have let out the quarters allotted to them by Government, to the private persons and are thus realising rent from them ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ;

(c) whether Government are aware that such employees had broken open a railway bungalow CNW-28 and had taken illegal possession of it ; and

(d) the action being taken by Government against the employees concerned for their such illegal acts ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) In October, 1968, the Northern Railway Administration received a complaint directed against the Electrical Chargeman (Construction), Lucknow alleging that the Railway quarter allotted to the Electrical Chargeman was under the occupation of an outsider from whom rent was being charged every month.

(b) The matter was enquired into by the Northern Railway Administration. Their investigations have revealed that a relative of the Electrical Chargeman was staying in the Railway quarter when the Electrical Chargeman himself had **temporarily** shifted from his quarter for some private reasons. No rent was charged by the Electrical Chargeman from his relative who was occupying the quarter to look after his belongings.

(c) Quarter No. C & W-28 was allotted with the approval of the competent authority under proper allotment orders. Hence, the question of breaking open this quarter by anybody does not arise.

(d) In view of reply to part (c) above, the question of taking action against any employee does not arise.

Non-reserved Seats contested by Scheduled Caste Candidates in U. P. Mid-term Election

3572. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of non-reserved seats contested by the Scheduled Caste candidates in the mid-term poll in Uttar Pradesh and the number out of them, who won ;

(b) the number of reserved seats, contested by candidates other than those of the scheduled castes in the said mid-term poll ; and

(c) whether it is a fact that the candidate, who had contested the election from Patti constituency in Pratapgarh district, Uttar Pradesh, was a resident of Jaunpur district, and belonged to Kahar community, which is not included in the list of scheduled castes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Deparment of Social Welfare (Shri Mohd. Yusus Saleem) : (a) to (c). The information is being collected.

खनन तथा संबद्ध उपकरण निगम के लिये उदार नियम

3573. **श्री भगवान दास** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनन तथा सम्बद्ध उपकरण निगम, दुर्गापुर ने जो उदार यात्रा तथा दैनिक भत्ता नियम बनाये हैं वे कम्पनी के कुछ अधिकारियों की सुविधा के लिये ही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस नियम के उदार बनाये जाने के बाद इस सम्बन्ध में वार्षिक व्यय अत्यधिक बढ़ गया है; और

(ग) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है कि इस ऐसे खर्च को कम किया जाये जिसको कम किया जा सकता है, विशेषतः जब इस उपक्रम की वित्तीय स्थिति बड़ी नाजुक है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). 31 जनवरी, 1969 तक माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, मोटे तौर से, केन्द्रीय सरकार के यात्रा भत्ता नियमों का पालन कर रही थी। 1 फरवरी, 1969 से लेकर कम्पनी ने सरकारी उपक्रम ब्यूरों द्वारा सितम्बर, 1968 में बनाये गये मार्ग दर्शक सिद्धान्तों पर आधारित अपने यात्रा-भत्ता नियम बना लिए हैं। कम्पनी का निदेशक-मण्डल ऐसे नियम बनाने के लिए सक्षम है। नये नियमों के अधीन कम्पनी के सभी श्रेणियों के वेतन-मानों के कर्मचारियों के दैनिक भत्ते में एक सी वृद्धि की गई है ताकि अन्य स्थानों में, जहां उन्हें कम्पनी के काम से जाना होता है और जहां आवास और परिवहन की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें कम्पनी के काम के लिए किये जाने वाले व्यय की क्षतिपूर्ति की जाय। इसके साथ-साथ यात्रा भत्ते और प्रासंगिक व्यय को समाप्त कर दिया गया है और कोई उदारीकरण नहीं किया गया है। इससे यात्रा व्यय में कोई असाधारण वृद्धि होने की संभावना नहीं है।

बिलेट के उत्पादन के बारे में लोक-सभा में 18-3-69 को उत्तर के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3502 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण।

वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 (दिसम्बर, 1968 तक) की प्रत्येक तिमाही में विक्रेय बिलेट का कारखाना-वार उत्पादन :

	अप्रैल-जून, 1966	जुलाई-सितम्बर, 1966	अक्तूबर-दिसम्बर, 1966	जनवरी-मार्च, 1967	(हजार टन) कुल
टाटा	74.1	76.9	78.6	92.7	322.3
इस्को	21.9	28.4	32.5	44.8	127.6
भिलाई	98.0	157.1	180.2	135.6	570.9
दुर्गापुर	53.0	29.2	30.8	26.1	139.1
जोड़ ..	247.0	291.6	322.1	299.2	1,159.9

	अप्रैल-जून, 1967	जुलाई-सितम्बर, 1967	अक्तूबर-दिसम्बर, 1967	जनवरी-मार्च, 1968	(हजार टन) कुल
टाटा	83.3	87.6	90.4	93.9	355.2
इस्को	39.4	34.0	45.0	39.2	157.6
भिलाई	168.3	158.6	133.6	100.3	560.8
दुर्गापुर	36.2	33.3	41.8	54.9	166.2
जोड़ ..	327.2	313.5	310.8	288.3	1,239.8

	अप्रैल-जून, 1968	जुलाई-सितम्बर, 1968	अक्तूबर-दिसम्बर, 1968	(हजार टन) कुल
टाटा	41.0	52.2	67.8	161.0
इस्को	31.9	36.2	33.0	101.1
भिलाई	80.1	114.5	115.8	310.4
दुर्गापुर	50.1	28.0	5.3	83.4
जोड़ ..	203.1	230.9	221.9	655.9

1966-67, 1967-68 और 1968-69 में (दिसम्बर, 1968 तक) पुनर्बेलन मिलों, को कारखाना-वार बिलेट का प्रेषण :

अवधि	टिस्को	इस्को	भिलाई	दुर्गापुर	कुल
1966-67	296	107	557	154	1114
1967-68	316	120	433	144	1013
1968-69	124	96	291	116	627

रंगीन फिल्मों का निर्माण

3574. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री द० रा० परमार :**
श्री प्र० न० सोलंकी : **श्री देवेन सेन :**
श्री किकर सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगीन फिल्मों के निर्माण के लिए भारत में कारखाना लगाने के संबंध में निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसको किस राज्य में लगाया जायेगा; और

(ग) कारखाना लगाने के लिए किस फर्म को अनुमति दी गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). रंगीन फिल्में बनाने वाली एक एकक की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

रेलगाड़ी द्वारा ढुलाई में माल की चोरी

3575. **श्री प्र० न० सोलंकी :** **श्री किकर सिंह :**
श्री देवेन सेन : **श्री द० रा० परमार :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में ऐसा कितना माल चोरी हो गया जो जनता द्वारा रेलगाड़ी द्वारा ढोये जाने के लिये बुक कराया गया था;

(ख) इसके लिये सरकार को कितना प्रतिकर देना पड़ा; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलों द्वारा अनेक प्रकार का सामान ढोया जाता है । ऐसी स्थिति में चुराई गयी कुल सम्पत्ति के आंकड़े नहीं दिये जा सकते । चुराये गये माल या उठाईगीरी के लिए क्षतिपूर्ति के लिए किये गये भुगतान की रकम उपलब्ध है ।

(ख) चोरी और उठाईगीरी के लिए किये गये भुगतान की कुल रकम 1966-67 में 2.45 करोड़ रुपये और 1967-68 में 3.55 करोड़ रुपये थी ।

(ग) 1966-67 और 1967-68 में क्रमश: 3,194 और 4,595 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । जिन व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाये गये, उनकी संख्या उपलब्ध नहीं है ।

अलोंग (नेफा) तक रेलवे लाइन

3576. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में आलोंग (नेफा) तक रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि आलोंग रेल द्वारा मिलाना प्रतिरक्षा समेत सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अत्यन्त महत्वपूर्ण है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) रक्षा मन्त्रालय से सामरिक महत्व पर इस लाइन के निर्माण की कोई प्रार्थना नहीं मिली है । अर्थोपाय की वर्तमान कठिन स्थिति के कारण निकट भविष्य में इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विचार करना सम्भव नहीं है ।

अधिक परिवहन कर्मचारियों की व्यवस्था

3577. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों के विद्युतीकरण तथा डीजलकरण के कारण 1947 से पहले की स्थिति की तुलना में यात्री गाड़ियों की सवारियां ढोने की क्षमता में तथा उनकी गति में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1947 से पूर्व की अवधि में एक रेलगाड़ी के साथ केवल 6-7 बोगियां लगती थीं और इसमें तीन परिवहन कर्मचारी अर्थात् गार्ड इंचार्ज, माल गार्ड तथा कण्डक्टर गार्ड होते थे, परन्तु लम्बी यात्री वाली गाड़ियों को खींचने की इंजनों की समूची क्षमता को ध्यान में रखते हुए केवल एक ही गार्ड इंडियन रेलवे अधिनियम, 1890 की धारा 115 के अनुसार वांछित सार्वजनिक सुरक्षा का व्यवहारिक रूप से ध्यान नहीं रख सकता; और

(ग) कार्यदक्षता समय की पाबन्दी तथा सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिये 1947 से पूर्व की अवधि की तरह अधिक परिवहन कर्मचारी देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह सच नहीं है कि 1947 से पहले 6 से 7 बोगियों वाली गाड़ियों में सामान्यतः एक गार्ड इंचार्ज, एक माल गार्ड और एक कन्डक्टर गार्ड रहते थे । किसी गाड़ी में अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या का उस गाड़ी की लम्बाई से कोई सीधा समानुपात नहीं होता । ट्रेन गार्डों, ब्रेकमैनों और कन्डक्टर गार्डों की विभिन्न गाड़ियों में व्यवस्था करना प्रत्येक गाड़ी की निर्दिष्ट आवश्यकताओं और विशेषताओं पर निर्भर करता है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

गाड़ी कन्डक्टर

3578. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 फरवरी, 1969 को कुछ संसद् सदस्य टूंडला (उत्तर प्रदेश) से दिल्ली को 11 अप गाड़ी से यात्रा करना चाहते थे परन्तु उन्हें आश्चर्य हुआ कि गाड़ी में कन्डक्टर नहीं था और टूण्डला के स्टेशन मास्टर के पास इस आशय की शिकायत दर्ज की गई और फिर गाड़ी के गार्ड से उन्होंने गाड़ी में स्थान दिलाने में सहायता देने को कहा;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त गार्ड उनके साथ स्थान दिलाने गये और उन्होंने कन्डक्टर को सोते हुए पाया;

(ग) क्या यह भी सच है कि जनता की सुरक्षा और वाणिज्यिक और परिवहन विषयों में अधिक कार्यकुशलता लाने के लिये संसद् के दोनों सदनों के कई सदस्यों ने परिवहन शाखा से कन्डक्टर गार्डों को पुनः लगाने पर बल दिया है; और

(घ) यदि उक्त भाग (ग) का उत्तर सकारात्मक है तो यात्री जनता की अग्रेतर असुविधाओं को समाप्त करने के लिये वाणिज्यिक पक्ष के कन्डक्टरों के स्थान पर परिवहन पक्ष के कन्डक्टरों को लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में एक शिकायत की गयी है और उसकी जांच की जा रही है ।

(ख) कार्यभारी गार्ड ने बताया कि वह यात्री के साथ गया था और उसने उसके लिए जगह की व्यवस्था की लेकिन उसने कण्डक्टर को नहीं देखा था। इसलिए वह यह नहीं कह सकता कि उस समय कण्डक्टर सो रहा था या नहीं । लेकिन ऊपर भाग (क) के उत्तर में जिस जांच का जिक्र किया गया है, वह इस मामले पर और प्रकाश डालेगी ।

(ग) इसके साथ-साथ कुछ संसद्-सदस्यों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि कण्डक्टरों के पद गार्डों से भरे जाने चाहिए न कि चल टिकट परीक्षकों से ।

(घ) कण्डक्टरों की ड्यूटी यात्रियों की सुविधा और उनके लिए जगहों की देख-भाल करना है और चूंकि ये पद अनिवार्यतः वाणिज्यिक कार्यों से सम्बन्धित हैं इसलिए इन पदों को वाणिज्यिक कर्मचारियों की पदोन्नति सरणि में शामिल किया गया है । यह कहना मुश्किल है कि वाणिज्यिक कार्यों को वाणिज्यिक कर्मचारियों की अपेक्षा परिवहन कर्मचारी अधिक अच्छी तरह से कर सकेंगे ।

संगचल रेल कर्मचारियों को संगचल भत्ता

3579. **श्री इसहाक साम्भली :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगचल रेल कर्मचारियों को कुछ राहत देने के लिये 1-12-1968 से संगचल भत्ते में वृद्धि की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एस० क्यू० टी०/ए० एस० क्यू० टी०/ए० वी० जी० रेल-गाड़ियों में काम करने वाले कर्मचारियों के समेकित संगचल भत्ते में अभी समुचित वृद्धि नहीं की गई है जिससे उन कर्मचारियों में असंतोष है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है और इस मामले को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

डा० खूबचन्द बघेल, संसद् सदस्य का शव सामान रखने वाले डिब्बे में ले जाना

3580. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री गं० च० दीक्षित : **श्री क० लकप्पा :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्य डा० खूबचन्द बघेल के शव को दिल्ली से रायपुर तक असम्मानजनक ढंग से ले जाया गया था ;

(ख) क्या उनके शव को दिल्ली से रायपुर तक ले जाने के लिये सुविधायें देने में रेलवे अधिकारियों ने सहयोग नहीं दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). डा० खूबचन्द बघेल का मृत शरीर रेल द्वारा नई दिल्ली से नागपुर ले जाया गया और शरीर के रेल द्वारा ले जाये जाने में रेलवे प्राधिकारियों ने सभी सम्भव सहायता और सहयोग प्रदान किया था ।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चीन द्वारा प्रशिक्षित नागाओं तथा भारतीय सुरक्षा सैनिकों के बीच बर्मा सीमा पर मुठभेड़

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर रक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

चीन द्वारा प्रशिक्षित नागाओं और भारत सुरक्षा सैनिकों के बीच हाल ही में बर्मा सीमा पर तुएनसांग जिले में हुई मुठभेड़ों, चीन द्वारा प्रशिक्षित तथा हथियारों से लैस किये गये नागाओं द्वारा नागालैंड में प्रवेश और भारतीय सुरक्षा सैनिकों द्वारा नागालैंड में नागा विद्रोही सेना के प्रमुख 'जनरल' मोबू अंगामी की गिरफ्तारी की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलायेंगे ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जैसा कि सदन को ज्ञात है अप्रैल 1966 से भूगर्भ नागा मोबू अंगामी के निर्देशन में सैनिक प्रशिक्षण और आयुधों की प्राप्ति के लिए चीन जाते रहे

हैं। उनमें से कई छोटे दलों में 1967 और 1968 में चीन से लौटने पर नागालैंड में प्रवेश कर पाये थे। तदपि, उनमें से अधिकतर कई मासों से अपनी सीमाओं के उस पार वर्मी भूक्षेत्र में थे, क्योंकि सीमा के साथ-साथ हमारे गुप्तचर विभाग के अधिक सतर्क होने और सुरक्षा उपायों को अधिक दृढ़ बना देने के कारण उन्हें नागालैंड में प्रवेश पाना कठिन हो गया था। भूगर्भ नागाओं में फूट भी पड़ गई थी। नागालैंड की जनता भारी बहुमत से शान्ति चाहती है। यह बात सफलतापूर्वक, शान्त और गणतान्त्रिक चुनावों द्वारा प्रमाणित हो गई है, जो नागालैंड में इस वर्ष फरवरी में हुए, और जिनमें भूगर्भ नागाओं से सहानुभूति रखने वाले कुछ लोगों ने भाग लिया। भूगर्भ दल के फिजो पन्थी की घटती महानता को देखते हुए मोबू अंगामी को उसके साथियों ने कहा था कि वह उस महानता को सुदृढ़ बनाने के लिये पुनः नागालैंड आये।

2. 7 मार्च, 1969 को मोबू अंगामी लगभग 200 विद्रोहियों के एक दल समेत नागालैंड में छुपे छुपे प्रवेश करने में सफल हो गया। इस दल की गतिविधि के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर सुरक्षा सेनाओं ने कार्यवाही की, और इसे बीच में रोकने को आवश्यक पग उठाये। इस दल द्वारा 11 मार्च, 1969 को हमारे एक गश्तीदल पर गोली चलाई गई थी। जिसके फलस्वरूप एक अवर श्रेणी कर्मचारी मारा गया, और तीन अन्य घायल हुए। तदपि हमारी सुरक्षा सेना ने उसका पीछा किया और मोबू अंगामी के शिविर को ढूंढ़ निकाला। 15-16 मार्च की आधी रात के शीघ्र ही पश्चात् मोबू अंगामी और उसका उपनायक लोविचे अंगामी चीनी निर्माण के कुछ आयुधों और उनके अपराध को सिद्ध करने वाले दस्तावेज समेत हमारे सैनिकों द्वारा उस शिविर के निकट पकड़ लिये गये। मोबू अंगामी और लोविचे अंगामी को दिल्ली लाया गया है। उनसे पूछताछ प्रगतिशील है।

3. आईजक स्वू के नेतृत्व में चीन से लौटने वाले एक नागा दल ने नागालैंड में 14-15 मार्च की रात को प्रवेश किया। हमारी सुरक्षा सेना ने उन्हें रोकने के प्रयास किये, और उसके फलस्वरूप उस दल से कुल 4 संघर्ष हुए। इन संघर्षों में 2 विद्रोही नागा और एक खुद-साख्ता अफसर कुछ आयुधों की राशि समेत पकड़ लिये गये। हमारी ओर कोई हताहत नहीं हुआ।

4. यह बड़े सन्तोष की बात है हमारे लिये, और मुझे विश्वास है सदन नागालैंड सरकार को तथा अपनी सुरक्षा सेनाओं को भी बधाई देने में मेरा साथ देगा, कि उनके सम्मिलित प्रयासों को सफलता प्राप्त हुई। हमें आशा है कि भूगर्भ नागाओं के पथ भ्रष्ट छोटे तत्व शान्ति और तर्क के पथ पर लौट आने में विश्वास करेंगे और हमारे गणतान्त्रिक संविधान और परम्परा के अनुसार नागालैंड की उन्नति और समृद्धि के लिये मिलकर काम करेंगे।

श्री स्वेल (स्वायत्तशासी जिले) : माननीय रक्षा मंत्री ने स्थिति पर बहुत अधिक संतोष व्यक्त किया है। कल की सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था कि मोबू अंगामी को उसके 200 सहयोगियों के साथ अपने अधिकार में ले लिया गया है परन्तु आज बताया गया है कि केवल

जनरल मोबू अंगामी और उसके उपनायक लोविचे अंगामी ही पकड़े गये हैं। अन्य 200 नागाओं के बारे में कुछ भी जाना नहीं जा सका इस बारे में भिन्न-भिन्न समाचार मिले हैं। एक में कहा गया है कि वे कुंधाई दल के विद्रोहियों के साथ जुंगली पहुंच गये हैं। दूसरी सूचना है कि वे श्री आईजक स्वू के नेतृत्व में जुगटी में विद्रोहियों के साथ वार्ता कर रहे हैं । एक अन्य समाचार है कि मोबू अंगामी एक ऐसे स्थान पर पकड़े गये जहां वह अपने उपनेता के साथ जुंगटी के विद्रोहियों द्वारा निःशस्त्र कर दिए गए थे। यह भी सूचना है कि मोबू अंगामी ने अपनी गिरफ्तारी से एक दिन पहले नागालैंड के शासकों से अपने आपको समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की थी । इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसने समर्पित करने के बारे में लिखा था। यदि हां, तो क्या सरकार उसके पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि उन्होंने सम्मर्पित करने के बारे में नहीं लिखा तो क्या जब वे पकड़े गये तब वे निःशस्त्र थे। अन्यथा उसने वीरतापूर्वक सामना क्यों नहीं किया और वह स्थान जुंगती से कितनी दूरी पर है, जहां वे पकड़े गये थे। क्या उनके पकड़वाने में जुंगटी के विद्रोहियों के हाथ थे। आसाम और नागालैंड के राज्यपाल का इस समाचार को जानकर तुरन्त वायुयान द्वारा कोहिमा जाने में क्या राजनीतिक महत्व है ? क्या राज्यपाल से हुई वार्त्ता का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा।

श्री स्वर्ण सिंह : इस समय अधिक विस्तार में जाना सम्भव नहीं। मोबू अंगामी ने अपने को समर्पित करने के बारे में कुछ लिखा हो, ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं है। उसने शस्त्रों का उपयोग क्यों नहीं किया, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। सुरक्षा सेनाएं सभी आवश्यक पग उठा रही हैं कितने व्यक्ति जुंगटी कैम्प में हैं और उन्हें बन्दी बनाया जायगा अथवा नहीं इसका निर्णय स्थानीय कमांडर राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात करेंगे।

वे कौन से स्मर-तन्त्र अपनाने जा रहे हैं अथवा क्या वे उन्हें बन्दी बनाते हैं अथवा नहीं इन बातों को मैं प्रकट नहीं कर सकता।

चौथा प्रश्न यह है कि क्या जुंगती स्थित आदमियों द्वारा हमारा अथवा हमारे आदमियों का पथ-प्रदर्शन किया जाता है ? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पांचवां प्रश्न है क्या वार्ता पुनः आरम्भ की जायेगी ? मैं नहीं समझता वार्ता पुनः आरम्भ करने की स्थिति आ गई है। छठा प्रश्न यह है कि राज्यपाल नाटकीय ढंग से कोहिमा क्यों इतनी जल्दी गये ? ऐसी गम्भीर परिस्थिति में कोई भी राज्यपाल हो, उसे ऐसा ही करना पड़ता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने होते हैं।

जहां तक समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों का सम्बन्ध है, हमारे देश में समाचार-पत्र स्वतन्त्र है और वे किसी भी बात को किसी प्रकार छाप सकते हैं और उसके लिये हम जवाबदेह नहीं हो सकते।

श्री रणजीत सिंह (रोहतक) : चीन से प्रशिक्षण-प्राप्त नागाओं के कितने दल नागालैंड में घुसे हैं, उनकी संख्या कितनी है और कितने ऐसे दल अब तक समाप्त किये गये हैं, उनके मुख्या-

लय कहां हैं और उनके नेता कौन हैं ? क्या सरकार तथा कथित जनरल अंगामी को, जिसे अपने मुख्य सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया है, और जिसे एक बार वर्ष 1957 में भी पकड़ा गया था और जिसके साथ शेख अब्दुल्ला जैसा ही बर्ताव किया गया था और जिसे बाद में रिहा कर दिया गया था, सरकार कानून अधिकारियों को सौंप देगी और उसके विरुद्ध राज्य के अपराधी के रूप में सामान्य ढंग से बर्ताव करने का अनुदेश देगी ?

क्या सरकार सुरक्षा सेनाओं की इस सफलता को देखते हुए उन्हें अपने विवेक से कार्यवाही करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करेगी ताकि वे वहां रहे-सहे ऐसे तत्वों को भी साफ कर सके ?

क्या सरकार सुरक्षा सेनाओं के कर्मचारियों को उनकी शौर्यता के लिये वीरता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रशिक्षण तथा हथियार प्राप्त करने के लिये चीन गये विरोधी नागाओं की संख्या कुछ दिन पहले गृह-कार्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में लगभग 4000 बताई थी और इससे ज्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है ।

वर्ष 1967 के अन्त से वे छोटे-छोटे टुकड़ों में वापस आने आरम्भ हो गये थे और हो सकता है कुछ लोग अभी बर्मा राज्य क्षेत्र में प्रतीक्षा करते हों । लेकिन इन परिस्थितियों में मैं ठीक-ठीक संख्या नहीं बता सकता कि कितने वापस आ गये हैं और कितने व्यक्ति रास्ते में हैं ।

जहां तक श्री अंगामी के साथ बर्ताव का सम्बन्ध है, हम कानून तथा संविधान के अनुसार ही बर्ताव करेंगे, जैसा बर्ताव उचित होगा वैसा किया जायेगा । मैं इस समय इस सम्बन्ध में सारा ब्योरा नहीं दे सकता कि उनके साथ क्या तथा कैसा व्यवहार किया जायेगा फिर भी, उनके साथ परिस्थिति की आवश्यकता तथा कानून के अनुसार बर्ताव किया जायेगा ।

जहां तक सुरक्षा सेनाओं को पूर्ण अधिकार देने का सम्बन्ध है, उन्हें सर्वोत्तम ढंग से स्थिति से निपटने के लिये हमेशा पूर्ण अधिकार दिये हुए हैं । वहां की परिस्थिति में राजनैतिक स्थिति को ध्यान में रखना सबसे जरूरी है इसलिये सुरक्षा सेनाएं इन राजनैतिक सीमाओं के भीतर रहते हुए हमेशा कारगर ढंग से स्थिति का मुकाबला कर रही हैं और इससे अधिक स्वतन्त्रता देने की आवश्यकता नहीं है ।

जहां तक वीरता पुरस्कार देने का सम्बन्ध है, मुझे पक्का विश्वास है कि वीरता पुरस्कार उचित अवसर आने पर अवश्य प्रदान किये जायेंगे । सारी स्थिति की जांच करके इन पुरस्कारों की घोषणा करना सेना मुख्यालय का विशेषाधिकार है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : क्या सरकार सैनिक अधिकारियों को उन विद्रोहियों के विरुद्ध जो सीमा पर हैं, कड़ी कार्यवाही करने की अनुमति देगी विशेषतः बर्मा सरकार से कहेगी कि वह भारत सरकार को सहयोग दे ताकि विद्रोही नागा लोग पकड़े जा सकें ? दूसरा—ऐसा लगता है कि श्री सुखाई के क्रांतिकारी (लेकिन नरम) दल के कुछ आदमियों ने जनरल

मोबू अंगामी को बन्दी बनाने में हमारे सैनिक अधिकारियों की मदद की है, और क्या सुखाई दल के लोगों के साथ बात-चीत पुनः आरम्भ की जायेगी ताकि राजनैतिक स्थिति और अधिक स्थिर हो और विद्रोही बलों को विशेषतः सुखाई वर्ग को प्रजातंत्रीय ढांचे में लाया जा सके ? अन्त में, क्या बन्दी जनरलों से पूछ-ताछ करने के परिणामस्वरूप सरकार को उन तत्वों की जो गड़बड़ी कर रहे हैं और उन विद्रोहियों के बारे में जो चीन से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बर्मा की सीमा पर इकट्ठे हैं और भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, युद्ध नीति तथा शक्ति के बारे में और आगे जानकारी प्राप्त हुई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : विद्रोहियों के साथ कड़ा बर्ताव करने की सरकार की नीति जरूर है लेकिन वह किसी प्रकार इस हद तक भी जाना नहीं चाहती जिससे सामान्य नागाओं को जिन्होंने चुनावों में भाग लिया है और जो हमेशा कानून अधिकारियों को सहयोग दे रहे हैं, और जो राज्य सरकार के अंग हैं, मुसीबत उठानी पड़े । विद्रोहियों के विरुद्ध हमेशा कड़ी कार्यवाही की जाती है । जहां तक बर्मा सरकार का सहयोग प्राप्त करने का सम्बन्ध है, उत्तरी क्षेत्र में उसकी अपनी समस्याएं हैं फिर भी वे स्थिति का मुकाबला बड़े प्रशंसनीय ढंग से कर रहे हैं ।

जहां तक राजनैतिक मोर्चे का प्रश्न है, हाल में वहां चुनाव अयोजित किये गये थे और वहां इस समय जो कुछ भी कार्यवाही की जाती है, चाहे वह राजनैतिक हो, सैनिक हो अथवा सुरक्षा सम्बन्धी हो, वह स्थानीय सरकार से अच्छी तरह परामर्श करने के बाद की जाती है ।

जहां तक बातचीत आरम्भ करने का सम्बन्ध है, इस समय स्थिति कुछ मोड़ ले रही है और सुरक्षा सेनाओं को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है । अतः जैसी स्थिति होगी, उसके अनुकूल पग उठाया जायेगा ।

Shri Y. D. Sharma (Amritsar): May I know whether it is a fact that military authorities are not allowed the use of helicopters and other planes while dealing with the rebel Nagas and whether such a bar has been placed on their use ? Secondly, what treatment will be meted out to Shri Angami and his Chief associate—whether they will be dealt with firmly and would not be released so as to discourage the rebels to indulge in such activities in future. Thirdly—May I know whether Government have ascertained if the Chinese agents are operating in NEFA to get their plans executed and if so, the number thereof and how Government proposed to deal with and apprehend, mop-up and smash these rings ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच नहीं है कि विमानों, हेलीकोप्टरों तथा अन्य हथियारों के प्रयोग पर ऐसी कोई रोक लगाई गई है । स्थानीय कमान्डर परिस्थिति के अनुसार किसी चीज का प्रयोग कर सकते हैं ।

जहां तक श्री अंगामी के साथ बर्ताव का सम्बन्ध है, उनके साथ कानून तथा परिस्थिति के अनुसार व्यवहार किया जायेगा ।

जहां तक चीनी एजेन्टों का सम्बन्ध है, यह केवल एजेन्टों का ही सवाल नहीं है । वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में चीन गये हैं और वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके और हथियार

लेकर वापस आये हैं। उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनके गिरोहों को तोड़ा जाय और नष्ट कर दिया जाये।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : First I would like to congratulate our security forces for their commendable performance. The capture of Shri Angami and others has vindicated that our army is strong as well as intelligent. May I know whether there are indications that there is still contact between the hostile Nagas and Phizo who is in U. K. ? Not only does he go to Pakistan but there are several other contracts. May I know whether Government are trying to make their efforts to break that contact and whether they have taken up this matter with the British Government and other commonwealth countries and if so, what their reaction is ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि विद्रोही नागाओं विशेषत: चीन समर्थक नागाओं और श्री फिजो के बीच परामर्श होते रहे हैं। लेकिन इस सम्पर्क को तोड़ना हमारे लिये सरल नहीं है क्योंकि श्री फिजो ने अब ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर ली है। लेकिन हमने ब्रिटिश सरकार से कहा है कि वह उसे ऐसे किसी काम के करने में सहायता न दे जो हमारे हित के विरुद्ध हो। आमतौर पर वे यही कहते हैं कि उन्हें उसकी ऐसी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

'आर्गेनाइजर' के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST EDITOR OF 'ORGANISER'

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं विशेषाधिकार का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं जो "आर्गेनाइजर" में छपे एक लेख के सम्बन्ध में है। यह लेख मेरे उस भाषण के सिलसिले में लिखा गया है जो मैंने अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में 18 फरवरी को लोक सभा में दिया था। इस लेख में मेरे तथा मेरी पार्टी के विरुद्ध अपमानजनक बातें कही गई हैं जिसका एक अंश इस प्रकार है :

"Speaking on the no-confidence Motion in the Lok Sabha on February 18, Shri P. Venkata Subbaiah, a Congress Parliamentary Party secretary said : 'In West Bengal, I could understand the election results going in favour of the United Front. It is an impact of the Peking Pindi axis on the West Bengal people' Shri Venkatasubbaiah did not give his reasons for this astounding assertion ; may be because he was shouted down by the communists or better still because nothing shames a congress man more than to confess that he is born of a Hindu mother."

इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। इसलिये मैं, आपके माध्यम से सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस पत्र के विरुद्ध जो भी उचित समझे, कार्यवाही करे।

अध्यक्ष महोदय : इस पत्र ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है लेकिन कोई कार्यवाही की जाने से पहले मुझे सभा की अनुमति से, सम्पादक को लिखना होगा और मालूम करना होगा कि उसने ऐसा क्यों लिखा और उसके बाद तब इस मामले को सभा के समक्ष लाऊंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनकी कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समीक्षा

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं श्री फख्रुद्दीन अली अहमद की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की 619 क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) (एक) भारत हैवी एलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । **[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० 384/69]**

ठेका (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं श्री रघुनाथ रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) अग्रिम ठेके (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 27 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 638 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 641 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(2) अग्रिम ठेके (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 18 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 639 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 642 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी० 345/69]**

ध्यानाकर्षण सूचनाओं तथा विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में

Re. CALLING ATTENTION NOTICES AND POINTS OF PRIVILEGE.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : क्या मैं जान सकता हूं कि बजट लीकेज के प्रश्न पर श्री मधु लिमये द्वारा पेश किये गये विशेषाधिकार के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बिना मेरी अनुमति के एक दम ऐसे प्रश्न नहीं उठा सकते, उन्हें ऐसे मामले उठाने से पूर्व मुझे लिखित रूप में सूचित करना आवश्यक है ।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मैंने मध्य प्रदेश के नये मुख्य मंत्री के बारे में ध्यान दिलाने वाली एक सूचना दी थी·····

अध्यक्ष महोदय : मुझे आज सुबह ध्यान दिलाने वाली 40 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं···

श्री चेंगलराया नायडू : यह एक अविलम्बनीय मामला है, मुख्य मंत्री मंत्रिमंडल बना नहीं सके हैं और विधान सभा में शक्ति परीक्षण किये बिना वह राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सलाह दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आज 40 सूचनाएं मिली हैं और सभी को स्वीकृत करना संभव नहीं है ।

फिर मध्य प्रदेश में अभी विधान सभा है और शायद परसों उसकी बैठक हो रही है । देखें उसके बाद क्या होता है ।

सदस्य (श्री जे० एल० पटेल) की गिरफ्तारी तथा दोष सिद्धि

ARREST AND CONVICTION OF MEMBER (Shri J. H. Patel)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे बंगलौर के पुलिस आयुक्त से दिनांक 17 मार्च, 1969 के दो वायरलैस संदेश प्राप्त हुए हैं जिनमें यह बताया गया है कि—

(1) लोक-सभा के सदस्य श्री जे० एच० पटेल को यातायात में बाधा डालने और सार्वजनिक स्थान पर अनुचित रूप से व्यवहार करने के कारण 17 मार्च, 1969 को 12-30 बजे म० प० पर गिरफ्तार किया गया, और कुब्बन पार्क थाने, बंगलौर में रखा गया और उन्हें अतिरिक्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, सिविल एरिया, बंगलौर के सामने पेश किया जा रहा है ।

(2) सदस्य को अतिरिक्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, सिविल एरिया, बंगलौर के सामने पेश किया गया और मैसूर पुलिस अधिनियम की धारा 92 (0) के अन्तर्गत दोष सिद्ध पाया गया और 15 रुपये जुर्माना और उसके अदा न किये जाने पर तीन दिन के साधारण कारावास का दण्ड दिया गया । सदस्य ने जुर्माना अदा नहीं किया । अतः उन्हें कारावास भुगतने के लिए सेन्ट्रल जेल, बंगलौर में भेजा गया ।

अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1969-70

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAY) 1969-70

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : रोलिंग स्टाक अर्जन कार्यक्रम के पृष्ठ 417-18 में 2340 बोगी खुले माल डिब्बों का उल्लेख है। बाद में बड़ी लाइन के लिये सी० आर० अथवा बी० सी० एक्स० टाइप के कुछ बोगी बन्द मालडिब्बों के लिये क्रयादेश देने का विचार किया गया है।

सामान्य परिस्थिति में इस मद के लिये मुझे सांकेतिक मांग के साथ आना चाहिए था लेकिन यह मांग अभी चर्चाधीन है इसलिये मैं इस मामले की ओर सभा का ध्यान दिला रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब रेलवे से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर और आगे विचार विमर्श करेगी।

श्री देवेन सेन अपना भाषण जारी रखें।

Shri Deven Sen (Asansol) : Sir, I was pointing out yesterday that an amount of Rs. 3634 crores was invested in the indian Railways whereas the total investment in the public sector undertakings does not exceed Rs. 3500 crores. During the British regime, it was a source of surplus revenue but today the position in respect of our railways is otherwise. They are suffering losses due to inefficiency in performance, over-estimates of traffic requirements and lack of seriousness.

The P. A. C. in their Report for the year 1968-69 have observed that the committee cannot resist the impression that the Railways persistently over-estimate traffic requirements while planning for rail capacity. They have further added that the Committee would like the Planning Commission and Government to ensure that while drawing up Fourth Plan, planning for rail capacity is done on a more realistic basis and the persistent tendency to over-estimate traffic requirements and push up investments is firmly curbed. They have criticised the Railway for the purchase of wagons during the Third Plan without detailed calculations. The Railway had to suffer a loss of Rs.62 lakhs due to this purchase which was an avoidable expenditure. They had to suffer a loss of Rs. 10.32 crores and Rs. 15.66 crores in 1966-67 and 1967-68 respectively due to lack of proper care being exercised on their part which is, no doubt, a sorry state of affairs.

The retrograde decline in the quantum of goods traffic during the last 8 years is a sufficient proof of inefficiency in the utilisation of wagons.

The railway fares have been raised with the increase in passenger traffic. But, to our utter surprise, the revenue from passenger traffic has decreased by Rs. 12 crores. There is also a retrograde decrease in the percentage of net revenue receipts to capital at charge. It was 4.02 in 1966-67 but it came down to 3.69 in 1967-68, on the other hand, the operation ratio is increasing evey year. It increased from 74.7 in 1962-63 to 79.9 in 1964-65, 83.2 in 1966-67 and 84.7 in 1967-68. The Railway Minister must explain why this sorry state of affairs is going on in this organisation and why steps are not being taken to improve efficiency and to avoid wasteful expenditure and unproductive investment.

The Railway Minister has not brought a legislation to abolish the contract labour in the railways. The Railway had given assurance that they would discontinue the contract labour system and even if they had to employ contract labour in certain unavoidable circumstances, they would give contracts to and through labour co-operatives. But this assurance has not been implemented in full.

The explanation by the Railway Minister that the increase in the railway expenditure is the result of the increased wages and D. A. of railway workers is not convincing.

Retrenchment of two thousand workers has been effected in various railways during 1967-68. It is not good. In his statement the Railway Minister has made no mention of automation. But it is introduced in railways. It is reported that the railway proposed to reduce the present strength of 13 lakhs to 7 lakhs by the end of 1971. The Minister should clarify the position.

It is good that the Government have adopted a liberal attitude towards their employees who participated in 19 September strike. But the break in service has not been regularised. The Government should grant recognition to those 90 unions which were derecognised after the strike. It is also desirable to appoint a separate tribunal for the railway employees which should go into the question of minimum need based wages. The appointment of a high powered commission to go into the working of the railways as also to suggest ways and means to improve efficiency in the railways is necessary.

श्री के० सूर्यनारायण : (एलूरू) मैं रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके द्वारा तुरन्त कार्यवाही करने पर बधाई देता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० पर तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen hours of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर 7 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Seven Minutes past Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री को० सूर्य नारायण : डा० राम सुभग सिंह जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जबसे रेलवे मंत्रालय का कार्यभार लिया है दुर्घटनाओं की संख्या कम हो गई है यह ठीक है कि दुर्घटनाओं के लिये मंत्री जिम्मेदार नहीं होते परन्तु रेलवे की नीति निर्धारित करने में उनका दायित्व होता है । उसे कार्यान्वित करना तो कर्मचारियों का काम है ।

टिकट क्लेक्टर अपना कार्य पूरी दयानतदारी से नहीं करते, क्योंकि उन्हें बिना टिकट के चलने वाले यात्रियों के पकड़ने के लिये कुछ नहीं मिलता । गैर-सरकारी फर्मों में भी फालतू कार्य करने पर कर्मचारियों को बोनस अथवा अन्य प्रकार से सहायता दी जाती है । यदि इनको भी प्रोत्साहन के रूप में कुछ मिलने लगे तो इससे दो प्रकार का लाभ हो सकता है । मेरा सुझाव

है कि बिना टिकट वाले यात्रियों से एकत्रित की जाने वाली राशि में से उन्हें कुछ न कुछ प्रोत्साहन के रूप में दिया जाये। इसे कमीशन कह सकते हैं। इससे सरकार की आय में भी वृद्धि होगी और बिना टिकट के यात्रा की प्रवृत्ति भी कम होगी। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि गाड़ियां बहुत देर से चलती हैं। परन्तु हमें जो विवरण दिया गया है उसके अनुसार देर से चलना कुल बीस प्रतिशत है। हम कह नहीं सकते कि सच क्या है। हां, गाड़ियों की दुर्घटनाओं में अवश्य कमी हुई है, यह सभी स्वीकार करते हैं। अतः यह अच्छा ही है कि दुर्घटना न हो, भले ही गाड़ियां कुछ देर से चलें। सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। रेलवे के विश्राम गृहों में बहुत सुधार की आवश्यकता है। उनमें सफाई आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

रेलवे में कार्य करने वाले फायरमैनों को वर्दी नहीं मिलती। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

आंध्र प्रदेश सरकार ने नई लाइनों के बिछाने के लिये अनेक प्रस्ताव भेजे थे। यह चार लाइनों के बारे में थे। एक बेलाडिला से भद्राचलम तक दूसरा सिकन्दराबाद से बरास्ता नालगोडा ओंगोले तक हैं। यह तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्र के लिये होगी। श्री पुनाचा, भूतपूर्व रेलवे मंत्री ने इसके बारे में आश्वासन दिया था।

विजयवाड़ा से मद्रास तक विद्युतीकरण के लिये आंध्र प्रदेश सरकार और राज्य बिजली बोर्ड सहमत हो गये हैं। जब तक यह किया नहीं जाता तब तक उस क्षेत्र में अत्यावश्यक वस्तु और यात्री परिवहन में सुधार नहीं होगा और लोगों के लिये कठिनाई बनी रहेगी। माननीय मंत्री को इस ओर अविलम्ब ध्यान देना चाहिये।

बड़े-बड़े नगरों के समीप लाइनों पर ऊपर के पुल बनाये जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में जो सुझाव भेजे हैं उन पर विचार किया जाना चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : I welcome the Hon. Minister taking over the Railway portfolio. Railways is the biggest public undertaking of our country. A practice was established during the British days that Railway Budget should be separate from the General Budget. This practice should be done away with. I feel we should have one General Budget which should include the railway budget, as a part.

There has been a very big expansion in the activities of Railways. But I am constrained to say that the passengers facilities have not been increased, accordingly. I hold the Railways responsible for the devastation caused by famine in Rajasthan. They have not provided adequate number of wagons for rushing the essential supplies to the famine stricken areas. The fodder shortage has taken a big toll of animals. Rajasthan has to suffer every year due to famine and drought. In this critical situation Railways should provide all help. The Western Railway and Northern Railway should be merged, so there is better coordination and lesser conflict between Railway authorities of that area. It will be of great help to the people. I feel the railways employees are not satisfied with their lot. The guards have been deprived of

their detention allowance. It is having a very demoralising effect on them. It has adverse effect on the guards of goods train. The guard of goods train should be provided security. He has to be on duty during odd hours and at unsafe places. I do not understand the wisdom in posting attendants in places of conductors. It will be a bad economy. It should be looked into.

The T. T. E. has been provided khaki dress. It is not so good. The contract for supplying of dresses should be dencentralised Division wise. It was suggested long back. I feel that the present system should be changed.

The cashiers of Railway deserve better deal at the hands of the authorities. They should be given due recognition. Cashiers should be provided separate compartment in Railways, because they carry with them huge sums of money.

The commercial clerks in Railways have to work under very difficult conditions. They are responsible for the safety of goods. They are transferred after every five years. As they are a non-essential category, they are not entitled for Government accommodation. This puts on them a great burden. It should be looked into and better working and living conditions should be ensured for them. The pay scales of all categories of staff except those of commercial clerks have been revised. It should be done in their case also. They should also be paid night duty allowance. The running allowance should be paid as at present. It should not be changed as fixed one. Some persons had died as a result of the falling of girders over them while on duty at Anderi river. Their dependants should be paid due compensation.

There are six such persons who had participated in the strike of 1960 and who have not been paid their salaries for five months even uptill now. They should be paid their dues.

The Railway Board has laid only three new lines after independence. These too have been laid under pressure from Gujaratis and Defence authorities.

As per survey, one day's earning from third class is Rs. 65 lakh and one day's earning from first class is Rs. 5 lakh. Inspite of this they are spending more and more on first class passengers. How far is it justified?

Then the passengers of third class are not given proper care. They are not provided basic amenities. The Rajdhani Express is a useless train. Its fare is very high.

The Railway Minister wants that the employees should put in extra work, so that income could go up. I would like him simultaneously to increase the emoluments and facilities of workers. The number of third class coaches should be increased. There should be some third class coaches attached to Rajdhani Express. A train like that should be run between Delhi and Bombay. There should be third class compartments in that train.

More lines should be laid in Rajasthan. A line should be laid from Chittor to Kota. The people of those areas are prepared to contribute some lakhs of rupees for this. If more lines are laid there it will help in the development of backward areas of Rajasthan. Moreover it will be very beneficial to the Railways also.

There is only 15 miles distance from Kota to Jhalawar. It should be provided a rail link. I want to know why D. S. office at Gonda is proposed to be shifted to Lucknow. It will not be of any benefit.

I request that my suggestions should be considered favourably and put to practical shape.

Shri Chandrika Prasad (Balia) : Sir, I support the Demands of Railways. It is good that rates of fare and freight are not being increased, but it would have been far better if some additional amenities for the third class passengers had been announced. This class is the most neglected class. Ours is a poor country and it is third class that is used by a vast majority of passsengers. That is why I plead that more attention should be paid on the improvement of condition of third class compartment. I am surprised to know that Rajdhani Express has been started, ignoring the difficulty of lower class passengers. The ticketless travel should be checked more vigorously and stern action should be taken against the guilty persons. There is a large scale pilferage of Railway goods. It should be curbed with earnestness.

The travel by railways is not safe at present. The number of accidents in running train is on the increase. It should be looked into and the situation improved. Government should provide avenues of promotion to commercial clerks. They are the most neglected lot among all the categories of Railway employees. This category was very loyal during the strike. The workers of lower categories should be provided with all help in their day to day difficulties. Drinking water should be made available on all the stations. There should be a water compartment with the running train as was the practice in the past.

Varanasi is an important place in our country. There is no direct train to that place from Delhi except the Upper India Express. Another train running between Delhi and Calcutta should go via Varanasi.. Our area has all along been a neglected area. It should be paid special attention and more line should be constructed there. There are two bridges—Manjhi and Trutipara—in our area. They are in very bad condition. They should be reconstructed.

The dieselisation is costly. It should not be introduced. The steam engines should be used in more numbers.

Shri Bhagwan Das (Ausgram) : The attitude of the Railway is anti-worker and anti-working class. The old British bureaucratic set up is still continuing in our administration. This Board is an example. I feel that it should be abolished, if you want some improvement in our Railway's working.

I come from West Bengal. There the wagons are in short supply. The small industrialists are facing great difficulty due to this. Some engineering units have been closed. As a result of this the number of wagons produced in recent past has gone down. The Hon. Minister should look into this.

[श्री रा० डो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

The grievances of railway employees are not cared for. The employees are treated in a very shabby manner. The labour union at Chitranjan Locomotive Works has not been recognised. I cannot understand this. The township there has also been declared as a protected area. Why is it so ?

There are two tunnels under the railway line at Asansol. The condition of these tunnels is very bad, These were constructed long back. Now they are very dangerous for the passersby. I request that these tunnels should be reconstructed. There is great rush in local trains of Calcutta. There are many accidents due to this daily. Many requests have been made for the increase in the number of trains. This problem should be tackled without further delay.

Durgapur is a big town. There is no satisfactory arrangement for transport there. There is already electric train from Calcutta to Burdwan. It should be extended upto Durgapur. A waiting room should be provided at Durgapur.

There is a long standing demand for a circular railway at Calcutta. It should be acceded to. It will bring great relief to the millions of passengers of Calcutta. The subarban lines of Calcutta should be doubled.

श्री सोनावने (पंढरपुर) : मैं आशा करता हूं कि डा० राम सुभग सिंह जनता की कठिनाइयों को समाप्त करने में सफल होंगे। वह एक योग्य व्यक्ति हैं। हमें उनसे बहुत आशाएं हैं।

रेलवे बोर्ड को मैं एक फालतू संगठन समझता हूं। इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आजकल के चेयरमैन के समय स्थिति बहुत खराब हुई है। दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, हानि हुई है, चोरी की वारदातें अधिक होने लगी हैं। गाड़ियां बिलम्ब से चलने लगी हैं। यात्री जनता की राहत का कोई कार्य नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में रेलवे बोर्ड समाप्त कर किया जाना चाहिये।

लाटूर से मीराज तक की लाइन बड़ी लाइन बना दी जानी चाहिये। यह मैं बड़े अरसे से मांग कर रहा हूं। पंढरपुर एक बड़ा तीर्थस्थान है। इसे बम्बई से एक सीधी लाईन से मिला दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लोगों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे इसके लिये कोई आन्दोलन करना चाहिये अथवा अनशन करना चाहिये। मेरे क्षेत्र के लोग अब देर तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मैं यह अन्तिम चेतावनी दे रहा हूं।

जब श्री जगजीवन राम जी रेलवे मंत्री थे उस समय अनुसूचित जाति के लोगों को स्टाल आदि बनाने के ठेके दिये जाते थे परन्तु अब ऐसा नहीं किया जाता है। कुछ अन्य लोगों ने इस बारे में अपना एकाधिकार बना लिया है। उनकी रेलवे बोर्ड तक सिफारिश है और वे मनमानी करते हैं। माननीय मंत्री को इस बारे में विचार करके स्थिति में सुधार करना चाहिये और अनुसूचित जातियों के लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये।

रेलवे में मितव्ययता से छोटे वर्ग के कर्मचारियों को हानि नहीं होने देना चाहिये।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : प्रतिवर्ष रेल बजट पर चर्चा के समय हमें अवसर मिलता है कि हम देखें कि रेलवे का कार्य कैसे चल रहा है। यह सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है। सरकार को यातायात में थोड़ी वृद्धि होने पर बहुत प्रसन्नता है। मुझे इससे कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई है। रेलवे प्रशासन को नौकरशाही का रवैया बदलना चाहिये। इसे सड़क परिवहन से बड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा।

रेलवे को किराये और भाड़े में वृद्धि के स्थान पर भ्रष्टाचार को समाप्त करके और अपने व्यय में मितव्ययता करके अपनी आय बढ़ानी चाहिये। इस सम्बन्ध में लोक लेखा समिति ने जो कहा है, वह ठीक है। इन्हें अपने अनुमान यथार्थवादी बनाने चाहिये।

मेरा सुझाव है कि रेलवे की वित्तीय, प्रशासनिक और श्रम नीति की जांच के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त कमीशन नियुक्त करना चाहिये ।

रेलवे के पास 200 करोड़ रुपये का स्टोर शेष है । इसे रखने की क्या आवश्यकता है । अब लगभग 90 प्रतिशत देश में ही तैयार होता है । इस पर भी जांच होनी चाहिये ।

रेलवे की वर्कशाप बेकार पड़ी हैं । रेलवे को बाहर से माल न खरीदकर स्वयं अपने कारखानों में सभी उपकरणों का निर्माण करना चाहिये । इससे अधिक लोगों को रोजगार भी दिलाया जा सकेगा । रेलवे में छोटे पदों की कमी की जा रही है परन्तु बड़े-बड़े पद बढ़ाये जा रहे हैं । छोटे मजदूरों को तो केवल नैमित्तिक रूप में रखा जाता है । यह उचित नहीं है । रेलवे को एक आदर्श उपक्रम बनना चाहिये ।

रेलवे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है । रेलवे मंत्री को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

खुर्दा डिवीजन पर एक बहुमंजिला भवन बनाया गया था, परन्तु उसे रेलवे कर्मचारियों को नहीं दिया गया उसमें अनधिकृत लोग रहते रहे । इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । उतराई शुल्क के कारण 18 लाख रुपये छोड़ दिए गए हैं । यह कुछ आश्चर्यजनक सा है । करोड़ों रुपयों का इस प्रकार अपव्यय होता है, मैं इस सम्बन्ध में रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति का इस सिफारिश की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया था कि रेलवे अधिनियम धारा 137(4) का संशोधन किया जाये ताकि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत लाया जा सके । मुझे कहते हुए दुःख होता है कि अभी तक कुछ नहीं किया गया है ।

एक और यह भी सिफारिश की गई थी कि एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायाधिकरण बनाया जाये जो कि अनिर्णीत याचिकाओं और मामलों पर शीघ्र कार्यवाही करे । परन्तु ऐसा नहीं किया गया ।

कई बार रेलवे अधिकारियों का स्थानांतरण बड़े अधिकारियों को खुश न करने के कारण किया जाता है । उनको दूर भेज दिया जाता है और इस प्रकार उनके विरुद्ध बदला लिया जाता है । यह एक गम्भीर मामला है और रेलवे मंत्री को इसकी विस्तारपूर्वक जांच करनी चाहिए ।

मैं मंत्री महोदय के इस कथन का स्वागत करता हूं कि कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किये जाने चाहिए । मुझे आशा है कि वे अपने इस कथन के प्रति ईमानदार रहेंगे । मेरी उनसे यह प्रार्थना है कि 19 सितम्बर की हड़ताल में जिन यूनियनों को अमान्य कर दिया था उनको फिर से मान्यता दिलाई जाये ।

अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ की बहुत समय से तदर्थ न्यायाधिकरण को नियुक्त करने की मांग है । वे गत 12 वर्षों से इसके लिये संघर्ष कर रहे हैं । सरकार ने अब इसकी नियुक्ति

कर दी है परन्तु रेलवे कर्मचारी संघ को अपने मामले दायर करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।

इस समय लगभग 2500 नियन्त्रक हैं। दूसरे वेतन आयोग ने उनके वेतन के बारे में सिफारिश की है। उनके दो ग्रेडों को मिलाया नहीं गया है। उन नियन्त्रकों की तैनाती, पदोन्नति, रात्रि का भत्ता आदि जैसी मौलिक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। मेरा अनुरोध है कि उनकी उचित मांगों पर सरकार ध्यान दे। मैं अन्त में नई रेलवे लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। आप कृपया पिछड़े हुए इलाकों की ओर भी ध्यान दीजिये। रेलवे ने ऐसी कोई नीति निर्धारित नहीं की है कि कहां-कहां नई रेलवे लाइनें बिछायी जायं। सरकार का ध्येय लाभ रहा है। उनकी नीति पिछड़े इलाकों में नई रेलवे लाइनें बिछाने की होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि तलचर-बिमलगढ़ लाइन को क्रियान्वित किया जाये। यह एक महत्वपूर्ण संपर्क है जो तलचर और रूरकेला के मध्य टूट गया है, इसके निर्माण करने से पारादीप के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो जायेगा और लौह अयस्क का निर्यात व्यय भी 10 रुपये से 12 रुपये प्रति टन कम हो जायेगा। उड़ीसा में दो दो छोटी रेलवे लाइनों की आवश्यकता है जिस पर कार्य आरम्भ हो जाना चाहिए। मयूरभंज को सिंहबन के साथ मिलाने के लिये एक लाइन की आवश्यकता है।

श्री अ० त्रि० शर्मा (भंजनगर) : मैं रेलवे मंत्री महोदय को इस वर्ष बचत का बजट प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद देता हूं। अगर रेलवे मंत्री महोदय प्रशासन पर नियंत्रण रखें तो रेलवे में बचत करोड़ों रुपयों का हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रेलवे में हर रोज यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हैं। रेलवे प्रशासन में निरीक्षक विभाग, इन्सपैक्टर आदि हैं परन्तु पहले उनका जांच-पड़ताल करना आवश्यक है क्योंकि जो भ्रष्टाचार को रोकने वाले हैं, वे स्वयं इसमें लिप्त हैं। अतएव मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

मेरा दूसरा अनुरोध यह है। हम सब रेल द्वारा यात्रा करते हैं। सब यात्रियों को खान-पान सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुण तथा मात्रा में यह खान-पान का सार गिरा हुआ है। इसको वही जान सकते हैं जिनको कि इसका अनुभव है। दूध के नाम पर सफेद पानी दिया जाता है। चपाती बहुत ही पतली हैं। आठ चपातियां 4 तोले के बराबर होती हैं, इस तरह की चपातियां दी जाती हैं। अगर प्रशासन की जांच-पड़ताल की जाये तो यह सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरा सुझाव है कि खान-पान व्यवस्था का सुधार किया जाये।

मैं रेलवे मंत्री महोदय का ध्यान भ्रष्टाचार की ओर भी दिलाना चाहता हूं। यह भ्रष्टाचार का विभाग है। अगर आप रिश्वत न दें तो स्थान-आरक्षण कराना बहुत कठिन हो जाता है। यह व्यवस्था प्रत्येक जगह व्याप्त है। रोजगार देने में भी भ्रष्टाचार है। एक क्लर्क के पद के लिये 500 रुपए और इन्सपैक्टर के पद के लिये 1,000 रुपये लिये जाते हैं। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। रेलवे विभाग को इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर रोक लगानी चाहिए। मैंने इस सभा में

निवेदन किया था कि बरहामपुर स्टेशन में प्रथम श्रेणी का प्रतीक्षा स्थल बनाया जाये तथा वहां डीलक्स एक्सप्रैस रेलगाड़ी का ठहरने का प्रबन्ध किया जाये। मंत्री महोदय ने इसका आश्वासान दिया था परन्तु कुछ भी नहीं किया गया। उच्च अधिकारियों की हितों की रक्षा करने के लिये जनता के हितों की उपेक्षा की जा रही है। इस प्रकार की बातें हो रही हैं परन्तु कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है, उसके बारे में मेरी कई शिकायतें हैं। यद्यपि दक्षिणी-पूर्वी रेलवे लाइन मेरे राज्य में से जाती है परन्तु वहां एक भी महत्वपूर्ण कार्यालय नहीं है अतएव उड़ीसा के निवासियों के हितों की रेलवे विभाग उपेक्षा कर रहा है मैं कुछ उदाहरण दूंगा। सब प्रमुख रेलें मेरे राज्य से रात में गुजरती हैं। अप और डाउन रेलें मेरे राज्य से रात को गुजरती हैं। अप रेलें उड़ीसा में रात को आती हैं और उड़ीसा से बहुत सबेरे चली जाती हैं। यहां तक कि डाउन ट्रेन उड़ीसा 8 बजे रात को आती है और सुबह 6 बजे चली जाती है, यह तो महत्वपूर्ण रेलों की स्थिति है। यह सब इसलिये हो रहा है क्योंकि रेलवे विभाग में हमारा प्रतिनिधि नहीं है।

एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हावड़ा मद्रास एक्सप्रेस हावड़ा और खड़गपुर के मध्य 10 स्टेशनों में रुकती है और वह यह समय $3\frac{1}{2}$ घण्टों में पूरा करती है। हावड़ा और बर्दमान के मध्य इतनी ही दूरी है, परन्तु हावड़ा से बर्दवान को यह ट्रेन केवल $1\frac{1}{2}$ घण्टे लेती है, इस प्रकार यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

रेलों की समय सारिणी भी हमारे सुविधानुसार नहीं है। किसी भी रेलगाड़ी का सम्बन्ध अन्य रेलगाड़ियों से नहीं है। रायपुर की यात्री गाड़ी विजयानगर उस समय पहुंचती है जब अन्य रेलगाड़ियां विजयानगर से चल पड़ती हैं। तलचर रेलगाड़ी पुरी को काफी रात को जाती है। एफ-45 पुरी हैदराबाद यात्री गाड़ी उस समय चल पड़ती है जब यह रेलगाड़ी खुर्दा रोड के प्लेटफार्म पर पहुंचती है। यह उड़ीसा के यात्रियों के लिये नहीं ठहरती है। यद्यपि तलचर रेलगाड़ी खुर्दा स्टेशन में पहुंचती है परन्तु यह पांच मिनट भी इन्तजार नहीं करती है। उड़ीसा को जाने वाली किसी भी रेलगाड़ी का समय ठीक नहीं है। हमने बोर्ड को अपने सुझाव दिये थे परन्तु उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

रोजगार के मामले में भी हमें कोई अवसर नहीं दिये जाते हैं। इसके अलावा दैनिक समाचार-पत्रों में पदों का विज्ञापन नहीं दिया जाता है। राज्य के ही रिक्त पदों के लिये वे बाहर के समाचार-पत्रों में विज्ञापन देते हैं, इसके परिणामस्वरूप उड़ीसा के लोगों को आवेदव करने का अवसर नहीं मिलता है।

पारादीप के साथ रेलगाड़ियों को मिलाने का प्रश्न भी है। यद्यपि इसके बारे में काफी मांग की जा रही है परन्तु कुछ नहीं किया जा रहा है। यह एक केन्द्रीय विषय है, पारादीप के

साथ अन्य रेलगाड़ियों को मिलाने से काफी आय हो सकती है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें। इसके अलावा हमारे राज्य में प्लेटफार्म की ऊंचाई बहुत कम है। फलस्वरूप यात्रियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिछले समय मंत्री महोदय ने कहा था पुरी और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशनों का सुधार किया गया था। परन्तु इसके अलावा और कुछ नहीं किया गया।

Shri S. M. Joshi (Poona): I want to give suggestions regarding Telengana. There is a grievance of the people of Telengana that when the State of Hyderabad was annexed to Indian Union, their Railway system was merged with ours. With the result the Railway Board or the Central Government had to give about 30 crores of rupees as compensation. The people of Telengana say that when this is so backward an area, and the surplus revenue is not used there then at least the amount due from the Centre should be used for the development of the backward area. Certain steps should be taken to remove their discontentment. I want an assurance from the Government and the Railway department that they would spend the money there. A three or four year plan may be formulated to remove the backwardness of the area. Only then can it be called a step in the direction of National Integration.

Now I will come to my area. There is a big industrial area from Lonawala to Dondh, where many new factories are being set up. If one wants to go from Kalyan to Bombay, the Suburban railway can be availed of. Passengers have to pay more from Poona to Debroad. There was a demand from the Chambers of Commerce and the corporation that there should be four lines for the Suburban train instead of two as at present so that the workers may get relief. The facility of the Suburban railway should be available to our workers also.

Shri Achal Singh (Agra): Our Railway concern is the biggest project in India. About 3,500 crores of rupees have been invested in it. Before the Independence struggle the Railway concern used to give profits to the company but for the last few years the Railway concern is showing loss, It is a matter of pleasure that this year the Indian Railways have shown a profit of about Rs. 1 crore and 10 lakhs.

There are about 13 Lakh Workers employed in the Railways. There is a net work of railways in the country. I want that this concern should show profit to the Government.

Our Hon. Finance Minister has presented a deficit budget this year. Hence we have to go into the reasons why commercial concerns of our Public Sector show loss instead of Profit whereas the Private undertakings earn profits. We have invested about 3,500 crores of rupees in Railways. At least we should earn profit of 10 per cent i. e, about 350 crores yearly. But instead of this there is loss. It is my suggestion that there should be competition among the nine Railway zones and the zone which shows efficiency and earns profit its employees should be rewarded suitably.

There is also one reason for the loss in Railways. A number of thefts take place and goods worth laks of rupees are pilfered. The Railways have to pay a huge amount as damages. In this way the Government have to suffer. I had already mentioned that there are 4 goods sheds in Agra. Thefts take place in the broad day light. The personnel of watch and ward go there but are of no avail.

The Ticketless travelling is also a reason for loss. We have heard so many times that Railway authorities caught many ticketless travellers in a raid and realized thousands of rupees. If we check such tendency, crores of rupees can be saved.

I want to submit a local demand. There is a long-standing demand that a over-bridge should be constructed on the crossing at Agra Cantt. Fortunately Railway department conceded this but the work is still incomplete for the last two years. The people have to suffer on accouut of this. So it may be completed without delay.

It has been my demand to introduce direct train from Lucknow to Agra. Many trains run from Delhi to Lucknow but our demand has not been met so far. The G. T. Train and Deccan Express, Punjab mail pass through Agra but there is no quota for reservation from Agra for the people wishing to go to Bombay and Madras. The people have to face great difficulty in reservation.

Some years ago the management of the Canteen was with contractors. The Government have taken over the management. The canteen is also running in loss. The quality of the food is not good and much is wasted. Now the Government have seen that it is running in loss. I want that the old system may be revived so that the Government may earn profit and good meal should be made available to the passengers.

Some years ago railway used to run from Agra to Baah but it was closed on account of the war. Now there is a demand that the Railway may be extended from Baah to Etawah. This will enable the people to carry on the business smoothly. I hope that the Hon. Minister will do something for it.

I am happy that the Western Railway Employees Union had not taken part in the strike. This Union should be encouraged for this and those Unions which took part in the strike must be punished. Railway is an essential service and I hope that the Railway Minister will pay due attention to it.

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur): Rajasthan is the most backward State as far as the Railway is concerned. The Hon. Railway Minister has adopted an attitude of indifference towards it. The new lines are being constructed keeping in view only two objectives, viz., the security of the border areas and secondly the interests of the businessmen of Gujarat. The Government easily succumbed to the pressure of the businessmen of Gujarat for constructing Himmatnagar-Udaipur line but what are the Government doing for converting the lines between Jaipur to Sawai Madhopur into Broad-gauge? No survey has been made for the Construction of Railway line from Dhaulpur to Gangapur. This should be done without delay.

Now I want to say something about passenger trains. A large number of first class bogies is attached to the passenger trains. Instead of this bogies of third class should be attached to these passenger trains in sufficient numbers. Only one or two bogies are attached at present to the fast trains like Western Express and de-luxe trains. More third class bogies should be attached to the Capital Express.

At present there is a secondary school in Gangapur city. Shri Punacha had given an assurance to convert it into the Higher Secondary school but neither the Central Government

nor State Government and nor the Railway Department is prepared to take its responsibility. I may tell you that if the Government do not possess the required resources to meet the expenditure in toto of establishing an institute there for higher education the people of that region are prepared to help by way of donating Rs. 1 lakh or Rs. 50 thousand and the required land for this purpose.

In view of the fact that the running staff and the locomotives are generally changed at Gangapur Railway Station and that all the trains have their stoppage there it is necessary to provide shed over the entire length of the platform.

The long-standing demand for erecting a rail-bridge at Sawai Madhopur is not yet fulfilled. The Hon. Minister may kindly tell the time by which they will be able to erect this bridge.

An assurance was given by late Shri Lal Bahadur Shastri regarding the construction of a railway line from Dhaulpur to Dhosa but the Hon. Minister has approved to construct it from Dhaulpur to Gangapur only. I request him to give instruction to the effect that this line should be constructed upto Dhosa in view of the fact that this area is very fertile and supplies sufficient food grains to the whole of Rajasthan.

The narrow gauge railway line may also be converted into the broad gauge line which would be much beneficial.

Rajasthan is in the grip of famine. At Sawai Madhopur railway station not more than 30-35 wagons a day are available to load fodder, foodgrains etc. To avoid the inconvenience to the businessmen the number of wagons should be increased to 65-70 there.

The huge expenditure incurred on the visits of the Railway Managers must be curtailed by way of restricting the number of accompanying officials to two or four.

The Divisional Advisory Committees should include only the local Members of the Parliament who may effectively present their demands before the concerned authorities.

Sri A. S. Saigal (Bilaspur): It was observed by the Second Pay Commission that the functions of the Railway Accounts and the standard of examination of Railways Accounts Service are identical to those of civil departments and in view of this the Commission recommended a slightly better scale for the personnel of the Accounts than that of secretariat assistants. May I know the reasons for not accepting the recommendations of the Commission? The percentage of accountants in the Railways is 3.5 while in the A. G. C. R. it is 13.00. The pay scale of railway accountants is Rs. 270-435 while the pay scale of A. G. C. R. accountants is Rs. 270-575. Likewise there are other kinds of anomalies in several other categories of Railway staff and the A. G. C. R. staff. I request the Hon. Minister to look into matter.

I want to lay on the table a *comparative statement of scales of pay of different categories in the Accounts and Executive Department of the Indian Railways from time to time.

In this department no objection should be raised while somebody wants to take oath in Urdu.

The coach attached to the train running between Dongargarh and Delhi should be

*इसे सभा-पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

*The document has not been treated as papers Laid on the Table.

converted into the two-tier and three-tier coach and it should be attached to Amritsar Express at Beena.

Arrangement should also be made to attach a two-tier and three-tier bogie to the Indore Express.

A new railway line, Jabalpur-Mandala-Bilaspur, should be constructed.

I conclude with the request that on the Ahmadnagar-Dond line there should be a temporary railway station at Mehrabad to facilitate the pilgrims expected from the length and breadth of the country to visit the tomb erected in the memory of reverend Mehar Baba who left for his heavenly abode on 31st January.

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : मंत्री महोदय को इस विभाग का अनुभव है अतः आशा है कि वह कम से कम लागत में अधिक में अधिक मांगों को पूरा करा सकते हैं। अनेक सदस्यों से प्रशासन में सुधार करने की भ्रष्टाचार तथा चोरी आदि को समाप्त करने की मांग की हैं। मैं देखता हूं कि कांग्रेसी सदस्यों ने विपक्षीदल में सदस्यों से भी अधिक सरकार की आलोचना की है किन्तु मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं और आशा करता हूं कि वह रेलवे विभाग में सुधार करेंगे।

आशा है कि मंत्री महोदय ने छोटी रेलवे लाइनों के बन्द करने का इरादा छोड़ कर सराहनीय कदम उठाया है।

रेलवे किराए भाड़ों में तो वृद्धि अवश्य हुई है किन्तु यात्रियों को उसी अनुपात में सुविधाएं नहीं दी गई हैं।

यद्यपि कागजों में बहुत सी सुविधाओं का उल्लेख है किन्तु व्यावहारिक रूप से यात्रियों को कोई सुविधा नहीं दी जाती। मेरा वैयक्तिक अनुभव है कि गाड़ियों में सफाई आदि का कोई प्रबन्ध नहीं है।

बताया जाता है कि सड़क परिवहन की तुलना में रेलवे यात्रा बढ़े हुए किराये को देखकर भी सस्ती है किन्तु वास्तव में यह बात सच नहीं है। सालेम से मद्रास तक की यात्रा में बसों से समय भी कम लगता है तथा यात्रा भी सुविधाजनक रहती है। यदि सलेम से मद्रास जाने वाली गाड़ी में स्लीपर की व्यवस्था कर दी जाय तो रेलवे को काफी लाभ हो सकता है तथा जो धन बस मालिकों को जाता है वह रेलवे को मिल सकता है किन्तु मेरे इस सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और भी बहुत से स्थानों पर गैर-सरकारी बस व्यवस्था से रेलों को नुकसान हो रहा है।

मेरे एक मित्र ने जो कि कांग्रेस दल के हैं एस० ए० एस० कर्मचारियों की मांगों के बारे में कहा था। आशा है मंत्री महोदय उनकी कठिनाइयों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

मुझे खेद है कि माननीय मंत्री अधिकारी संवर्ग के अतिरिक्त अन्य किसी संवर्ग के बारे में कुछ नहीं सुनते हैं। प्रशासन आदि में बहुत से पदों को बनाया जा रहा है तथा

अधिकारियों को अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं किन्तु छोटे संवर्गों के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा। इसके विपरीत यह सुना गया है कि उनकी छटनी किये जाने की सम्भावना है। मेरा अनुरोध है कि छोटे संवर्ग में छटनी कदापि नहीं होनी चाहिए तथा प्रशासनिक ढांचे में सुव्यवस्था लानी चाहिए।

विभिन्न क्षेत्रों के समान संवर्ग में भी समानता नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए दिल्ली और पश्चिम रेलवे के फौरेन ट्रैफिक एकाउंट्स कार्यालयों में 25 प्रतिशत पदोन्नति अयोग्य कर्मचारियों को दी जाती है इससे अर्द्ध-कर्मचारियों को हानि रहती है। सुना है यह पद्धति अन्य किसी जोन में नहीं पाई जाती।

करूर-डिडीगुल तथा मदुरै-तुतीकोरिन आदि कुछ महत्वपूर्ण लाइनों की चर्चा गत दो दशकों से चल रही है। ऐसी लाइनों को बड़ी लाइनों में क्यों नहीं बदला गया तथा त्रिची (Trichy) तुतीकोरिन के मध्य दोहरी लाइन क्यों नहीं बनाई जा सकी जबकि तुतीकोरिन बन्दरगाह के विकास से अधिक यातायात अवश्यम्भावी है। परन्तु अपेक्षित सुधार लाये नहीं जा सके।

दूसरी बात मदुरै-कारेककुडी को जोड़ने से सम्बन्धित है। अन्य क्षेत्रों में कुछ और लिंक हैं; जैसे, अरंथंकी-थांडी तथा थांडी मानामतुरै। अरंथंकी-थांडी लिंक को इन रेलवे की शाखाओं से लाभ होगा।

यह दुःखद बात है कि जब भी देश में कोई आन्दोलन होता है रेलों को उससे हानि उठानी पड़ती है। इसे रोकने के लिये सभी दलों को प्रयत्न करने चाहिए। सम्बन्धी राज्य सरकार को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं। यहां तक तामिलनायडू का सम्बन्ध है जब भी हिन्दी के नाम-पट्ट लगाये जाते हैं तभी उपद्रव होते हैं। जब मैं विद्यार्थी था तब मैं भी हिन्दी नामपट्टों को मिटाता रहा हूं। आज जब पुनः हिन्दी के नामपट्ट दिखाई देते हैं मैं कल्पना करता हूं कि मेरे पास वारनिश की बोतल होती तो मैं हिन्दी नामपट्टों को मिटा देता।

यहां मेरा उद्देश्य भाषा की समस्या को लाना नहीं है, अपितु रेलवे की सम्पत्ति का संरक्षण ही है।

Shri N. P. Yadab (Sitamarhi): I have been raising the issue regarding the Railway lines of Bihar when Shri Poonacha was Minister of Railways. On the Narkatiaganj-Pahleja Ghat Section via Dharbhanga Samastipur, trains take 14 hours to cover a distance of less than hundred miles from Sitamarhi to Pahleja Ghat. This is the biggest line in North Bihar and there should be an Express train from Narkatiaganj to Pahleja Ghat via Samastipur for the benifit for the people of North Bihar.

A broad gauge line has been now arranged upto Samastipur. The Former Railway Minister had repeatedly announced at big gatherings of the area that the Government would construct broad gauge lines from Samastipur to Narkatiaganj via Darbhanga and from Darbhanga to Narkatiaganj via Sitamarhi.

Again we hear that Hon. Ram Subhag Singh has ordered for the examining of the

question of the lines Samastipur-Muzaffarpur-Motihari and Samastipur-Sitamarhi-Narkatiaganj. Bihar has a common border with Nepal of about 300 miles. My constituency, Sitamarhi has also a common border of about 60 miles with Nepal. Hon. Ram Subhag Singh visited the place "Kewl Bivarbazar about two months ago which is hardly a mile from the Nepal border. Chinese people often come upto that border and take photographs etc. and study our defence preparedness on this side of the border. It is essential for the security of that border that broad gauge line is constructed as early as possible between Samastipur and Narkatiaganj via Sitamarhi.

North Bihar has a population of 2.30 crores and it takes them about 16 hours to reach Patna. If the Railway bridge over the Ganga is built and thereafter railway line is laid upto Narkatiaganj it will be a great relief to the people of North Bihar.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Prior to 1942 Movement, estimates were completed and even pillars were laid for the Railway line between Muzaffarpur and Sonvarsa. The people of Sitamarhi took intensive part in the movement and as such the project was cancelled by the British rulers. The way the people of the area fought for freedom deserve some reward. It will be a reward for them if the railway line is now laid. The distance involved is only 57 miles.

Bihar has a population of 5 crores but it does not have any Railway Service Commission. Please arrange for establishing it at Muzaffarpur, which is the most popular city in the region.

The condition of Railway commercial clerks and train clerks is miserable. These people work all the day long under tin sheds and there is no arrangement for their quarters. Early arrangements for their quarters may be made.

The buildings constructed at a cost of Rs. 9 lakhs at Muzaffarpur, which are not being utilised, may be made use of by transferring the training classes from Gorakhpur.

At present there are three trains which serve the Narkatiyaganj and Pahleja Ghat. These are quite insufficient for such a papulous area and the number should be increased. Third class sleepers should also be arranged in these trains.

We find book stalls of A. H. Wheeler at every main stations. These stalls are sub-let by the firm @ Rs. 200/- to 300/-. We should end this monopoly and thereby help our unemployed youngmen.

The catering charges of dining rooms were enhanced from Rs. 1/17 to Rs. 1/85 consequent on the rise of price of paddy to Rs. 50/- per maund. Now that the price of paddy has fallen to Rs. 25/- per maund the catering cherges should be revised to Rs. 1/17, if not lower.

The name of the Parsoni railway station may be changed to Thakur Ram Nandan Singh Nagar. Dr. Ram Nandan Singh took part not only in the movement of 42 but also in other movements in Bihar.

A large meeting was addressed by Gandhiji in 1934 in the neighbour of Sitamarhi railway station. Now a railway park exists at this place. This park may be named Mahatma Gandhi Park. A statue of Mahatma Gandhi should also be installed there.

Deluxe and Rajdhani express trains should run through Patna at least once in a week. I want to request the Hon. Minister to do away with the reservation fee of Rs. 4/- in respect of passengers travelling more than 500 Kilometer which is now being charged from the passengers for the third class sleepers.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : The Railway Board should be asked to explain the reasons for such a heavy number of accidents in the railways.

So far as laying of new railways lines is concerned I would request the Hon. Minister to give preference to strategically important places, so that in time of war our armies could reach there immediately. Different parts of the country should be linked with rail by the shortest passible route. We have already done this in the case of road transport and the distance has been shortened. This can also be achieved by constructing bridges over the various rivers. Recently Panipat has been connected with Uttar Pradesh. This example can be followed in many other parts of the country. My request is that we should try to reduce the distance wherever possible.

The tendency of stopping the trains and beating the officers which is prevailing among the students and other selfish people should be curbed otherwise railway will not be able to serve the country as it had served during the chinese and Pakistani conflict.

I also want to suggest that long route tickets should be punched at the station from where the journey starts. It will help in checking the re-sale of these tickets.

Level crossings on the large national highways which touch the international borders such as Grand Trunk road should be constructed in such a way that our army conveys and other traffic can move on smoothly and without any hindrances. I have seen many places in the world where trains and other modes of traffic pass side by side. Such a system should be evolved in India also.

Food producing areas should be linked with various parts of the country and various markets by the shortest possible routes. All railway facilities should be provided to these areas so that they could send their produces to the area of their choice.

Cheap foodgrains should be provided to the third and Fourth class railway employees. Free education should be given to their children. Free medical facilities should also be provided to them.

Conductors in the railways are being asked to appear in the examinations for promotion to higher grades. It is unjustified. After three or four years of service one cannot sit any type of written examination. In this connection it may also be mentioned that they are recruited through an examination, hence, they should be promoted on the basis of their seniority.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अनेक सदस्यों को अभी बोलने का अवसर देना है। अतः मैं हीरजी भाई से निवेदन करूंगा कि वह केवल पांच मिनट का समय ही लें।

Shri Heerji Bhai (Banswara): I want to draw the attention of the Hon. Railway Minister to my own constitutency Banswara and Dungarpur which form the Southern Rajasthan. These two districts are inhabited by the Adivasi people. The nearest railway station to Banswara is Ratlam which is about 56 miles. Shri Lal Bahadur Shastri during his tenure as Railway Minister once visited Banswara and assured the people there that these areas will be connected with other parts of the country by railway. Shri Jagjivan Ram also assured the people to implement the assurance of late Shastriji but not a single railway line has been laid there so far although the preliminary survey has already been conducted. Ratlam, Partapgarh, Banswara and Dungarpur via Galiakote should be linked with railway. Galiakote is also a famous pilgrim centre for the people of the Bohra community.

The Adivasi people of these two districts have trade and other social relations with the people of Gujrat and Maharashtra. But these areas have not been linked with these States either by rail or road. No highway has been constructed there. No railway line has been laid. I request the Hon. Minister to lay a railway line from Ratlam to Dungarpur via Banswara.

Wagons are not easily available at Ratlam and Dohad railway stations. Mill and Mine owners heve to face many difficulties in getting the wagons. Necessary arrangements should be made to supply wagons to them in time.

An overbridge should be constructed at the Anas railway station.

Electricity and water should be provided at the plateforms of all the stations falling between Ratlam and Ajmer.

About five to six thousands persons are working in the Dohad Loco Workshop but no schooling facilities exist for their children. A higher secondary school should be established there.

I would once again request the Hon. Railway Minister to make necessary arrangements for laying a railway line from Ratlam to Partapgarh, Banswara to Dungarpur via Galiakote so that the entire Advasi area is covered.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मंगलौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ा होना असम्भव है क्योंकि वहां के पार्सल कार्यालय से बहुत दुर्गन्ध उठती है। वहां से मछली भरी जाती है। प्रतीक्षालयों में फ्लश व्यवस्था को रात दस बजे बन्द कर दिया जाता है। उस स्टेशन का कुछ भी सुधार नहीं किया गया है। हालांकि श्री पुनाचा इस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह रेलवे स्टेशन 1906 में बना था परन्तु तब से इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। मंगलौर में अब एक तेलशोधक तथा उर्वरक कारखाना भी है। पत्तन के कारण इसका महत्व भी बढ़ गया है। अतः यहां पर एक अन्य प्लेटफार्म तथा ऊपरी-पुल बनाया जाना चाहिये।

मुझे रेलवे बोर्ड के सदस्यों की क्षमता के बारे में कोई सन्देह नहीं है परन्तु प्रश्न तो एक प्रणाली का है। जहां मंत्री महोदय का तकनीकी व्यक्तियों से सीधा सम्पर्क रहता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री को जनरल स्टाफ की सहायता लेनी चाहिए न कि स्पैशल स्टाफ की।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

रेलवे प्रणाली में त्रुटियों को दूर करने के लिये प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर भी विचार नहीं किया गया है, रेलगाड़ियों में विशेषकर तीसरे दर्जे के डिब्बों में बहुत भीड़ रहती है जो लोग भीड़ को कम करने के लिये उचित कोचों का प्रबन्ध करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

जहां तक बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने का सम्बन्ध है, बिना टिकट यात्रा करने वालों से वसूल होने वाली राशि का कुछ भाग सम्बन्धित कर्मचारी को प्रोत्साहन के रूप में

दिया जाना चाहिये। जो कर्मचारी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते उनको दण्ड भी दिया जाना चाहिए।

जहां तक खान-पान का सम्बन्ध है। इस बारे में जितना कम कहा जाये उतना ही अच्छा है। लम्बी यात्रा करने वाले लोग रेलवे का खाना न खाना ही बेहतर समझते हैं। प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में अथवा रेलवे को चोरी आदि से होने वाली हानि को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है ?

रेलवे कर्मचारियों की कर्तव्य के प्रति उपेक्षा के कारण रेलवे को होने वाली हानि के बारे में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बहुत कुछ कहा गया है। 1969 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कहा गया है कि रेलवे को एक स्थान पर 62 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी क्योंकि 8000 माल डिब्बों के बारे जिन शर्तों के अनुसार ठेकों का पुनरीक्षण नहीं किया गया था बाक्स वैगन में विशेष फिटिंग लगाने पर 3.57 लाख रुपये व्यय किये गये जबकि इन बाक्स वैगनों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया। वास्तव में इनका निर्माण ही गलत हुआ था। इंजनों के लिये 4.2 लाख रुपये के फालतू पुर्जे मंगाये गये थे परन्तु इनको भी प्रयोग में नहीं लाया गया। 14.72 लाख रुपये की लागत से आयात किये गये फिश-प्लेट बिलेटों का भी प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि भारत में बना बिलेट अच्छी किस्म का था।

जहां तक नैनी में दूसरी इस्पात फाउंड्री का सम्बन्ध है, इसके परियोजना प्रतिवेदन पर 22 लाख तथा भूमि अर्जन पर 29 लाख रुपये व्यय किये गये हैं; हालांकि चितरंजन में क्षमता बेकार पड़ी है। सब रुपये का अपव्यय किया गया है क्योंकि अब इस परियोजना को त्याग दिया गया है।

इसी प्रकार कोलिंग क्रेनों को 15.33 करोड़ रुपये की लागत से क्रय किया गया था परन्तु अब ये क्रेनें दक्षिण रेलवे के पास बेकार पड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि रेलवे में ऐसा नियम लागू किया जाये कि रेलवे सम्पत्ति को होने वाली हानि को उस हानि के लिये जिम्मेदार अधिकारी से पूरा किया जाये।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : मैं रेलवे की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे आशा है कि नये रेलवे मंत्री रेलवे में सुधार करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि यात्री यातायात से होने वाली आय में 12 करोड़ रुपये की कमी तथा कार्यकारी व्यय में 26 करोड़ की वृद्धि के बावजूद केवल 10 करोड़ का घाटा ही दिखाया गया है और इसके भी आगामी वर्ष 2 करोड़ रुपये के फालतू बजट में बदल जाने की सम्भावना बताई गई है।

इस वर्ष लगभग 20 नई रेलगाड़ियां चालू की गई हैं। बड़ी लाइन पर 8 तथा मीटर लाइन की लगभग 14 लाइनों को बढ़ाया गया है। आशा है कि इससे गाड़ियों में भीड़ कम हो जायेगी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना तथा 1966-67 में यात्री यातायात में वृद्धि हुई थी। परन्तु 1967-68 में इसमें कमी हो गई है। समझ में नहीं आता कि यह कैसे सम्भव है जबकि सभी गाड़ियों में बहुत भीड़ रहती है और पन्द्रह दिन पहले टिकट रिजर्व कराने के लिये लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। क्या इस बात का पता लगाने के लिए कि यात्री यातायात में वास्तव में कमी हुई है अथवा नहीं किसी सैक्शन में कोई सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसा सर्वेक्षण कराया जायेगा।

यह आम विश्वास है कि अधिक लोग बिना टिकट के यात्रा करने लगे हैं। इसको समाप्त करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जाने चाहिये।

अधिकांश रेलगाड़ियां देरी से चलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि समयोपरि भत्ता लेने के लिए कर्मचारी जानबूझकर रेलगाड़ियां देरी से चलाते हैं। मेरे विचार में प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है। इस प्रकार की कुप्रथा को रोकने के लिए उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। गाड़ियों को समय पर चलाने के लिये ड्राइवरों तथा गार्डों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

कई वर्षों से रेलवे का कार्य काफी संतोषजनक ढंग से चल रहा था और समय का पालन भी किया जा रहा था। परन्तु गत दो वर्षों में स्थिति निगड़ गई है। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जानी चाहिये।

रेलवे कर्मचारियों को एक परिवार के लिये एक वर्ष में लगभग 40 पास दिये जाते हैं। रेलवे कर्मचारियों की संख्या 21 लाख है। अतः रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले लोगों की कुल संख्या में से 6 प्रतिशत लोग निःशुल्क पास द्वारा यात्रा करते हैं, जिससे राजकोष को लगभग 85 करोड़ रुपयों की हानि होती है। इस हानि को रोकने के लिये कर्मचारियों के संघ के साथ कोई समझौता करना चाहिये। इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग रेलवे की वर्तमान लाइनों का विकास करने के लिये तथा नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिये किया जा सकता है।

माल डिब्बों की कमी के कारण कोयला उद्योग की काफी हानि हुई है। गलत किस्म के मालडिब्बे भेज दिये जाते हैं। इस स्थिति में सुधार करना चाहिये, जिससे उद्योग को ठीक समय पर कोयला उपलब्ध हो सके। मिराज से लातूर तक छोटी लाइन को बदल कर बड़ी लाइन बना दिया जाना चाहिये क्योंकि इस क्षेत्र का विकास हो रहा है और जनसंख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। मुझे आशा है कि इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जायेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I may request the Railway Minister to assess the requirements of Delhi keeping in view the increasing population of the capital and for this purpose a detailed survey should be conducted.

I may also point out that even basic amenities are not made available in the Railway colony where thousands of Railway employees are living. At least basic amenities should be provided to them. The railway employees who are living in jhuggis should be allotted quarters without any delay.

The problem of Railway traffic is a serious one. It is high time when an under-ground railway should be constructed. The construction work of such a railway should start just now as it will create more problems after 5 or 10 years. The Government should think of constructing a ring railway and an underground railway in Delhi. They should also chalk out a phased programme for runing electric trains according to priority.

In a reply to a question it has been stated that there was pilferage of goods worth Rs. 16 crores in one year and 17 thousands people were arrested. It means that a regular trade of pilferage is going on. This must be checked at once.

The question of promotions and grades of the employees is often raised. In this connection a suitable machinery should be set up which should look into all these matters and any decission taken by that machinery should be binding on employees as well as employers.

The cases against the railway employees should be withdrawn and at the same time I condemn the incidence of Gherao of the Railway General Manager by the railway employees in Calcutta.

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahar) : I support the demands for grants of Railways. I may point out that many people from our area go to Bombay daily to attend to their work. As there is heavy rush and croud in Varanasi-Bombay train which goes via Janghai, I want to suggest that coaches of this train should be increased or alternatively a fresh train should be started twice a week.

My second point is that the people intending to go towards Majihau find great difficulty because Varanasi-Lucknow train does not reach Janghai in time on return from Lucknow. Necessary measures should be taken to remedy the situation.

I may also invite the attention of the Hon'ble Minister towards the hospital of Janghai, which was demolised last year and as a result of which railway employees as well as public have been put to great inconvenience. I, therefore, suggest that the hospital should be reconstructed.

There is no waiting room for the passengers travelling in I or II class compartments. Government should construct a waiting room there at the earliest to meet this requirement for the benefit of travelling public.

It has been observed that ticketless travelling is increasing because of the laxity on the part of checking staff. It appears that people travel without ticket with the connivance of the checking staff and it results in loss of revenue to Railways. Steps should be taken to remedy the situation.

It has now become a common feature to pull the alarm chain which causes great hardship to the passengers. I would suggest that the chain system should be discontinued at least in the passenger trains.

I may also point out that the space for canteen at Janghai station is inadequate and the passengers are put to great inconvenience. As such the space of the canteen should be increased and arrangements made to provide cold water there for the passengers. It may further be suggested that more wagons should be made available for carrying coal. I hope the Hon'ble Minister would consider these suggestions sympathetically.

श्री के० एम० अब्राइम (कोट्टयम) : रेलवे की कार्यकुशलता बढ़ाने के नाम पर राष्ट्रीय उद्देश्यों की उपेक्षा की गई है। एक ओर बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी ओर रेलवे बोर्ड के दफ्तरशाही में विश्वास रखने वाले अधिकारी कर्मचारियों को कम मजदूरी देने वाले तरीके अपना रहे हैं। रेलमार्ग की जांच करने के लिये 'मेटिसा' का उपयोग करने के कारण लाखों गेंगमैन फालतू तथा बेरोजगार हो जायेंगे। विद्युत संगणकों का प्रयोग करने से पहले ही गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। इसी प्रकार के अन्य प्रयोग भी किये जा रहे हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

इसी प्रकार के तरीकों से काफी बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। अब कर्मचारियों का एक रेलवे से दूसरी रेलवे में तबादला कर किया जा रहा है परन्तु वे अपनी घरेलू परस्थितियों के कारण दूरस्थ स्थानों पर नहीं जा सकते। अतः उन्हें विवश होकर नौकरी छोड़नी पड़ती है। यह छंटनी का एक दूसरा तरीका है।

केरल तथा अन्य अल्प-विकसित राज्यों के साथ रेलवे बोर्ड का रवैया ठीक नहीं है। समस्त देश के आय व्ययक में केरल का हिस्सा नगण्य है। शोजना आयोग ने नई रेलवे लाइनों के लिये 90 करोड़ रुपये का नियतन किया है। इसमें केरल के लिये कोई धन नियत नहीं किया गया है केरल की स्थिति वही है जो वर्ष 1956 में थी। राज्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए वहां रेलवे का विस्तार करना अनिवार्य हो गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य योजना बोर्ड ने रेलवे के विकास के लिये केन्द्रीय योजना में सात परियोजनाओं को सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। उसमें पहली मद चरथाला एलप्पी तथा क्विलोन के मार्ग से होकर एरनाकुलम से चेरताला तक नई बड़ी लाइन बनाने की है। चेरताला और एलप्पी के महत्व को अनुभव करना चाहिये। वहां नारियल जटा से वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिनसे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है।

दूसरी परियोजना तेल्लिचेरी से मैसूर तक नई लाइन बनाने की है। इस लाइन के बन जाने से 400 मील की दूरी कम हो सकती है।

इस प्रकार कोचीन-कोयम्बत्तूर वर्तमान रेलवे लाइन का विकास करने की भी आवश्यकता है। इसीलिये शोरानूर से मंगलौर लाइन को दोहरा करना तथा कुट्टीपुरम से एरनाकुलम तक नई लाइन बनाने का प्रस्ताव किया गया है। कोट्टायम के मार्ग से होकर एरनाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की भी आवश्यकता है इससे समस्त देश को लाभ पहुंच सकता है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि नई दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता से एरनाकुलम तक सीधी रेलगाड़ियां चलायी जानी चाहिये, जिससे हजारों यात्री दक्षिण भारत से आ जा सकें।

गाजियाबाद से नई दिल्ली तक एक और शटल गाड़ी चलाई जानी चाहिये । इस गाड़ी से हजारों कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा । इस गाड़ी का समय शाम को 7.45 बजे होना चाहिये ।

Shrimati Laxmi Bai (Medak) : I support the demands for grants of Railways but I want to point out that railway employees have become corrupt and dishonest and steps should be taken to curb this evil. No one realises his responsibility. Railways have been suffering heavy losses in the form of damages. The main reason is that the employees are not performing their duties honestly. If they discharge their duties honestly, every thing can be set right and necessary facilities can be provided to the public also within the resources of Railways.

In Telangana, there are 9 districts. There is no railway link with 4 district headquarters. These districts should also be connected by rail. The behaviour of railway employees with public is not commendable. They should be given training as to how to behave with the public.

The condition of retiring rooms in Delhi is deplorable. I, therefore, request that Government should look into this matter. Railways should also pay their attention towards the cases of pilferage of railway goods.

श्री द० रा० परमार (पाटन) : मैं उन लाइनों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनके लिये गुजरात की जनता रेलवे प्रशासन से तिरन्तर अनुरोध करती रही है । वे लाइनें हैं (1) वेगडाड-भिलाडी, (2) भावनगर-तारापुर (3) गसदन-राजकोट (4) नादियाद-धोपका और (5) विजापुर-हिमतनगर को मिलाने वाली लाइनें । यदि वेगडाड-भिलाडी स्टेशनों का सम्पर्क रेल लाइन द्वारा मिला दिया जाये तो वर्तमान अहमदाबाद-दिल्ली गाड़ी का भाड़ा काफी हद तक कम हो जायेगा ।

यह धनराशि नादियाद और ढोलका को जोड़ने वाली लाइन पर क्यों खर्च नहीं की जा रही ?

बचत के नाम पर पश्चिम रेलवे में कुछ पूर्णतः विकसित स्टेशनों को फ्लैग स्टेशनों में परिवर्तित कर दिया गया है । बचत करने के और बहुत से उपाय हो सकते हैं । प्रशासन में सुधार किया जाना चाहिये । कदाचार और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिये । इसके विपरीत प्रशासन में भ्रष्टाचार में निरन्तर वृद्धि हुई है ।

व्यापारियों को खाली माल डिब्बे सप्लाई करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है । व्यपारियों को खाली माल डिब्बे प्राप्त करने में प्रतिदिन कठिनाई होती है । माल डिब्बे सप्लाई करने के बारे में सम्बद्ध रेलवे प्राधिकारियों द्वारा अवैध रूप में धन कमाया जा रहा है ।

एक रेलवे कर्मचारी द्वारा माल को बुक करने के लिये दिये गये रुपयों के बारे में शिकायत की गई थी, किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला है ।

एक मामले में रेलवे कर्मचारी ने स्वीकृत नाम 'मानकानाज' के स्थान पर गलत नाम 'महेसाना मानकानाज' जानबूझ कर मुद्रित कर दिया था । इस मामले की मैंने रेलवे मंत्री से

शिकायत की थी और उनसे इस मामले में जांच करने की मांग की थी। एक वर्ष बीत गया है, किन्तु अभी तक कोई जांच नहीं की गई है। इस तरह के गलत काम वाले व्यक्तियों की हिम्मत को बढ़ावा दिया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे पर कलोल बीजापुर लाइन पर टिडोडिया नाम का एक छोटा सा हाल्ट स्टेशन है। वह वहां लगभग 30 वर्ष से है। और टिडोडिया, तारापुर और जालुन्द के आसपास के गांव के व्यक्ति उसका लाभ उठा रहे थे। इस स्टेशन को वर्तमान स्टेशन से लगभग 2½ फरलांग दूर ले जाया जा रहा है। पुराने स्टेशन को जोड़ने के लिये बनाई गई सड़क के विकास पर लगभग 15,000 रुपये व्यय किये गये थे और यह उसके पास के ग्रामवासी उससे पूरा लाभ उठा रहे थे। अब इस सड़क का कोई प्रयोजन नहीं है। नये स्टेशन तक पहुंचने के लिये कोई सड़क बनी हुई नहीं है। इसका कारण नये स्टेशन तक पहुंचने के लिये लोगों को लगभग एक किलोमीटर चलना पड़ेगा। इन स्टेशनों को दूसरी जगह न ले जाने का अनुरोध किया गया है। लेकिन लोगों के अभ्यावेदन पर विचार किये बगैर रेलवे प्राधिकारियों ने 21 तारीख को उसे दूसरे स्थान पर ले जाने का निर्णय कर लिया इसके विरुद्ध शांतिपूर्ण सत्याग्रह आरम्भ किया गया। उसके बाद दो गाड़ियां पुराने स्टेशन पर रुकीं। इससे सत्याग्रहियों को विश्वास हो गया कि प्रातःकाल वाली गाड़ियां भी पुराने स्टेशन पर रुका करेंगी। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी को असामान्य गति से आते देखा तो वे अपनी जानें बचाने के लिये भागे। यदि पुलिस वाले और रेलवे अधिकारी सतर्क नहीं होते तो बहुत से व्यक्ति कुचल गये होते। श्री भारद्वाज, ए० आर० ओ० का सैलून भी दुर्घटना के समय गाड़ी के साथ लगा था। दुर्घटना के एक घंटे बाद तक भी वह गाड़ी से बाहर नहीं आये।

श्री भारद्वाज के विरुद्ध बहुत गम्भीर आरोप हैं फिर भी उन्हें विभागीय जांच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। माननीय मंत्री को इस मामले में न्यायिक जांच का आदेश देना चाहिये, ताकि दोषी व्यक्तियों का पता लगाया जा सके और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। जांच रिपोर्ट आने तक पुराने फ्लैग स्टेशन को ही हाल्ट स्टेशन कायम रखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि मंत्री महोदय सायं 6-15 पर वक्तव्य देंगे। इस विषय पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद मैं प्रत्येक सदस्य को एक-एक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। ...**(अन्तर्बाधाएं)**

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्री एस० एम० जोशी ने कहा है कि भूतपूर्व निजाम राज्य की रेलवे ने भारत सरकार रेलवे मंत्रालय को 29 करोड़ रुपये दिये थे। उस रेलवे सरकार द्वारा अधिकार दिये जाने से पूर्व 17.53 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी। टूट-फूट निधि के लिये उस रेलवे से जो भी धन राशि प्राप्त हुई है वह भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय की निधि है और उसमें से सब भारतीय रेलवे पर आवश्यक खर्चे किये जाते हैं।

हम तेलंगाना की उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रयत्न करेंगे। जिन क्षेत्रों

में रेलवे लाइनें नहीं हैं, वहां रेलवे लाइनें बिछाई जायेंगी। छोटी और मीटर लाइनों को समाप्त नहीं किया जायेगा। अलाभप्रद रेलवे लाइनों को समाप्त करने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जायेगा रेलवे की आय में भी वृद्धि करने के प्रयास किये जायेंगे।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुईं
Shrimati Tarkeshwari Sinha in the Chair]

देश के अधिकांश व्यक्ति तीसरी श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करते हैं, अतः हम तीसरी श्रेणी के यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में और सुधार तथा वृद्धि करने का प्रयास करेंगे।

राजस्थान में हिन्दूमालकोट से गंगानगर तक चौथी रेलवे लाइन बनाई जा चुकी है। हमारी रेलवे राजस्थान में सूखा पीड़ित क्षेत्रों जयसलमेर, पोकारन और अन्य क्षेत्रों में खाद्य सामग्री और चारे को ले जाने का काम बहुत तत्परता से कर रही है। वे वहां पानी ले जाने में भी सहायता कर रही हैं।

इस बात की ओर ध्यान दिया जायेगा कि रेलवे में यात्रा करने वाले व्यक्ति रेल के नियमों का पालन करें।

तामिलनाडू सरकार द्वारा डालमियापुरम का नाम कल्लाकुडी किये जाने का सुझाव दिये जाने पर गृह-मंत्रालय की अनुमति से नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु दक्षिण रेलवे में कांलीगुड्डी नाम का एक स्टेशन है, अतः नाम में परिवर्तन करने में कठिनाई हो सकती है।

कर्मचारियों की छंटनी करने की हमारी नीति नहीं है। हम रेलवे में आधुनिकतम तकनीकी सुधार करने के लिये प्रयत्नशील हैं लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी कर्मचारी की छंटनी न हो।

रेलवे कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन दिये जाने के बारे में एक न्यायाधिकरण नियुक्त करने का भी सुझाव दिया गया है। रेलवे कर्मचारियों के लिये अलग नियम नहीं बनाये जा सकते उनको दिये जाने वाला वेतन तथा अन्य सुविधाएं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। रेलवे कर्मचारियों को उदार परिवार पेंशन से लाभ हुआ है। किसी विशेष वर्ग के वेतनमानों में मामूली सा फेर बदल किया जा सकता है।

जहां तक आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का प्रश्न है, इस विषय पर दूसरे वेतन आयोग ने विचार किया था और सब बातों को ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद 80 रुपये प्रतिमास न्यूनतम वेतन की सिफारिश की थी। मंहगाई भत्ते को समय-समय पर बढ़ा कर आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाता रहा है।

इस समय श्रमिक सहकारी समितियां ठेके पर 85 स्थानों में माल, पार्सल, कोयला, कोयले की राख आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती हैं। हाल ही में उनके ठेकों की शर्तों को नर्म कर दिया गया है।

हम इसे मजदूरों की सहकारी संस्था को सौंपने जा रहे हैं। तब उन्हें कोई गलत कार्य नहीं करने दिया जायेगा। श्री रामावतार शास्त्री ने साबरमती स्थित कान्टीन के बारे में कहा है। मुझे उसकी जानकारी है और हम उसका प्रबन्ध भी कर्मचारियों की सहकारी संस्था को देने को तैयार हैं।

अनेक माननीय सदस्यों ने रेलवे के अराजपत्रित कर्मकारियों की कठिनाइयों का उल्लेख किया है। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अपने बजट भाषण में जैसे कहा है, हम इन पर विचार कर रहे हैं। विभिन्न वर्गों के वेतनमानों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस और अधिक ध्यान दिया जायेगा।

श्री दीवीकन ने कहा है कि दक्षिण रेलवे को कर्मचारियों के कल्याण के लिये अन्य सब जोनों से कम राशि दी गई है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दक्षिण रेलवे में अन्य रेलवे जोनों की अपेक्षा कर्मचारी कम हैं। यह इसी कारण किया गया है। श्री रामावतार शास्त्री ने मांग की है कि फैक्ट्रीज अधिनियम को लोको शेड के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाये। इस सम्बन्ध में 1946-47 में व्योरेवार विचार किया गया था। वहां गैर-फैक्टरी प्रकार के व्यक्तियों को भी साथ-साथ ही कार्य करना होता है। उन्हें कार्य के घंटे विनियम के अन्तर्गत कार्य करना होता है। अतः उनके बारे में फैक्ट्रीज कानून लागू नहीं किया जा सकता।

कुछ माननीय सदस्यों ने आदिवासियों और अनुसूचित जातियों की बात उठायी है। मैं इन विषयों पर ध्यान दे रहा हूं और आगे भी देखूंगा। श्री सोना ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के फल उत्पादकों की मुश्किलों का उल्लेख किया है। इस बारे में श्री शिन्दे के सुझाव पर हमने यह पक्की व्यवस्था कर दी है कि भुसावल से प्रत्येक डिब्बा पांच अथवा छः दिन में दिल्ली में पहुंच जाना चाहिये। या उसे निर्धारित समय में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता अथवा अन्य गन्तव्य स्थानों पर पहुंच जाना चाहिये।

श्री सोना ने कहा है, वफादार कर्मचारियों को पुरस्कार दिया जाना चाहिये। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बारे में हम गृह मंत्रालय द्वारा यहां पर तथा राज्य सभा में की गई घोषणा पर अक्षरशः अमल करेंगे। वैसे रेलवे में कर्मचारियों का बहुत बड़ा भाग वफादार कर्मचारियों का है। श्री कंवरलाल गुप्त ने कलकत्ता में घेराव की बात की है। घेराव आदि से हमारे कार्य पर किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ेगा। रेलवे के कुल $13\frac{1}{2}$ लाख कर्मचारियों में से $12\frac{1}{2}$ लाख कर्मचारी वफादार हैं। इन सब को पुरस्कार देना संभव नहीं है। परन्तु फिर भी सरकार ने निर्णय किया है कि उन कर्मचारियों को पुरस्कार दिया जाये जिन्होंने ने हड़ताल के समय कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपना कार्य निभाया। इस बारे में विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त हुई सिफारिशों की छानबीन की जा रही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी की सिफारिश की है। इसे अभी नहीं किया जा सकता।

श्री दीवीकन ने दिल्ली से मद्रास तक एक राजधानी एक्सप्रैस गाड़ी चलाने की मांग की है। श्री अब्राहम ने दिल्ली से एर्णाकुलम तक सीधी गाड़ी की मांग की है। मैं इन सुझावों पर विचार करूंगा और इस दिशा में यथासंभव प्रयत्न किया जायेगा।

श्री चंद्रिका प्रसाद ने बलिया जिले की मांग को रखा है। मैं इस जिले द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में किये बलिदान को जानता हूं। अतः हम इसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विचार करेंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Shri Randhir Singh (Rohtak): The 'Third class' in railways should be named as 'Janta class'.

डा० राम सुभग सिंह : हम इस पर विचार करेंगे। गाड़ियों में भीड़भाड़ को कम करने के लिये हम बड़ी संख्या में और गाड़ियां चालू कर रहे हैं। श्री नागेश्वर द्ववेदी ने बम्बई से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक एक सीधी गाड़ी की मांग की है। इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ शीघ्र किया जायेगा। कलकता में उपनगरीय गाड़ियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। कई गाड़ियों में अतिरिक्त बोगियां लगायी जा रही हैं। राजस्थान की अवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा। मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि मांगों को स्वीकृति दी जाये।

श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : कुछ लाइनों को न उखाड़ने के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं। गुजरात राज्य के बारे में भी ऐसा ही आश्वासन दिया जाना चाहिए।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) ; About 100 crore rupees have been spent by Central Government on Kosi project in North Bihar.

I want to know whether the 25 miles long railway line from Radhapur to Partapganj would be restored? The land required for the restoration of the railway lines is already under the ownership of Railway Administration.

Shri Shashi Bhushan (Khargnoe): The survey for Khandwa and Dohad line has been conducted many a time. I want to know when this line would be laid. A time limit should be indicated in this regard.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon): In the year 1967, 145 persons of Gorakhpur were selected for appointment at the headquarters of North Eastern Railway. Afterwards their character and antecedents were verified and they were medically examined. Instead of appointing them, their appointment was cancelled. Now in 1968 they have made another selection. It is surprising. This should be enquired into. Those who were selected in 1967 should be appointed. I want an assurance from the Hon. Minister in this regard.

Shri Chander Shekher Singh (Jahanabad): I want that at Jahanabad station an over-bridge should be constructed and at the cantonment station an overhead shed should be provided. First class and second class waiting rooms should be made available there.

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur): I am sorry that Hon. Minister has not answered to my questions. I had enquired about Gangapur school and platform. A survey

shodld be conducted for a line from Gangapur and Dausa. I want an assurance from the Hon. Minister in this regard.

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : I want to remind the Hon. Railway Minister that when he was a Minister of State previously, he had inaugurated Supol-Partapganj line in 1966. Now he is a Cabinet Minister. I want that he should kindly extend the line from Tharmita to Bhaptiahi. It will help in the economic uplift of backward area of North Bihar.

The bridge on Kosi between Mansi and Saharsa is an old one. It should be repaired forthwith.

Shri Jageshwar Yadav (Banda) : A scheme was sanctioned for construction of an over-bridge at Banda Junction. It was shelved on account of economy. It should be taken up now because every year 9-10 persons die there due to accidents. Secondly, the Banda-Lucknow express should be run upto Manikpura.

श्री मु० न० नाघनूर (बेलगांव) : हमारी सरकार से मांग है कि पूना बंगलौर लाइन को बड़ी लाइन बनाया जाये। इस तरह बंगलौर से गुन्टाकल तक लाइन को बड़ी लाइन बनाया जाए। मंगलौर से हसन तक बड़ी लाइन बनाई जानी चाहिये। मंगलौर का एक बड़े बन्दरगाह के रूप में विकास किया जा रहा है। परन्तु खेद की बात है कि केन्द्रीय सरकार समूचे मैसूर राज्य के साथ अच्छा बरताव नहीं कर रही है।

कुदरेमुक खेत्र खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। उसका लाभ उठाने के लिये हुबली से कारवार तक बड़ी लाइन बनाए जाने की मांग है। इसे पूरा किया जाना चाहिए।

Dr. Ram Subhag Singh : I want to say that new lines are not under the pressure of an individual. It is done keeping in view the merits of demand. Nothing is done under coercion. In regard to Khandwa-Dohad line, survey has been completed and it is under consideration. In regard to economy, I will see nobody is deprived of his rightful claim.

श्री नाघनूर ने छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की बात की है। इस बारे में सभी संभव कार्यवाही की जा रही है। कठूआ-जम्मू लाइन को हम निर्धारित समय में बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

I will enquire about Ganganagar and other points put forth by you about the school and then apprise you what can be done in this regard.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। जिन बातों का वह उत्तर नहीं दे सके है, उनके बारे में वे बाद में गौर करने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The Cut Motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1969-70 के लिए रेलवे मंत्रालय की निम्न मांगे मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
1	रेलवे बोर्ड	1,42,20,000
2	विविध व्यय	6,11,29,000
3	चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान	17,58,000
4	संचालन व्यय प्रशासन	75,60,35,000
5	संचालन व्यय मरम्मत और अनुरक्षण	2,41,82,94,000
6	संचालन व्यय परिचालन कर्मचारी	1,56,23,32,000
7	संचालन व्यय परिचालन (ईंधन)	1,56,36,83,000
8	संचालन व्यय परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	46,15,72,000
9	संचालन व्यय विविध व्यय	35,45,86,000
10	संचालन व्यय कर्मचारी कल्याण	24,57,06,000
11	संचालन व्यय मूल्य ह्रास आरक्षित विधि में विनियोजन	95,00,00,000
11-क	संचालन व्यय पेंशन निधि में विनियोजन	10,00,00,000
12	समान्य राजस्व को लाभांश	1,59,01,14,000
13	चालू लाइन निर्माण (राजस्व)	8,40,52,000
14	नई लाइनों का निर्माण	26,48,50,000
15	चालू लाइन निर्माण-पूंजी मूल्य ह्रास राजस्व निधि तथा विकास निधि	5,16,15,62,000
16	पेंशन प्रभार पेंशन निधि	6,34,59,000
17	सामान्य राजस्व से ऋण तथा उस पर ब्याज भुगतान-विकास निधि	1,59,53,000
18	विकास निधि में विनियोजन	1,91,51,000
20	अति-पूंजीकरण का परिशोधन करने के लिये भुगतान	28,26,000

विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1969

APPROPRIATIONS (RAILWAYS) BILL, 1969

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की रेलवे की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधियक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की रेलवे की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

डा० राम सुभग सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की रेलवे की सेवाओं के लिये भारत की संचित्र निधि में से कुछ राशियों का भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की रेलवे की सेवाओं के लिये भारत की संचित्र निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I have to speak. I have given it in writing.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होगें कि मैंने सारे वाद-विवाद को ध्यानपूर्वक सुना है । मैं मानता हूं कि उठाई गई समस्त बातों का उत्तर नहीं दिया गया है ।

Shri Madhu Limaye : I am raising a new and concrete thing. On 23rd October, 1966 a serious accident took place in Lakhee Sarai in which 32 persons were killed and many injured. The Railway Safety Commissioner conducted an inquiry but his report has neither been published by January, 1969 nor placed before the House.

The Railway Safety Commissioner had made four important recommendations. Nothing has been done on that report. The same type of serious accident took place on 14th February, 1968. The suggestions given by me were implemented only after I staged a satyagraha. Eighteen people were killed in this accident. The Railway Board, which is responsible for all this should be suspended.

The Area Officer, Shri Bhargava, who was travelling in a saloon and who is responsible for the death of satyagrahis at Kalol Bijapur line on 21st January, should be immediately suspended. He has been charged of many serious offences. A full enquiry should be conducted after suspending Shri Bhargava.

In the end, I would like to say that the Railway Administration has done a good work by providing retiring rooms for the benefit of passengers. But the difficulty is that these retiring

rooms always remain under the occupation of railway officers. This thing should be discouraged and orders passed to this effect.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : (सम्बलपुर) मेरा एक औचित्य प्रश्न है यदि श्री मधु लिमये को नये मामलों के आधार पर इस समय बोलने की अनुमति दी जा सकती है, तो मुझे भी बोलने का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी थी ।

Dr. Ram Subhag Singh: I would issue orders that the retiring rooms are exclusively meant for passengers and as such these should not be used by railway employees.

The accident at Kalol, as narrated by Shri Madhu Limaye is really shocking. I do not want to say anything aboot the suspension of Shri Bhargava at this stage but I would consider over the question raised by him.

The Safety Commissioner's report about Lakheesarai accident is not the report of our Ministry. Still we try to implement necessary and proper suggestions. The Safety Commissioner is under the Ministry of Tourism and Civil Aviation.

Shri Madhu Limaye: The recommendations are meant for you. You have not implemented them.

Dr. Ram Subhag Singh: We will surely implement those recommendations which are reasonable.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है । :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की रेलवे की सेवाओं के लिये भारत की संचितनिधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 2, खंड 3, और अनुसुची विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill

इसके बाद खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were then added to the Bill

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक को पारित कि किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 19 मार्च, 1969/28 फाल्गुन 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 19, 1969/Phalguna 28, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 25-6-69—600.